FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. P 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 27 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, अंक 27, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)
अंक 21, सोमवार, 12 अगस्त, 2002/21 श्रावण, 1924 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 401 से 420 2-40

अतारांकित प्रश्न संख्या 4137 से 4386 40-329

विदाई उल्लेख 329-332

राष्ट्रगीत 332

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

सोमवार, 12 अगस्त, 2002/21 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सदन के नेता कहां चले गए?...*(व्यवधान)* संसद के इतिहास में यह पहली बार हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक टिप्पणी करनी है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सदन के नेता कहां हैं?... *(व्यवधान)* सरकार ठीक नहीं कर रही है...*(व्यवधान)* वह भ्रष्ट लोगों को संरक्षण प्रदान कर रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे कुछ टिप्पणियां करनी हैं। कृपया सहयोग कीजिए। मुझे कुछ कहना है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ टिप्पणियां करनी हैं। माननीय सदस्यो...

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रधान मंत्री जी को सभा में आकर हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया मेरी बात सुनिए। मैं एक छोटी टिप्पणी कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब अध्यक्ष सभा को संबोधित कर रहा हो, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सदन के नेता कहां हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं संसदीय कार्य मंत्री से पूछूंगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

***401. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान उपरोक्त कार्यक्रम, किन किन राज्यों में शुरू किया गया था; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्धियां क्या हैं और इस पर कितनी राशि खर्च की गई और दसवीं योजना के लिए इस हेतु क्या अनुमान लगाया गया है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से सभी राज्यों में 1.4.1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम नौवीं योजना की पूरी अवधि के दौरान जारी रहा।

आर.ई.जी.पी. स्कीम के अन्तर्गत रोजगार और वित्त पोषित परियोजनाओं (31.3.2002 तक) के संदर्भ में हुई राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

निधियां राज्यों को अलग से जारी नहीं की जातीं। सरकार के.वी.आई.सी. को निधियां जारी करती है जो आगे पैसा भागीदार बैंकों को देता है। सरकार द्वारा नौवीं योजना अवधि के दौरान देश में आर.ई.जी.पी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु के.वी.आई.सी. को जारी निधियां निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	रुपए लाख में
1997–98	10500
1998–99	4665
1999–2000	1103
2000–2001	11000
2001–2002	15000

1250 करोड़ रुपये के निवेश से देश में 2 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करते हुए इस कार्यक्रम को दसवीं योजना के दौरान भी अर्थात 31.3.2007 तक जारी रखने का निर्णय लिया गाया है।

विवरण

आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम) राज्यवार वित्तपोषित परियोजनाएं और रोजगार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वित्त पोषित परियोजनाएं	रोजगार
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	9955	105293
2.	अरुणाचल प्रदेश	317	2904
3.	असम	425	4743
4.	बिहार	529	4288
5.	गोवा	1931	18699
6.	गुजरात	682	6180
7.	हरियाणा	3509	44281
8.	हिमाचल प्रदेश	1068	19021
9.	जम्मू–कश्मीर	5754	53550
10.	कर्नाटक	10326	102444
11.	केरल	5592	66240
12.	मध्य प्रदेश	16779	165741
13.	महाराष्ट्र	16805	162099
14.	मणिपुर	623	5658
15.	मेघालय	2784	25426
16.	मिजोरम	732	6808
17.	नागालैंड	4665	44143
18.	उड़ीसा	1467	12744
19.	पंजाब	7363	84153
20.	राजस्थान	20365	206848
21.	सिक्किम	18	219
22.	तमिलनाडु	3484	48385
23.	त्रिपुरा	48	922
24.	उत्तर प्रदेश	11704	132683
25.	पश्चिमी बंगाल	11416	93319
26.	अंडमान–निकोबार	162	1365

1	2	3	4
27.	चंडीगढ़	139	1684
28.	दादरा–नगर हवेली	8	82
29.	दिल्ली	203	1837
30.	लक्षद्वीप	01	46
31.	पांडिचेरी	899	8212
32.	छत्तीसगढ़	197	5104
33.	झारखण्ड	218	1364
34.	उत्तरांचल	313	5663
	कुल	140481	1442128

जीवित जानवरों की बिक्री

*402. **श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर–सरकारी संगठनों/व्यक्तियों को विदेशों में स्थित विख्यात प्राणी उद्यानों या राष्ट्रीय उद्यानों के लिए हाथी, बाघ, शेर, हिरण, दरियाई घोड़ों (हिप्पो) और गैंडों जैसे जीवित जंगली जानवरों की बिक्री करने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जानवरों की बिक्री के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों ही पक्षों द्वारा कुछ निबंधन और शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान भारत से विश्व के विभिन्न भागों में बेचे गए/भेंट स्वरूप दिए गए जानवरों की सूची क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार कोई भी चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर की अनुमति के बिना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची–I में शामिल प्रजातियों के हाथी, बाघ, शेर, गैंडा और हिरण का अधिग्रहण या स्थानान्तरण नहीं कर सकता।

तथापि, दरियाई घोड़ा (हिप्पो) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः अधिनियम के तहत किए गए प्रतिबंध संबंधी प्रावधान इस पर लागू नहीं होते।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता–प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच बिक्री/अदला–बदली करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत के चिड़ियाघरों से विदेशी चिड़ियाघरों में प्राणियों का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन करने से पहले चिड़ियाघरों की प्रमाणिकता और वहां पर मौजूद प्राणी सुविधाओं की स्थिति भी सुनिश्चित की जाती है। विदेशी चिड़ियाघरों में भेजे गए प्राणियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। एक चिड़ियाघर से किसी अन्य चिड़ियाघर में प्राणियों को स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्राप्त करने वाले चिड़ियाघर में उनके द्वारा प्राप्त किए जा रहे प्राणियों के लिए उपयुक्त गृह व्यवस्था और स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं हैं।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी चिड़ियाघरों को भेजे गए जानवर

वर्ष	भारतीय चिड़ियाघर का नाम	भेजा गया जानवर	संख्या	प्राप्त करने वाले विदेशी चिड़ियाघर
1	2	3	4	5
1997–98	नन्दन कानन प्राणि उद्यान	बंगाली बाघ	4	वंडरलैंड चिड़ियाघर, मलेशिया

1	2	3	4	5
1997–98	श्री चम्माराजेन्द्र चिड़ियाघर, मैसूर	बोनिट मार्कॉक (लघु पुछ वानर)	5	कार्ल हेजनबैक चिड़ियाघर, जर्मनी
1997–98	वी. जे. बी. उद्यान चिड़ियाघर, मुम्बई	एशियाई शेर	3	योखोहामा चिड़ियाघर, जापान
1997–98	वी. जे. बी. उद्यान चिड़ियाघर, मुम्बई	हाथी	4	योखोहामा चिड़ियाघर, जापान
1997–98	अलीपुर चिड़ियाघर, कोलकाता	हाथी	1	टवॉयक्रास चिड़ियाघर, यू.के.
1998–99	नन्दन कानन प्राणि उद्यान	हाथी	1	इज़मीर चिड़ियाघर, तुर्की
1998–99	श्री चम्माराजेन्द्र चिड़ियाघर, मैसूर	सामान्य लंगूर	10	सेरेन्गरी सफारी उद्यान, जर्मनी
1998–99	श्री चम्माराजेन्द्र चिड़ियाघर, मैसूर	हाथी	1	श्रीलंका के राष्ट्रपति को भेंट किया गया
1999–2000	नन्दन कानन प्राणि उद्यान	स्लाथ बीअर	2	लिपजिग चिड़ियाघर, जर्मनी
2000–01	अरिग्नार अन्ना चिड़ियाघर, चेन्नई	सियार	4	सिंगापुर चिड़ियाघर, सिंगापुर
2000–01	अरिग्नार अन्ना चिड़ियाघर, चेन्नई	स्पूनबिल	2	सिंगापुर चिड़ियाघर, सिंगापुर
2000–01	राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली	मोर	2	ढाका चिड़ियाघर, बंगलादेश
2000–01	असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी	हाथी	1	यूएनो चिड़ियाघर, जापान
2000–01	एम.सी. प्राणि उद्यान, छतबीर, पंजाब	बंगाली बाघ	2	त्रिपोली चिड़ियाघर, लीबिया
		कुल	42	

टिप्पणी : (i) बंदी प्रजनित एक हाथी, हाथी कैम्प काजीरंगा असम से इचीहारा हाथी किंग्डम, जापान को भेजा गया।

(ii) बंदी प्रजनित एक हाथी, हाथी कैम्प जल्दापाडा, पश्चिम बंगाल से मोरोक्को के राजा को भेंट किया गया।

वनभूमि पर किए गए अतिक्रमणों का नियमितीकरण

***403. श्रीमती रेणूका चौधरी :**

डा. रमेश चंद तोमर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का वर्ष 1980 तक वनभूमि पर किए गए अतिक्रमणों का नियमितीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्यवार वनभूमि के कुल कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है;

(ग) अतिक्रमणकर्ताओं का ब्यौरा क्या है और उन्होंने वनभूमि पर कब से अतिक्रमण कर रखा है;

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वनभूमि पर किए गए अतिक्रमणों का योजनाबद्ध नियमितीकरण करने संबंधी अपनाई गई नीति के बारे में केन्द्र सरकार को जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए

ऐसे नियमितीकरण का ब्यौरा क्या है और राज्यवार वनभूमि में कितनी कमी आई है; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति 1988 में निर्दिष्ट है कि वन भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और दिशा निर्देशों में 1980 से पूर्व वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों को विनियमित करने का प्रावधान है जिसके बारे में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले अर्थात् 25.10.1980 से पूर्व ही विनियमित करने का निर्णय ले लिया गया था लेकिन निर्णय को पूरी तरह से या आंशिक रूप से उक्त तिथि से पहले कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।

राज्य सरकार द्वारा सूचित वन भूमि पर अतिक्रमण के क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा किया गया अतिक्रमण क्षेत्र, अतिक्रमणकर्ता का नाम और अतिक्रमण की तिथि संकलित और एकत्र नहीं की गई है।

(घ) से (च) नेशनल डेली में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें यह उल्लेख है कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने तीन लाख से अधिक अतिक्रमणों के विनियमित करने का निर्णय लिया है और वे सभी अतिक्रमण जो 31 दिसम्बर, 2000 से पहले किए गए हैं को भी विनियमित किया जाएगा। राज्य सरकार को ऐसी किसी योजना पर कार्य न करने का परामर्श दिया गया है जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों का उल्लंघन न हो। उच्चतम न्यायालय के 23.11.2001 के आदेशों के अनुसार भी सरकार को वनभूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण को विनियमित करने से मना किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अतिक्रमित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3413.222
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.38
3.	असम	2547.11
4.	बिहार	21.77
5.	छत्तीसगढ़	1504.95
6.	गोवा	10.12
7.	गुजरात	54.84
8.	हरियाणा	8.52
9.	हिमाचल प्रदेश	14.93
10.	जम्मू एवं कश्मीर	154.06
11.	झारखण्ड	339.05
12.	कर्नाटक	1.10
13.	केरल	459.70
14.	मध्य प्रदेश	728.11
15.	महाराष्ट्र	936.10
16.	मणिपुर	0.003
17.	मेघालय	154.64
18.	मिजोरम	0.13
19.	नागालैण्ड	0.00
20.	उड़ीसा	756.96
21.	पंजाब	44.09
22.	राजस्थान	175.84
23.	सिक्किम	120.00
24.	तमिलनाडु	182.83
25.	त्रिपुरा	419.27
26.	उत्तराचंल	104.00

1	2	3
27.	उत्तर प्रदेश	252.10
28.	पश्चिम बंगाल	लागू नहीं
	कुल	12443.82

वन रोपण

*404. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारें नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनरोपण हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनरोपण की दर में कितनी प्रतिशत की कमी रही है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वनरोपण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) निर्धारित समयावधि में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) इस संबंध में कुछ कमी हुई है।

(ख) लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी होने का कारण मुख्यतः राज्य वानिकी क्षेत्र में निधियों की अपर्याप्तता है।

(ग) भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 1999 के अनुसार 1997 में पिछले आकलन की तुलना में वन आवरण में 3896 वर्ग कि.मी. की शुद्ध वृद्धि हुई है।

(घ) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए वनीकरण और वृक्षारोपण के लक्ष्य वार्षिक तौर पर निर्धारित किए जाते हैं। 2002–2003 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 1.5 मिलियन हैक्टेयर है।

(ङ) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को यह परामर्श दिया गया है कि वे वानिकी क्षेत्र में निधियों का पर्याप्त प्रावधान करें।

[हिन्दी]

गंगा कार्य योजना

*405. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा कार्य योजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और सरकार द्वारा भविष्य में कितनी और राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ख) गंगा नदी में ऋषिकेश, हरिद्वार गढ़मुक्तेश्वर, पटना और मुंगेर शहरों में प्रदूषण की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इतनी अधिक राशि खर्च किए जाने के बाद कोई उपलब्धियां/सुधार सरकार के देखने में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) गंगा कार्य योजना चरण–I पर 451.70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह चरण 31.3.2000 को पूरा हो चुका है। गंगा कार्य योजना चरण–II, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, के अन्तर्गत कार्यों की अनुमोदित लागत 1498.86 करोड़ रुपए हैं। इसमें से अभी तक 747 करोड़ रुपए की राशि कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जा चुकी है। शेष राशि कार्य की प्रगति के अनुसार जारी की जाएगी। ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, पटना और मुंगेर में पिछले तीन वर्षों के दौरान जल गुणता आंकड़े नीचे दिये गए हैं। इस अवधि में इन स्थलों की जल गुणता अनुज्ञेय सीमा में है। गंगा कार्य योजना चरण–II के पूरा होने पर गंगा नदी की गुणता में और सुधार होने की संभावना है।

क्र.सं.	स्थान	अवधि					
		1999		2001		2002	
		#घुलित ऑक्सीजन (मि.ग्रा./1)	बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग(मि.ग्रा./1)	घुलित ऑक्सीजन (मि.ग्रा./1)	बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग(मि.ग्रा./1)	घुलित ऑक्सीजन (मि.ग्रा./1)	बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग(मि.ग्रा./1)
1.	ऋषिकेश	9.0	1.0	9.1	1.1	8.2	1.2
2.	हरिद्वार	8.6	1.2	8.8	1.4	7.9	1.6
3.	गढ़मुक्तेश्वर	7.9	1.4	7.8	1.8	7.5	2.1
4.	पटना	7.8	2.4	7.7	2.4	6.6	2.0
5.	मुंगेर* (मोकामा)	8.6	2.8	7.7	1.8	7.5	2.4

*मुंगेर में कोई मानीटरिंग स्थल नहीं है। मुंगेर के उर्ध्वप्रवाह से 60 किलोमीटर पर मोकामा के लिए आंकड़े सारणी में दिए गए हैं। मुंगेर और मोकामा के बीच के क्षेत्र में प्रदूषण का कोई मुख्य स्रोत नहीं है।

#अपेक्षित स्नान श्रेणी के लिए नदी जल में घुलित ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग के लिए मानक क्रमशः 5 मिग्रा/लीटर (न्यूनतम) और 3 मिग्रा/लीटर (अधिकतम)।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में कृतिक बल द्वारा अध्ययन

***406. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने वाले अंतर–मंत्रालयीय कृतिक बल ने दसवीं योजना अवधि के दौरान देश में इसके विकास, विपणन, भंडारण और शीत भंडारण सुविधाओं के बारे में कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए स्वीकृत और दसवीं योजना हेतु अनुमानित परिव्यय कितना है;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में शीत भंडारण सुविधाओं के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई है और 2002–2003 के दौरान इस मद पर कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(ङ) दसवीं योजना के दौरान सामान्यतः और 2002–2003 के दौरान विशेषतः महाराष्ट्र में किन–किन स्थानों पर इन शीत भंडारण सुविधाओं का विकास किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी अंतर–मंत्रालयीय कृतिक बल का गठन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय की स्कीमों के लिए नौवीं योजना परिव्यय 235.00 करोड़ रु. था और दसवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 650.00 करोड़ रु. है।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में बुनियादी परियोजनाओं जिनमें शीतागार शामिल हैं, के वास्ते 590.77 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई है। वर्ष 2002–03 के दौरान महाराष्ट्र नासिक, मुम्बई, नांदेड में बुनियादी परियोजनाओं जिसमें शीतागर शामिल हैं, के वास्ते 191.33 लाख रु. की वित्तीय सहायता जारी की गई है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष।

इन बुनियादी सुविधाओं के वास्ते वित्तीय सहायता का अनुमोदन व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

*407. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेहतर प्रशासन और सेवा प्रदान करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दो भागों में बांटने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में लागत–लाभ संबंधी कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे दो भागों में कब तक बांट दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विस्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिक प्रत्युत्तरदायी और दक्ष बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान संगठन के कार्यों से निर्माण और वित्त को अलग करने के लिए एक व्यक्ति से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। कोई अन्य ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे। सरकार ने इस सुझाव को व्यावहारिक नहीं पाया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता। अब तक हमारे अनुभव के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में प्राधिकरण के कार्यकुशल और जिम्मेदार संगठन होने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए वनभूमि का दिया जाना

*408. **श्री अम्बरीश** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने, विशेषतः कर्नाटक ने, केंद्र सरकार से नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए वनभूमि जारी करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वनभूमि जारी करने के संबंध में मंजूर किए गए प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष प्रस्तावों के लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त प्रस्तावों को मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि के वनेतर प्रयोग की अनुमति मांगी थी और इस प्रस्ताव को 6.8.1987 को अनुमोदित कर दिया गया था। केन्द्र सरकार के पास नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए वन भूमि के वनेतर प्रयोग का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्य सरकारों से वन भूमि दिए जाने के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रस्तावों के लम्बित रहने के जो कारण हैं उनमें राज्य सरकार द्वारा अधूरे प्रस्ताव प्रस्तुत करना और सूचना प्रस्तुत करने में विलंब करना शामिल है।

(ङ) प्रस्तावों पर कार्रवाई और निर्णय तभी लिया जा सकता है जब संबंधित राज्य सरकारें मांगी गई सूचना भेजें।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित	अस्वीकृत	सूचना के अभाव में अस्वीकृत	राज्य सरकार को लौटाए गए/वापिस लिए गए	मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है	अतिरिक्त सूचना के लिए राज्यों के पास लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	40	32	4	0	2	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	50	41	1	2	0	1	5
3.	आंध्र प्रदेश	80	47	10	1	5	9	8
4.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	24	21	0	0	1	0	2
5.	बिहार	12	7	0	1	3	1	0
6.	चण्डीगढ़	13	11	0	0	0	2	0
7.	छत्तीसगढ़	58	24	2	0	2	5	25
8.	दादरा एवं नगर हवेली	113	62	17	1	1	13	19
9.	दमन एवं दीव	1	0	0	0	0	0	1
10.	दिल्ली	6	2	0	1	1	0	2
11.	गोवा	25	7	1	0	0	1	16
12.	गुजरात	346	253	23	15	18	4	33
13.	हरियाणा	167	139	1	6	0	4	17
14.	हिमाचल प्रदेश	238	135	10	27	6	4	56
15.	झारखण्ड	40	11	1	6	1	3	8
16.	कर्नाटक	141	75	17	11	6	2	30
17.	केरल	31	19	1	2	2	2	5
18.	मणिपुर	3	2	0	0	1	0	0
19.	मेघालय	42	39	2	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	मध्य प्रदेश	125	65	11	4	8	20	17
21.	मिजोरम	12	10	0	0	0	0	2
22.	महाराष्ट्र	371	207	49	6	13	43	53
23.	पंजाब	433	305	5	23	7	1	92
24.	उड़ीसा	91	49	2	11	9	6	14
25.	सिक्किम	36	36	0	0	0	0	0
26.	राजस्थान	94	58	6	9	9	0	12
27.	तमिलनाडु	61	50	3	2	0	4	2
28.	त्रिपुरा	107	100	2	2	1	1	1
29.	पश्चिम बंगाल	9	5	0	0	2	0	2
30.	उत्तर प्रदेश	103	84	7	3	5	2	2
31.	उत्तरांचल	917	753	43	12	49	10	50
	कुल	3789	2649	218	145	152	140	475

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की छवि

*409. **डा. अशोक पटेल :**
श्री पदमसेन चौधरी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइंस स्टाफ के पेशेवर दृष्टिकोण, उड़ान में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, विमानों के अंदर की साज-सज्जा, समय की पाबंदी और उड़ानों के संबंध में जानकारी देने की व्यवस्था के मामलों में अन्य निजी एयरलाइनों की तुलना में बहुत पीछे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस इस समय भी देश की सबसे अधिक पसंदीदा घरेलू एयरलाइन है। अपने विमानों एवं सेवाओं का कोटि उन्नयन करने और इनका मोल बढ़ाने के लिए इसकी ओर से लगातार कोशिश की जाती है। इस दिशा में किए गए/किए जा रहे विभिन्न उपाय नीचे दिए गए हैं :

कर्मचारियों को प्रशिक्षण

इंडियन एयरलाइंस अपने उन कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर दे रही है जिनका यात्रियों से साथ सीधा संपर्क होता है। विशेष ग्राहक देख-रेख सेवा कार्यक्रम के साथ-साथ रिफ्रेशर कोर्स नियमित तौर पर चलाए जाते हैं जिसमें यात्रियों की शिकायत दूर करने के उद्देश्य से कार्य-कुशलता, प्रवीणता और व्यावहारिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है।

गुणवत्तायुक्त भोजन परोसना

इंडियन एयरलाइंस सर्वोत्तम खान–पान प्रबंधकों से भोजन मंगवाती है। उन स्टेशनों पर जहां ऐसे होटल/खान–पान प्रबंधक नहीं हैं, शहर के सर्वोत्तम रेस्तरां एयरपोर्ट स्थित रेस्तरां से भोजन व्यवस्था की जाती है। इंडियन एयरलाइंस के खान–पान प्रबंधक भी वही हैं जिनमें दूसरे घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटर खान–पान की वस्तुएं मंगाते हैं। खान–पान प्रबंधकों के परिसर में भोजन की गुणवत्ता एवं बनाए जाने पर सख्त जांच हेतु फ्लाइट किचन सुपरवाइजरों (उड़ानगत रसोई पर्यवेक्षकों) की नियुक्ति करके प्रमुख बेस स्टेशनों पर गुणवत्ता जांच प्रणाली शुरू की गई है।

केबिन परिवेश में सुधार

सभी 11, बी–737 विमानों में केबिन परिवेश में सुधार का कार्य किया गया है। इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में विभिन्न किस्म के विमानों के केबिन के अंदर की साज–सज्जा के लिए एक अनुसूची बनाई गई है।

बिल्कुल ठीक समय पर कार्य-निष्पादन

दैनिक आधार पर कार्य–निष्पादन की निगरानी की जाती है। वर्ष 2001–02 में इंडियन एयरलाइंस का कार्य–निष्पादन 77.64 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2000–01 में यह 59.91 प्रतिशत था। चालू वर्ष की पहली तिमाही में यह बढ़कर 81.4 प्रतिशत हो गया है। 2001–2002 के लिए 6 मेट्रो के संबंध में कार्य–निष्पादन 86 प्रतिशत है; सामान डिलीवरी समय को कम कर दिया गया है। पहले सामान की डिलीवरी हवाई जहाज के आगमन से 7 मिनट के अंदर और अंतिम सामान की डिलीवरी 20 मिनट के अंदर कर दी जाती है।

सूचना उपलब्ध कराया जाना

यात्रियों तक सूचना पहुंचाने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने विविध चैनल बनाए हैं। इसमें कंपनी के वेबसाइट के जरिए सूचना दिया जाना, उड़ानगत सूचना कक्ष में पर्याप्त संख्या में टेलीफोन लाइनों का होना, रियल टाइम ऑटोमेटिक पैसेंजर इनफॉर्मेशन डिस्सेमिनेशन सिस्टम (रेपिड) के जरिए स्वतः सूचना उपलब्ध कराने की प्रणाली और इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम जिससे यात्रियों को तीन घंटे से अधिक देरी की जानकारी टेलीफोन पर दी जाती है, शामिल है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित सिंचाई योजनाएं

*410. **श्री रामपाल सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों की उपेक्षा के कारण केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न 'त्वरित सिंचाई योजनाएं' असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने ऐसी अनुमोदित निर्माणाधीन सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं जिनके निर्माण में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है तथा जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर है तथा निर्माण की अंतिम अवस्था वाली ऐसी अन्य वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं जोकि अगले चार कृषि मौसमों में सिंचाई संबंधी लाभ दे सकती हैं, के त्वरित कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1996–97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान की सूचना दिए जाने के पश्चात पहली किस्त परियोजना के लिए अग्रिम के रूप में जारी की जाती है। इसके पश्चात दूसरी किस्त राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहली किस्त के वास्ते उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तथा केन्द्रीय जल आयोग की मानीटरिंग रिपोर्ट के आधार पर जारी की जाती है। इस कार्यक्रम की सहायता से 20 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं ने अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ली है। इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त कर रही विभिन्न परियोजनाओं में मार्च, 2001 तक 11 लाख हेक्टेयर भूमि के वास्ते सिंचाई सुविधा का सृजन हुआ है।

इस प्रकार यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में सिंचाई क्षमता के सृजन में तीव्रता लाने में सक्षम रहा है। कुछ ऐसे मामले देखने में आए थे जिनमें प्रयोक्ता विभागों को समय से निधियां जारी नहीं की जा रही थीं। केन्द्रीय ऋण सहायता का समय पर वितरण करने के लिए सभी राज्य सरकारों को उपयुक्त

निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसक अतिरिक्त, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण संबंधित परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व मुख्यतः स्वयं राज्य सरकारों का है।

[अनुवाद]

सिंचाई हेतु भू-जल के लिए सर्वेक्षण

***411. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने सिंचाई हेतु भू-जल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में सिंचाई के लिए भू-जल का किस सीमा तक दोहन किया गया है;

(घ) क्या देश के किसी भाग में भू-जल का एक सीमा से अधिक दोहन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाने पर विचार कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (च) भू-जल संसाधनों संबंधी सर्वेक्षण के आधार पर सिंचाई के लिए भू-जल की उपलब्धता 362 बी सी एम (बिलियन घन मीटर) आंकी गई है। देश में भू-जल से विकसित की जा सकने वाली उपयोग योग्य सिंचाई क्षमता 64.06 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है। भू-जल के माध्यम से सिंचाई क्षमता की राज्यवार उपलब्धता तथा सिंचाई के लिए इसके उपयोग की सीमा विवरण-I में दी गई है। देश के कुछ हिस्सों में भू-जल का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। अतिदोहित तथा डार्क ब्लॉकों की एक सूची विवरण-II में दी गई है।

जल, राज्य का विषय होने के कारण भू-जल संसाधनों के संवर्द्धन के उपाय संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाने हैं। देश में भू-जल स्तर में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों में निम्न शामिल हैं :

(i) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 23.48 करोड़ रुपए की लागत से "प्रायोगिक आधार" पर भू-जल के पुनर्भरण अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन करना।

(ii) पूरे देश में जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण संबंधी जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(iii) भू-जल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(iv) भू-जल निकासी को रोकते/प्रतिबंधित करते हुए 11 क्षेत्रों/जिलों में अधिसूचना जारी करना।

(v) वर्ष 1970 में एक मॉडल बिल परिचालित किया गया था जिसे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992 एवं वर्ष 1996 में पुनः परिचालित किया गया ताकि वे भूमि जल विकास को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए उचित्र कानून बना सकें।

(vi) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी दिशानिर्देश/मैनुअल तैयार करना तथा उनका परिचालन करना ताकि वे भू-जल स्तरों की गिरती प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सकें।

(vii) दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए 150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भू-जल के पुनर्भरण के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम तैयार कर ली गई है।

विवरण-I

भूजल द्वारा सिंचाई क्षमता
(मार्च, 2002 तक संभावित)

क्र.सं.	राज्य	उपयोज्य सिंचाई क्षमता मि.हे.	सृजित क्षमता मि.हे.	प्रयुक्त क्षमता मि.हे.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3.96008	3.31100	2.36500

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01800	0.00100	0.00100
3.	असम	0.90000	0.44200	0.28400
4.	बिहार	4.94763	4.03300	2.54700
5.	गोवा	0.02928	0.00400	0.00400
6.	गुजरात	2.75590	2.41800	1.78500
7.	हरियाणा	1.46170	2.37900	2.24000
8.	हिमाचल प्रदेश	0.06850	0.02700	0.02100
9.	जम्मू व कश्मीर	0.70795	0.01300	0.01100
10.	कर्नाटक	2.57281	1.32100	1.03100
11.	केरल	0.87925	0.17700	0.17000
12.	मध्य प्रदेश	9.73249	4.16700	3.09000
13.	महाराष्ट्र	3.65197	3.54900	2.46900
14.	मणिपुर	0.36900	0.00100	0.00100
15.	मेघालय	0.06351	0.00200	0.00100
16.	मिजोरम	0.00500	0.00100	0.00100
17.	नागालैण्ड	0.00500	0.00100	0
18.	उड़ीसा	4.20258	0.55500	0.35000
19.	पंजाब	2.91715	6.92500	6.30300
20.	राजस्थान	1.77783	4.51100	4.03200
21.	सिक्किम	आकलन नहीं किया गया	0	0
22.	तमिलनाडु	2.83205	2.30100	1.33400
23.	त्रिपुरा	0.08056	0.01300	0.01000
24.	उत्तर प्रदेश	16.79896	16.34900	13.57400
25.	पश्चिम बंगाल	3.31794	2.23900	1.59700
	कुल राज्य	64.05514	54.74000	43.22100
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00504	0.06600	0.06500
	कुल जोड़	64.06018	54.80600	43.28600

स्रोत : दसवीं योजना (2002–2007) के प्रस्तावों को तैयार करने के लिए लघु सिंचाई संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट का प्रारूप, लघु सिंचाई प्रभाग, जल संसाधन मंत्रालय।

विवरण-II

अखिल भारतीय आधार पर अतिदोहित और डार्क के रूप में ब्लाकों/मंडलों/तालुकों/जल विभाजकों का श्रेणीकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	ब्लाक/मंडल/ तालुक/जल विभाजक	ब्लाकों/मंडलों/तालुकों/जल विभाजकों की संख्या			
				अतिदोहित		डार्क	
				संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	22	1104	12	1.09	14	1.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	3		0	0.00	0	0.00
3.	असम	23	134	0	0.00	0	0.00
4.	बिहार	42	589	3	0.51	9	1.53

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा	3	12	0	0.00	0	0.00
6.	गुजरात	19	184	13	7.07	15	8.15
7.	हरियाणा	17	108	33	30.56	8	7.41
8.	हिमाचल प्रदेश	12	69	0	0.00	0	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	14	123	0	0.00	0	0.00
10.	कर्नाटक	19	175	7	4.00	9	5.14
11.	केरल	14	154	0	0.00	0	0.00
12.	मध्य प्रदेश	45	459	2	0.44	1	0.22
13.	महाराष्ट्र	29	231	2	0.87	6	2.60
14.	मणिपुर	6	26	0	0.00	0	0.00
15.	मेघालय	5	29	0	0.00	0	0.00
16.	मिजोरम	3	20		आकलन नहीं किया गया		
17.	नागालैण्ड	7	21	0	0.00	0	0.00
18.	उड़ीसा	30	314	4	1.27	4	1.27
19.	पंजाब	17	138	72	52.17	11	7.97
20.	राजस्थान	32	236	74	31.36	20	8.47
21.	सिक्किम	4	4		आकलन नहीं किया गया		
22.	तमिलनाडु	27	384	64	16.67	39	10.16
23.	त्रिपुरा	3	17	0	0.00	0	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	58	819	19	2.32	21	2.56
25.	पश्चिम बंगाल	16	341	0	0.00	1	0.29
	कुल राज्य	470	5691	305		158	

1 अंडमान व निकोबार

1	2	3	4	5	6	7	8
2	चण्डीगढ़						
3	दादरा व नगर हवेली						
4	दमन व दीव		2	1	50.00	1	50.00
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		5	3	60.00	1	20.00
6	लक्षद्वीप		9	0	0.00	0	0.00
7	पाण्डिचेरी		4	1	25.00	–	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र		20	5		2	
	कुल जोड़		5711	310		160	

टिप्पणी : आंध्र प्रदेश–मंडल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र–तालुका/तहसीलें

पर्यटन क्षेत्र में कम विकास

***412. श्री अरूण कुमार** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल एक प्रतिशत हिस्सा ही व्यय करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह खर्च विश्व में सबसे कम है;

(ग) क्या पर्यटन क्षेत्र के कम विकास के लिए यह कारक भी जिम्मेदार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पर्यटन के विकास हेतु योजना स्कीमों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का बजट सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.026 प्रतिशत के लगभग रहा है।

(ख) अन्य देशों के संबंध में तुलनीय सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) पर्यटन के विकास हेतु सरकारी व्यय ही एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं है। पर्यटन पर नीति यह है कि इसका संचालन निजी क्षेत्र द्वारा हो, जिसमें सरकार एक पूर्व–सक्रिय सुविधाकारक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें। सरकार निजी क्षेत्र को विभिन्न करों में रियायतें तथा प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो पर्यटन विकास में सहायता करते हैं। सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटकों के आगमन, विदेशी मुद्रा आय तथा घरेलू पर्यटकों के आगमन में सामान्यतया सकारात्मक वृद्धि हुई है।

(घ) वर्ष 2002–2003 में योजना स्कीमों के लिए 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 50 प्रतिशत अधिक है। दसवीं योजना के लिए योजना आयोग ने, नौवीं योजना के दौरान वास्तव में प्रदान किए गए 595 करोड़ रुपए की तुलना में 2900 करोड़ रुपए का आवंटन निर्दिष्ट किया है।

नारियल जटा के प्रयोग को बढ़ावा देना

***413. श्री एस. मुरूगेसन** : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विज्ञापनों और अन्य विपणन तकनीकों के माध्यम से नारियल जटा (कॉयर) के व्यापक प्रयोग को

बढ़ावा देने और इसका समर्थन करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) कॉयर बोर्ड घरेलू बाजार में कॉयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रचार एवं संवर्धनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ करता है, उत्सव बिक्री अभियान, क्रेता–विक्रेता मिलन आयोजित करता है और महत्वपूर्ण व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग भी लेता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केन्द्र

***414. योगी आदित्यनाथ :**
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केन्द्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन केन्द्रों पर और अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन केन्द्रों के विकास के लिए राज्यों को कितनी निधियां प्रदान की गई हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) हालांकि देश में बड़ी संख्या में पर्यटक केन्द्र/स्थल हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाता है। उनमें से किसी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक केन्द्र के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा करने की कोई प्रथा नहीं है।

(ग) देश में स्वेदशी और विदेशी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए निम्ननिखित कदम उठाए गए हैं :

- सुरक्षित और संरक्षित गंतव्य स्थल के रूप में भारत का प्रचार–प्रसार करना।
- पश्चिमी और उत्तरी विश्व में विपणन बढ़ाना।
- विशेषरूप से चीन, कोरिया, जापान, ताईवान, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया के संबंध में पूर्व और दक्षिण में नए स्थानों की खोज करना।
- पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना।
- एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना।
- नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना।
- विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन।
- सतत एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।
- ग्रामीण और लघु पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना, तथा
- सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना।

(घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श करके प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटक रुचि के स्थलों में पर्यटन के संवर्धन और विकास के लिए 1563 परियोजनाओं को 372 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी।

चावल का उत्पादन

*415. **श्री सुबोध राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल के उत्पादन में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश के, विशेषतः बिहार के चावल उत्पादक किसानों के लिए क्या प्रोत्साहन/योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। गत चार वर्षों के दौरान देश में चावल का उत्पादन निम्नानुसार था :

(भारत)

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)
1998–99	86.00
1990–00	89.68
2000–01	84.87
2001–02	91.61 (अनुमानित)

उत्पादन काफी हद तक मानसून पर निर्भर करता है क्योंकि चावल की खेती क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत ही सिंचित था।

(ग) जी, हां।

(घ) (1) चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1994–95 से बिहार सहित चावल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में चावल आधारित फसलन प्रणाली वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की गई जिसे वर्ष 2000 तक जारी रखा गया। अक्तूबर, 2000 से यह स्कीम वृहत प्रबंधन प्रणाली के तहत 26 अन्य स्कीमों के साथ समाहित कर दी गई है ताकि राज्यों को उनकी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। वृहत प्रबंधन प्रणाली स्कीम के लिए राज्यों को निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति एक मुश्त कर दी जाती है और अलग–अलग फसल के आधार पर मुहैया नहीं की जाती।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चावल की खेती के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी पर कृषकों के खेतों पर अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(3) बिहार सहित पूर्वी राज्यों में आन फार्म जल प्रबंधन स्कीम शुरू की गई है ताकि चावल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सतही और भूजल का अनुकूलतम उपयोग हो सके।

(4) संकर चावल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन हेतु दसवीं योजना के लिए एक नई स्कीम पर विचार किया जा रहा है।

बांधों के निर्माण से प्रदूषण

*416. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांधों के निर्माण और जल–विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से जल प्रदूषण फैलता है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रदूषण किस किस्म का है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की राय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत के बाहर भी इसी प्रकार की कोई रिपोर्ट मिलने की सरकार को जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) बांधों के निर्माणों और पनबिजली उत्पादन के परिणामस्वरूप जल के जमाव से घुलित आक्सीजन (डीओ) स्तर में कमी आ जाती है और जल जमाव के कारण घुलित कार्बन डाइक्साइड (सीओ2) का स्तर बढ़ जाता है।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तीन जलाशयों अर्थात् भाखड़ा जलाशय, पोंग जलाशय और पांडोह बांध के जल की गुणता का अध्ययन किया है। अध्ययन से यह पता चला है कि घुलित आक्सीजल (डीओ) में कमी होती है और जैव रसायन आक्सीजन मांग (बीओडी) तत्वों में वृद्धि अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका की तुलना में गहराई परिच्छेदिका में अधिक तेजी से होती है। आगे यह भी देखा गया है कि जैव रसायन आक्सीजन मांग दोनों अनुदैर्ध्य और गहराई परिच्छेदिका जलाशयों में बढ़ती है।

(ङ) और (च) इस संबंध में अमेरिका और कनाडा के बांधों का भी अध्ययन किया गया है। निष्कर्ष स्थान पहलुओं पर निर्भर करते हैं और सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

[अनुवाद]

उत्सर्जन मानदंड

***417. श्री सुबोध मोहिते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने उत्सर्जन मानदंडों को और अधिक कड़ा करने संबंधी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव और इस पर लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मानदंड देश भर में लागू किए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों के लिए कड़े मानदण्ड प्रस्तावित किए हैं जो इस प्रकार हैं :

वाहनों का वर्ग	वाहन का प्रकार	वर्तमान कार्बन मोनोऑक्साइड मानक (सीओ) %	वर्तमान हाइड्रोकार्बन मानक (एचसी) (पीपीएम)	प्रस्तावित कार्बन मोनोऑक्साइड मानक (सीओ) %	प्रस्तावित हाइड्रोकार्बन मानक (एचसी) (पीपीएम)
दुपहिए.	दो स्ट्रोक	4.5	–	3.5	7000
तिपहिए	चार स्ट्रोक	4.5	–	2.5	1000
चार पहिए वाले वाहन	बिना सी सी	3.0	–	1.5	600
	सी सी सहित	3.0	–	0.5	200
	या				
	सीएनजी प्रयोग करने वाले				

(सी सी – कैटालिटिक कन्वर्टर) (सीएनजी – संपीड़ित प्राकृतिक गैस) (पीपीएम) पार्ट्स पर मिलियन)

इन मानदण्डों को पूरे देश में लागू करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विचारार्थ और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए सिफारिश की गई है।

पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल शहर

*418. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ प्रमुख शहरों को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल शहर बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाए जा रहे इन शहरों को विदेशी सहयोग से विकसित किया जाएगा या इन शहरों में प्रदूषण फैलाने पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) सरकार ने चुनिंदा शहरों/कस्बों में अभिनिर्धारित पर्यावरणीय सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से पर्यावरण में सुधार तथा स्पष्ट परिणाम सामने लाने के उद्देश्य से 10वीं योजना के दौरान "इको–सिटी" स्कीम शुरू की है। "इको–सिटी" स्कीम के विभिन्न घटकों में पर्यावरणीय संसाधनों की सुरक्षा, सामाजिक–आर्थिक तथा रहन–सहन संबंधी परिस्थितियों में सुधार करना, पर्यावरण के अनुकूल विकास संबंधी गतिविधियों की योजना बनाना, सफाई संबंधी परिस्थितियों में सुधार करना, सौन्दर्यपरक, भू–दृश्य–निर्माण, यातायात और परिवहन शामिल हैं। स्कीम, केन्द्र सरकार द्वारा निधिकरण से प्रारम्भ की गई है। विदेशी सहयोग, इंडो–जर्मन तकनीकी सहयोग के तहत तकनीकी सहयोग संबंधी जर्मन एजेंसी के माध्यम से स्थानीय कर्मचारियों की तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण आवश्यकताओं तक सीमित है। एक व्यापक शहरी सुधार प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण में सुधार, प्रदूषण उपशमन तथा सतत विकास की प्राप्ति के उद्देश्य से दो परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश में ताज इको सिटी तथा केरल में कोट्टायम–कुमाराकोम इको सिटी कार्यक्रम, शुरू की गई है।

प्रदूषण नियंत्रण

*419. **श्री ई. अहमद** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु अब तक किए गए विभिन्न उपायों के इच्छित परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वे कौन–कौन से विशेष क्षेत्र हैं, जिनमें इन उपायों के इच्छित परिणाम नहीं निकले हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए यदि कोई रणनीति तैयार की जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) सरकार द्वारा समय–समय पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। परिणामस्वरूप, प्रदूषण के बढ़ते रुख पर रोक लगी है। किए गए विभिन्न उपायों में वाहन संबंधी उत्सर्जन मानदण्डों को कड़ा बनाया जाना, ईंधन की गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करना, साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों और मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना करना शामिल है। नगर ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट क प्रबंधन के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। प्रदूषण को नियंत्रित करने की रणनीति में औद्योगिक प्रदूषण, वाहन जनित उत्सर्जन और अन्य मानव गतिविधियों जैसे विभिन्न स्रोतों से वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण को रोकने संबंधी विनियामक और प्रोत्साहनात्मक उपाय शामिल हैं।

वर्षा जल के उपयोग संबंधी अनुसंधान

*420. **श्री रामदास आठवले** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में जल संकट से निपटने के लिए, उपयोग में नहीं लाए जा रहे वर्षा जल का उपयोग करने संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में वर्षा जल के उपयोग के बारे में कोई तकनीक मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो यह कहां तक उपयोगी रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय जल नीति में अन्य बातों के साथ–साथ जल संचयन और भूमि जल पुनर्भरण, जल संरक्षण, बेहतर जल प्रबंधन पद्धतियों एवं प्रचालन प्रौद्योगिकी में सुधार जैसे क्षेत्रों में गहन अनुसंधान कार्यों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वर्षा जल संचयन प्रौद्योगिकी बहुत सक्षम एवं लागत प्रभावी है। वर्षा जल संचयन के कुछ उपाय परिश्रवण टैंक्स, चैक बांध, गैबियन संरचना, डग वैल पुनर्भरण संरचना, पुनर्भरण शाफ्ट्स, छत के वर्षा जल का संग्रहण हैं। जल के संरक्षण में जल संवर्धन, उसके कुशल उपयोग और जल गुणवत्ता संरक्षण द्वारा विभिन्न नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है और देश में इनका प्रयोग किया जा रहा है। एक दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के महत्व एवं जल संरक्षण की आवश्यकता तथा लोगों की भागीदारी से इसके सक्षम उपयोग पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने इन नई तकनीकों की उपयोगिता की जानकारी देने के लिए प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम के तहत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में 174 स्कीमें प्रारंभ की गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत जल प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन के लिए राज्य सरकारों और अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी मुहैया करा रहा है।

तदनुसार, बहुत–सी राज्य सरकारों ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के लिए तालाबों, नहरों एवं नदियों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय प्रारंभ किए हैं। जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पानी रोको अभियान प्रारंभ किया है तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने नीरू–मीरू (जल और हम) नामक कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान सरकार ने अपने पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण प्रारंभ कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुदकिस का निर्माण, मौजूदा कुओं और अन्य जल स्रोतों को गहरा करने और उनके मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया है। गुजरात सरकार ने भी मौजूदा जल स्रोतों का पुनरुद्धार कार्य प्रारंभ कर दिया है।

एअर इंडिया के वाणिज्यिक कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

4137. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया को अपने वाणिज्यिक कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वाणिज्यिक प्रबंधक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर एक माह के भीतर रख दी जाएगी।

सड़कों के विकास हेतु धनराशि

4138. श्री टी. गोविन्दन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत ईरूमे–चलक्कयम सड़क की 3.02 कि.मी. की शेष लंबाई के विकास हेतु केरल सरकार से 3.20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) ईरूमे–चलक्कयम सड़क के सुधार के लिए पहले

केंद्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा यह कार्य तीन चरणों में शुरू किया गया था और इसके दो चरण पूरे कर लिए गए हैं। तथापि, चरण–III शुरू नहीं किया था। राज्य सरकार ने कार्य के चरण–III के लिए नई केंद्रीय सड़क निधि जो 2000–01 से प्रचालन में है, के अंतर्गत स्वीकृति के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नीति के अनुसार, केंद्रीय सड़क निधि कार्यों के लिए संशोधित प्राक्कलन अनुमोदित नहीं किए जाते। राज्य सरकार से अनुमोदित कार्य को बंद करने और नई केंद्रीय सड़क निधि के तहत प्रस्ताव पर आगे विचार के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। स्पष्टीकरण अभी प्राप्त होने हैं।

ट्रैक्टर की खरीद

4139. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ट्रैक्टर खरीदने वाले अधिकांश किसान ब्याज और किश्त का भुगतान करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) राजस्थान में ब्याज और किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ किसानों की अधिकांश संख्या के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि राज्य में ट्रैक्टरों के लिए बैंक ऋण की वसूली सामान्यतया अन्य गतिविधियों से बेहतर है। अधिकतर लाभभोगियों ने उनके द्वारा लिए गए ट्रैक्टर ऋणों से लाभ प्राप्त किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नैफेड को होने वाला घाटा

4140. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट संख्या 10 में दलहन के आयात के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच करवाई गई है और घाटे के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्थायी समिति की वर्ष 2001 की दसवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा की गई। सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्थायी समिति को सूचित किया गया कि कोई जांच किए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नैफेड द्वारा दलहनों के आयात में हुई हानियां उनकी अकुशलता के कारण नहीं हुई थीं बल्कि उस समय के निम्न मूल्यों के साथ मंडी में मांग में चल रही मंदी के कारण थीं। तथापि, सरकार ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भविष्य में एक अधिक व्यवस्थित और सतर्क दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति प्रकट की है।

[हिन्दी]

नए होटलों और यात्री निवास का खोला जाना

4141. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व बैंक की सहायता से उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के प्रमुख धार्मिक स्थानों, पर्यटन केन्द्रों पर नए होटल और यात्री निवास खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"नीम" की राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में घोषणा

4142. श्री राम टहल चौधरी :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "नीम" के वृक्ष की राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा "बरगद" को राष्ट्रीय वृक्ष पहले ही घोषित किया गया है। अतः "नीम" को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्रों को साफ करना

4143. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम और अन्य राज्यों में पर्वतीय क्षेत्रों को साफ करने की तीव्र गतिविधि की ओर आकर्षित कराया गया है जो स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मृदा अपर्दन, भूकंपीय और आस–पास की बस्तियों के लिए अन्य खतरों के संबंध में अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप होने वाली आपदाओं से बचने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) इस संबंध में कोई विशिष्ट घटना इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण नुकसान

4144. श्री रामानंद सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष ओलावृष्टि के कारण रबी की कुछ फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह वित्तीय सहायता नुकसान की तुलना में अत्यल्प है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) ओलावृष्टि समेत प्राकृतिक आपदाओं के समय तत्काल राहत उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस उद्देश्य के लिए राज्य के पास आपदा राहत कोष (सीआरएफ) के अंतर्गत कोषों की तत्काल उपलब्धता होती है। वर्ष 2001– 2002 और 2002–2003 के लिए आपदा राहत कोष का संपूर्ण केन्द्रीय अंश राय को निर्मुक्त किया जा चुका है। राहत के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आपदा राहत कोष से सहायता के लिए व्यय की मदें और मानदण्ड में जहां फसल हानि 50 प्रतिशत या उससे अधिक हुई है वहां छोटे और सीमांत किसानों को आदान राज सहायता का प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत किसान क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए भी हकदार है।

[अनुवाद]

बागवानी उत्पादों का निर्यात

4145. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रह हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) बागवानी उत्पादों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने तथा क्वालिटी में सुधार करने और फसल कटाई पश्चात प्रबंधन की दृष्टि से सरकार कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। उत्पाद·ा/उत्पादकता में वृद्धि और क्वालिटी में सुधार से इन उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। इसके अलावा कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने बागवानी उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खेती पद्धतियों, भंडारण, ढुलाई में सुधार तथा गुणवत्ता सुधार से सबंधित कार्यक्रम।
2. संभावना वाली मंडियों में फल और सब्जियों की निर्यात क्षमता वाली किस्मों के संवर्धक कार्यक्रम।
3. संभावना वाले फलों तथा सब्जियों के उत्पादन मंडियों एवं सेवाओं से संबंधित डेटाबेस का विकास।
4. प्रचार तथा सूचना प्रसार के लिए, भारत तथा विदेश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा लेना।
5. क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन और जागरूकता के माध्यम से अन्य समर्थन सेवाएं मुहैया करना।
6. कच्ची सामग्री के विकास और स्रोत के प्रयोजन के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना, उनका प्रसंस्करण, पैकेजिंग ताकि उन्हें अंतिम रूप से तैयार करके निर्यात किया जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

4146. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री वीर सिंह महतो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से जम्मू–कश्मीर और पश्चिम बंगाल में लाभान्वित किसानों का पृथक–पृथक जिला–वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम रबी 1999–2000 मौसम से ही कार्यान्वयनाधीन है। जम्मू तथा कश्मीर ने अभी तक इस स्कीम को नहीं चुना है। पश्चिम बंगाल ने रबी 2000–2001 मौसम से यह स्कीम कार्यान्वित की है। पश्चिम बंगाल में उस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की जिलावार संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जिलों का नाम	लाभान्वित किसानों की संख्या
बर्दवान	70
बीरभूम	1257
जलपाईगुड़ी	248
मालदा	2759
मिदनापुर (पूर्वी)	3368
हावड़ा	571
हुगली	427
मिदनापुर (पश्चिमी)	672
मुर्शिदाबाद	327
24 परगना (उत्तरी)	5836
दीनाजपुर (दक्षिणी तथा उत्तरी दोनों)	2523
कूच बिहार	162
24 परगना (दक्षिणी)	276
नाडिया	2643

[अनुवाद]

पानागढ़ से बुदबुद तक राष्ट्रीय राजमार्ग

4147. श्री सुनील खां : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पानागढ़ से बुदबुद तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) बुदबुद के लिए बाईपास के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के पानागढ़ बुदबुद–पालसित खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य वार्षिकी आधार पर जून, 2002 शुरू हो गया है।

(ग) यह एक वार्षिकी परियोजना है जिसकी रियायत अवधि 2.5 वर्ष की निर्माण अवधि सहित 17.5 वर्ष है। रियायतग्राही प्रथम 2.5 वर्ष में परियोजना का निर्माण पूरा करेगा। तदुपरांत, वह 15 वर्ष के लिए परियोजना का अनुरक्षण और परिचालन करेगा जिसके दौरान उसे छमाही आधार पर 55.5 करोड़ रु. का वार्षिकी भुगतान किया जाएगा।

[हिन्दी]

कार्यालय व्यय

4148. श्री रामदास आठवले : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न शीर्षों जैसे प्रचार, विज्ञापन, स्वागत–सत्कार, खान–पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, दौरों (विदेश दौरों सहित) एस.टी.डी. और आइ.एस.डी. टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों विशेषकर एयरकंडीशनर्स और कूलर्स के बिलों पर वर्ष–वार कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त शीर्षों के अंतर्गत किए जा रहे व्यय को कम करने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) पूर्व जल भूतल परिवहन मंत्रालय का विभाजन करके नवंबर, 2000 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किया गया था। स्टाफ का औपचारिक विभाजन 1.6.2001 से प्रभावी हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कोई विभाग और उपक्रम नहीं है। वित्त वर्ष 2001–02 और 2002–03 (जुलाई, 2002 तक) के दौरान मंत्रालय के विभिन्न बजट उप शीर्षों के तहत किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

उप शीर्ष	वित्त वर्ष 2001–02	वित्त वर्ष 2002–03 (31 जुलाई तक)
विज्ञापन/प्रचार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
आतिथ्य सत्कार	5,76,217 रु.	1,23,848 रु.
टेलीफोन	55,50,055 रु.	9,96,637 रु.
यात्रा भत्ता (घरेलू)	17,30,000 रु.	2,82,872 रु.
यात्रा भत्ता (विदेशी)	22,93,704 रु.	9,36,079 रु.
विद्युत	9,76,446 रु.	1,29,918 रु.

एअरकंडीशनरों और कूलरों के विद्युत बिलों पर किए गए व्यय के संबंध में कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ) वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, व्यय में कटौती के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

फसल की किस्मों संबंधी अनुसंधान

4149. प्रो. रासासिंह रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अधिकाश मरुस्थलों और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कम जल की आवश्यकताओं और उपज बढ़ाने वाली फसल की किस्मों के संबंध में कृषि प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान की मिट्टी के संदर्भ में तिलहन, मूंगफली और दलहन के अनुसंधान और विकास के लिए नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मरुस्थल/सूखा प्रभावित क्षेत्रों में तिलहन और दलहन और अन्य फसलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय विशेषकर राजस्थान स्थित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर और इनके क्षेत्रीय केन्द्र आदि उन फसली किस्मों पर कार्य कर रहे हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है तथा ये ऐसी किस्मों पर भी कार्य कर रहे हैं जो उत्पादन और उत्पादकता में भी सुधार लाती हैं। मृदा, जल, पोषकतत्व, नाशीजीव नियंत्रण आदि सहित अनेक समेकित भूमि प्रबन्धन तकनीकों से संबंधित अनुसंधान कार्य भी भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त अनुसंधान कार्यों से प्रबन्धन कृषि क्रियाओं के अलावा अनेक सूखा सहिष्णु और लघु अवधि वाली फसली किस्मों का सफलतापूर्वक विकास हुआ है। शुष्क पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयोगी सूखा सहिष्णु नई किस्मों में बाजरे की एच.एच.बी.–67, आई.सी.एम.एच.–356, आर.एच.बी.–30, पूसा–23 आदि किस्में; ग्वार की मारू ग्वार, आर.जी.सी.–936, आर.जी.सी–1002 किस्में; मोठ की मारू मोठ (जे.एम.एम.–259), काजरी मोठ–1, आर.एम.ओ.–40 आर.एम.ओ.–257 किस्में; कुलथी की मारू कुलथी किस्म; मूंग की आर.एम.सी.–62 और के–091 किस्में तथा लोबिया की चरोडी–1, सी–152, सी. ए.जैड.सी.–10 आदि किस्में शामिल हैं। ये किस्में सूखे की अवधि के दौरान उस क्षेत्र के किसानों की सहायता कर रही हैं।

(ग) और (घ) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित एक स्कीम केन्द्र द्वारा प्रायोजित की गई है जिसका क्रियान्वयन राजस्थान सहित 28 राज्यों में किया जा रहा है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम की स्कीम के तहत मूंगफली सहित 9 तिलहनी फसलों पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार दलहनों के विकास के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम राजस्थान सहित 30 राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। विशषतौर पर राजस्थान के संदर्भ में ग्वार और मोठ सहित लगभग सभी दलहनों को राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की स्कीम के दायरे में लाया गया है।

इन स्कीमों के अन्तर्गत राजस्थान सहित देश में तिलहनों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीजों, बीज के मिनीकिटों, सुधरे खेती के उपकरणों, स्प्रिंक्लर सेटों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम/पाइराइट आदि का उत्पादन और वितरण करने के लिए सहायता मुहैया की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन और सुरक्षा की उन्नत प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रपंक्ति प्रदर्शनों तथा राज्य कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक प्रदर्शनों का किसानों के खेतों पर आयोजन किया जाता है।

(ङ) इस समय शुष्क पश्चिमी राजस्थान में कुल फसली क्षेत्र के 44 प्रतिशत क्षेत्र में अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। जबकि लगभग 19 प्रतिशत क्षेत्र में दलहनें उगाई जाती है तथा केवल 8 प्रतिशत क्षेत्र में तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। राजस्थान के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में तिलहनों, दलहनों और दूसरी फसलों की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। तथापि, राजस्थान में हाल में हुई वर्षा से तिलहनों और दलहनों की पहले से बोई हुई फसलों के संजीवन की आशा बढ़ी है।

[अनुवाद]

चार लेन वाले राजमार्ग का निर्माण

4150. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 331 करोड़ रुपए की लागत से बंगलौर और मैसूर के बीच चार लेन वाले राजमार्ग के निर्माण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य को वित्तीय सहयता प्रदान करने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। बंगलौर और मैसूर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल चार लेन का नहीं बनाया जा रहा है। तथापि, कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने 331 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बंगलौर और मैसूर को जोड़ने वाले राज्यीय राजमार्ग के साथ एक चार लेन की सड़क के निर्माण का निर्णय लिया है।

(ख) कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत इस परियोजना के लिए किसी वित्तीय सहायता का अनुरोध नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम

4151. श्री ए. नरेन्द्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के संग्रहण का आधुनिकीकरण करने और बाढ़ पूर्वानुमान की सक्रियता का अद्यतन करने संबंधी विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम को वर्ष 1996 में शुरू किया गया और इसे मार्च, 2002 तक पूरा किया जाना था, पर इसे और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कितने कार्यक्रम चल रहे हैं;

(ग) प्रत्येक कार्यक्रम में अब तक कितनी प्रगति हुई;

(घ) राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) इन कार्यक्रमों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) यह जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित है। जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मऊ में चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान

4152. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, कुशमौर का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस संस्थान को कृषि मंत्रालय के अंतर्गत चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में चलाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से राष्ट्रीय गन्ना एवं शर्करा प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ का अधिग्रहण करने के बाद नई दिल्ली में स्थित अपने संस्थान नामतः राष्ट्रीय कृषि उपयोग सूक्ष्मजीव ब्यूरो को मऊ में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से परामर्श करते हुए राष्ट्रीय गन्ना एवं शर्करा प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ की परिसम्पतियों तथा दायित्वों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंपने संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस अंतरण की प्रक्रिया को तय करने के लिए विभाग से वित्तीय तथा अन्य दायित्वों से संबंधित कुछ विवरणों के बारे में कुछेक स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

(अनुवाद)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर विभाजक का निर्माण

4153. श्री रामजी मांझी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाजक न होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त राजमार्ग पर विभाजक के निर्माण का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) माध्य विभाजिका (डिवाइडर) के न होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग–8 पर हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के दिल्ली से जयपुर खंड और मनोर से मुंबई खंड को माध्य विभाजिका के साथ 4 लेन का पहले ही बनाया गया है। रा.रा. 8 के शेष खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) के स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत माध्य विभाजिका के प्रावधान सहित 4 लेन का बनाया जा रहा है और इन परियोजनाओं को काफी हद तक दिसम्बर, 2003 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

ट्रैवल एजेंटों द्वारा टिकट जारी करने पर बैंक गारंटी

4154. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने ट्रैवल एजेंटों द्वारा टिकट जारी करने पर बैंक गारंटी को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स एजेंटों को बैंक गारंटी से अधिक व्यापार करने की भी अनुमति देती है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले दो महिनों के दौरान बिक्री बढ़ाने पर इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) पिछले 12 महीनों से जिस अभिकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार की अनियमिता दर्ज नहीं की गई है उसके मामले में इंडियन एयरलाइन्स ने भारत में घरेलू बिक्री के लिए बैंक गारंटी की अपेक्षा को समाप्त करने का निर्णय किया है।

इंडियन एयरलाइन्स ने घरेलू बिक्री पर और भारत–नेपाल, भारत–माले तथा भारत–बंगलादेश सैक्टरों पर केयल गैर–आयटा अभिकर्ताओं द्वारा की गई बिक्री पर भुगतान में चूक के साख–जोखिम पर भारत में की गई बिक्री के लिए एक बीमा कवच/इंश्योरेंस कवर बनाया है। यह बीमा कवच केवल एक वर्ष की अवधि अर्थात 1 मई, 2002 से 30 अप्रैल, 2003 तक विधिमान्य है। इससे इंडियन एयरलाइन्स के लिए एजेंटों के माध्यम से की जाने वाली बिक्री पर से प्रतिबंध हटाया जाना संभव हो पाया है । ऐसे एजेंटों द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर बीमा कंपनी इंडियन एयरलाइंस को देय राशि का भुगतान करेगी। इस प्रक्रिया से घरेलू सैक्टरों पर ओवर–ट्रेडिंग (सीट क्षमता से अधिकि टिकट की बिक्री) की संकल्पना अब वैध नहीं है।

भारत में की गई अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन (आयटा) द्वारा अनुमोदित एजेंट आयटा को एक बैंक गारंटी देते हैं। इस बैंक गारंटी में एजेंट द्वारा किसी भी एयरलाइन में की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय टिकटों की बिक्री शामिल है।

चूंकि बीमा कवच/इंश्योरेंस कवर 1 मई, 2002 को ही शुरू किया गया है, इससे बिक्री पर क्या असर पड़ेगा, इसका अभी अंदाजा नहीं लगया जा सकता है।

प्रदूषण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन

4155. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य–वार प्रदूषण संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) उक्तावधि के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालु) : (क) से (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन संबंधी दोषियों के विरुद्ध दायर किए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण के मामले में हुई प्रगति में अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों के तहत पहचान किए गए दोषी उद्योगों की संख्या में कमी तथा नदियों और झीलों में अपशिष्ट जल छोड़ने वाले दोषी उद्योगों की संख्या में कमी का होना शामिल है। साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना संबंधी संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

विवरण

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	असम	35
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	आन्ध्र प्रदेश	462
4.	बिहार	9*
5.	छत्तीसगढ़	–
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	47
8.	हरियाणा	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–
10.	जम्मू और कश्मीर	48
11.	केरल	5
12.	कर्नाटक	48
13.	महाराष्ट्र	43
14.	मध्य प्रदेश	34
15.	मेघालय	–
16.	मणिपुर	–
17.	मिजोरम	–
18.	नागालैण्ड	–
19.	उड़ीसा	15
20.	पंजाब	–
21.	राजस्थान	–
22.	सिक्किम	–
23.	तमिलनाडु	–
24.	त्रिपुरा	4
25.	उत्तर प्रदेश	–
26.	उत्तरांचल	–
27.	पश्चिम बंगाल	–
28.	अण्डमान और निकोबार	–
29.	दमन दीव और दादरा नगर हवेली	–
30.	लक्षद्वीप	–
31.	दिल्ली	–

1	2	3
32.	चण्डीगढ़	–
33.	पांडिचेरी	

*आंकड़े राज्य के विभाजन से पहले दो वर्षों (अप्रैल, 1999–मार्च, 2001) के हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कृषि प्रोत्साहन योजना

4156. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में कृषि प्रोत्साहन के संबंध में कोई ठोस योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्तावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में वर्ष–वार कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य में वर्ष–वार कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सभावना है; और

(घ) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) दसवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि योजना का वृहद प्रबंधन, आन फार्म जल प्रबंध, गहन कपास विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम जैसी कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2002–03 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हेतु खाद्यान्न उत्पादन के लिए लक्ष्य 470.15 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

वृहत प्रबंधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 68.85 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002–03 हेतु उत्तर प्रदेश के लिए गहन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 16.00 करोड़ रुपए की राशि और आन फार्म जल प्रबंधन योजना के अंतर्गत 19.17 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है। वर्ष 2002–03 के लिए तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 89.77 लाख रुपए की राशि आवंटित की गयी है। योजना आयोग द्वारा दसवीं योजना की शेष अवधि के लिए कृषि और सहकारिता विभाग को वार्षिक आवंटन के आधार पर कोष वितरित किए जाएंगे।

सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

4157. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विचार करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार वर्ष 2001–2002 के दौरान और आगामी वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार सोयाबीन के समर्थन मूल्य की घोषणा करेगी; और

(ग) यदि हां, जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) सोयाबीन (काला और पीला) सहित विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय (समूचे देश में एक समान) कृषि लागत तथा मूल्य आयोग खेती की लागत, मांग तथा आपूर्ति, आदान और उत्पादन मूल्यों, कृषि हेतु व्यापार की शर्तों, मूल्यों में अंतर फसल साम्यता, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों आदि जैसे बहुत से घटकों और उपरोक्त पहलुओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकारों और अन्य हित रखने वाले समूहों से अतिरिक्त प्रश्नावलियों के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी को ध्यान में रखता है। मध्य प्रदेश सरकार के विचारों को भी ध्यान में रखा गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने 2001–02 मौसम के लिए सोयाबीन सहित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए है। सोयाबीन (काला) के लिए 795 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन (पीला) के लिए 885 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों, मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों के विचारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा ऐसे अन्य संबद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है जो समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।

[अनुवाद]

'बॉट' योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

4158. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में बिल्ड आपरेट एंड ट्रांसफर (बॉट) योजना के तहत कितने राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य शुरू किया गया;

(ख) महाराष्ट्र में 'बॉट' योजना के तहत अब तक कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी की गईं;

(ग) क्या प्राइवेट निवेशकों ने राज्य में 'बॉट' योजना के तहत सड़कों के निर्माण में अधिक रूचि नहीं दिखाई है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सड़क अवसंरचना के विकास में प्राइवेट निवेशकों को आकृष्ट करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) स्कीम के तहत शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) बी ओ टी स्कीम के तहत महाराष्ट्र में निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गई हैं :

(i) सुरंग के साथ अतिरिक्त दो लेनों का निर्माण तथा रा.रा. 4 पर पुणे और सतारा के बीच खम्बातकी घाट में 773/0 से 781/0 कि.मी. तक 2 लेन के विद्यमान खंड का सुदृढ़ीकरण।

(ii) रा.रा. 3 (मुंबई-आगरा सड़क) पर नरेलाना गांव के समीप 228.00 कि.मी. पर आर ओ बी और उसके पहुंच मार्गों का निर्माण।

(iii) रा.रा. 6 (नागपुर-रायपुर सड़क) के 491 कि.मी. पर वेनगंगा पुल का निर्माण।

(iv) रा.रा. 6 पर नसीराबाद में आर ओ बी का निर्माण।

(v) रा.रा. 13 पर पातालगंगा पुल का निर्माण।

(ग) निजी निवेशकों ने महाराष्ट्र राज्य में बी ओ टी स्कीम के तहत सड़कों के निर्माण में पर्याप्त रुचि दर्शायी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सड़क अवसंरचना के विकास में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं :

(i) 10 वर्ष के लिए 100 प्रतिशत कर छूट जो 20 वर्ष में प्राप्त की जानी है।

(ii) 30 वर्ष तक रियायत अवधि की अनुमति दी गई है।

(iii) राजमार्ग निर्माण के लिए सच्च क्षमता के आधुनिक उपस्करों का शुल्क मुक्त आयात।

(iv) सरकार द्वारा निःशुल्क और सभी ऋणभार से मुक्त भूमि प्रदान की जाती है।

(v) सरकार द्वारा मामला दर मामला आधार पर अर्थक्षमता में वृद्धि के लिए परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक पूंजी अनुदान प्रदान किया जाता है।

(vi) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बी ओ टी परियोजनाओं में कुल इक्विटी के 30 प्रतिशत तक इक्विटी में भागीदारी की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, कुछ परियोजनाएं वार्षिकी आधार पर भी सौंपी जाती हैं।

विवरण

बी ओ टी आधार पर शुरू को गई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना
1	2	3
1.	कर्नाटक	(i) रा.रा. 4 पर हुबली–धारवाड़ बाईपास
		(ii) रा.रा. 4 पर तुमकुर–नीलमंगला (62–29.5) खंड
		(iii) रा.रा. 4 का महाराष्ट्र सीमा–बेलगाम (592–515 कि.मी.) खंड
2.	छत्तीसगढ़	रा.रा. 6 पर दुर्ग बाईपास
3.	गुजरात	(i) रा.रा. 8ए के 61/4 से 182/4 कि.मी. और रा.रा. 8बी के 185/0 से 216/8 कि.मी. तक चार लेन बनाना
		(ii) रा.रा. 8 के 193/4–6 कि.मी. पर अतिरिक्त दो लेन के नर्मदा पुल का निर्माण
		(iii) रा.रा. 8 के 92/2–8 कि.मी. पर अतिरिक्त दो लेन के माली पुल का निर्माण
		(iv) रा.रा. 8 के 33/43 से 42/18 कि.मी. के बीच अतिरिक्त दो लेन के वात्रक पुल का निर्माण
4.	राजस्थान	(i) रा.रा. 8 पर उदयपुर बाईपास
		(ii) रा.रा. 8 पर किशनगढ़ आर ओ बी
5.	पंजाब	रा.रा. 22 पर डेराबासी में आर ओ बी
6.	आंध्र प्रदेश	(i) रा.रा. 5 के चेन्नै–विजयवाड़ा खंड पर 6 पुलों का निर्माण
		(ii) रा.रा. 5 का अनाकपल्ली–तुनी (2.8 से 49 कि.मी.) खंड
		(iii) रा.रा. 5 का तुनी–धरमावरम (300 से 253 कि.मी.) खंड
		(iv) रा.रा. 5 का धरमावरम–राजमुंदरी (253 से 200 कि.मी.) खंड
		(v) रा.रा. 5 का नेल्लोर बाईपास (178.2 से 161 कि.मी.) खंड
		(vi) रा.रा. 5 का नेल्लोर–टाडा (163.6 से 52.8 कि.मी.) खंड
7.	तमिलनाडु	(i) रा.रा. 5 पर कोरतलैयार पुल
		(ii) रा.रा. 47 पर आतुपालम पुल और कोयम्बतूर बाईपास
		(iii) रा.रा. 45 का ताम्बरम–टिंडीवनम (28 से 121 कि.मी.) खंड
8.	महाराष्ट्र	(i) रा.रा. 3 पर थाणे–भिवंडी बाईपास और दो लेन की विद्यमान सड़क को चार लेन का बनाना तथा कसेली क्रीक पुल पर दो लेन के नए पुल का निर्माण

1	2	3
		(ii) सुरंग के साथ अतिरिक्त दो लेनों का निर्माण तथा रा.रा. 4 पर पुणे और सतारा के बीच खम्बातकी घाट में 773/0 से 781/0 कि.मी. लेन के विद्यमान खंड का सुदृढ़ीकरण।
		(iii) रा.रा. 3 पर नरदाना गांव के समीप 228.00 कि.मी. पर सड़क उपरि पुल
		(iv) रा.रा. 6 (नागपुर–रायपुर सड़क) के 491 कि.मी. पर वेनगंगा पुल
		(v) रा.रा. 17 पर पातालगगा पुल
		(vi) रा.रा. 6 पर नसीराबाद में आर ओ बी
		(vii) रा.रा. 4 का सतारा–कागल (725–592.24 कि.मी.) खंड
9.	पश्चिम बंगाल	(i) रा.रा. 2 का पानागढ़–पालसित (517–581 कि.मी.) खंड
		(ii) रा.रा. 2 का पालसित–दनकुनी (581–646 कि.मी.) खंड

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3

4159. श्री अशोक अर्गल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुरैना के निकट आगरा–मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 को एक्सप्रेस हाइवे में तब्दील करने के तहत बनाए जा रहे उपरिपुल के ध्वस्त हो जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) उस कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिसे पुल के निर्माण का ठेका दिया गया है;

(च) क्या ठेके को निरस्त करने का कोई प्रावधान है;

(छ) यदि हां, तो इस ठेके के कब तक निरस्त किए जाने की संभावना है; और

(ज) इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के आगरा–मुंबई खंड के 70.00 कि.मी. से 85.00 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मुरैना के पास 85.00 कि.मी. पर आसन नदी पर पुल इस परियोजना का भाग है। इस पुल के लिए उप–ढांचा पूरा कर लिया गया है और ऊपरी ढांचे का कार्य चल रहा है। ढलाई के समय, पूर्व प्रबलन से पहले 25 जून, 2002 को एक हिस्सा ढह गया था।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) अभी कार्रवाई करना असामयिक होगा।

(च) जी, हां। ठेका करार में ठेकेदार द्वारा दायित्वों को पूरा न करने पर ठेके के समाप्ति का प्रावधान है।

(छ) और (ज) अभी ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का निरसन

4160. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 दोनों का निरसन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

4161. श्री राजो सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1978 के पश्चात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वन भूमि पर अलग–अलग कितने लोगों ने अतिक्रमण किया था;

(ख) क्या कुल अतिक्रमित वन भूमि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) गदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1978 से पूर्व के अविक्रमकों को कोई आवंटन किया गया था और अतिक्रमित परिवारों को वहां से हटाकर पुनर्वास स्थलों पर ले जाने के संबंध में किसी पैकेज पर निर्णय किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि 1367 लोगों ने 31 दिसम्बर, 1978 से पूर्व 2458.983 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था और 2271 लोगों ने 31 दिसम्बर, 1978 के बाद 2911.79 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर लिया था। अवैध कब्जों के अंतर्गत आने वाली वन भूमि की सीमा का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। पता चला है कि अवैध कब्जे मुख्यतया दक्षिण अंडमान, बरतंग, मध्य अंडमान, मयाबुन्दर और दिग्लीपुर वन डिवीजनों में किए गए हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1978 से पूर्व के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए 1367 हेक्टेयर वन भूमि के एक प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 19.8.1988 को अनुमोदित कर दिया था। इसमें एक शर्त रखी गई थी कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1978 के पूर्व के अवैध कब्जाधारियों को ऐसे निजी प्लाट आवंटित करने के संबंध में कार्रवाई कर सकता है जो एक हेक्टेयर से अधिक के नहीं होंगे।

[हिन्दी]

औषधीय पादप 'सेना' की खेती

4162. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विशेषकर राजस्थान के किसानों को राज्य में पाए गए औषधीय पादप 'सेना' की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस रोग का नाम क्या है जिसके उपचार हेतु 'सेना' पादप का प्रयोग किया जाता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग राजस्थान समेत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्य योजना के माधयम से राज्य प्रयासों के सपूरण/प्रतिपूरण से कृषि में वृहत प्रबंध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में किसानों को "सेना" समेत औषधीय और सुगंधदायक पौधों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पादन और तकनीकी मदद के लिए सहायता मुहैया की जाती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "समाज के अनु. जाति/अनु. जनजाति लोगों के लाभार्थ जैव प्रौद्योगिकी माध्यम से औषधीय पौधों की खेती" नामक परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना के अंतर्गत जोधपुर (राजस्थान) के आसपास के विभिन्न गांवों में 'सेना' की खेती के लिए कृषि प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) "सेना" का प्रयोग विरेचक (कब्ज दूर करने हेतु) के रूप में किया जाता है।

दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग

4163. डा. बलिराम : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से शुरू होने वाले और दिल्ली से होकर गुजरने वाले प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग का ब्यौरा क्या है और वे कहां से शुरू होते हैं और कहां जाकर समाप्त होते हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2, 8, 10 और 24 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से शुरू होते हैं और दिल्ली से गुजरते हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित प्रारंभ और अंतिम स्थल हैं :

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	प्रारंभ स्थान	अंतिम स्थान	मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान
1	दिल्ली	वाघा में भारत–पाकिस्तान सीमा	अम्बाला, अमृतसर
2	दिल्ली	कोलकाता	आगरा, वाराणसी, सासाराम
8	दिल्ली	मुंबई	जयपुर, अहमदाबाद
10	दिल्ली	सुलेमानकी (फजिल्का) में भारत–पाकिस्तान सीमा	रोहतक, हिसार
24	दिल्ली	लखनऊ	बरेली, सीतापुर

[अनुवाद]

पाम ऑयल ताजा फलों के गुच्छों के संबंध में बाजार अन्तःक्षेप योजना

4164. श्री जी. एस. बसवराज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में पाम ऑयल ताजा फल गुच्छों के संबंध में बाजार अन्तःक्षेप योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार द्वारा कितने मूल्य के पाम ऑयल के ताजा फलों के गुच्छों की खरीद की गई है और इसकी प्रतिपूर्ति में केन्द्र सरकार का शेयर कितना है;

(ग) क्या सरकार ने 'नेफेड' को यह निर्देश दिया है कि वह कर्नाटक सरकार को उसके हिस्से की शीघ्र प्रतिपूर्ति कर दे; और

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रतिपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 2000 मौसम के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में 5000 मी. टन ऑयल पाम की खरीद के मंडी हस्तक्षेप स्कीम को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने 1000.006 मी. टन ऑयल पाम की खरीद का लेखा प्रस्तुत किया था, जिसके लिए घाटे के केन्द्रीय अंश की राशि जो 2,50,001.50 रुपए थी, जारी की गई।

2001 मौसम के दौरान केन्द्रीय सरकार ने 8000 मी. टन ऑयल पाम की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम अनुमोदित की है जिसके घाटे के केन्द्रीय अंश की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने अभी तक लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण के संवितरण में बाधाएं

4165. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को अंश धनराशि देने से इन्कार कर देते हैं और जमानतियों और प्रतिभूतियों का आग्रह करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंकों को उचित अनुदेश जारी करने का है जिससे कि वे दिशा निर्देशों का पालन करें और आवेदकों को वित्तीय सहायता देने से मना न करें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) प्रधानमंत्री रोजगाार योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यमों के लिए 2.00 लाख रुपए तक के ऋणों तथा सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों के लिए 1.00 लाख रु. तक के लिए संपार्श्विक जमानत/प्रतिभूति प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। तथापि, कुछ बैंक शाखाओं द्वारा संपार्श्विक जमानत/प्रतिभूति के लिए मांग के संबंध में कुछेक शिकायतें प्राप्त की गई हैं। इन शिकायतों को सत्यापन तथा अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने संपार्श्विक जमानत/प्रतिभूति के लिए जोर न देने के संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन तथा निर्दिष्ट समय के भीतर ऋणों का संवितरण करने के लिए कार्यान्वयन बैंकों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

कृषि विस्तार कार्यक्रम के लक्ष्य/उद्देश्य

4166. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विस्तार कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के तहत विदेशी सहायता से चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और कौन-कौन से राज्य इन योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कृषि विस्तार कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता एवं आय में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार हेतु एक कारगर तंत्र उपलब्ध कराना है।

(ख) और (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग विदेशी सहायता प्राप्त दो विस्तार स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, जिनका ब्यौरा निम्नवत है :

1. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना का प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार में नवीनता संबंधी घटक (राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना)

- इसे नवम्बर, 1998 से सात राज्यों-आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पंजाब के चार-चार जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रचालन जिला स्तर पर स्वायत्त निकाय के रूप में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेन्सियों की स्थापना के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्रौद्योगिकी सृजन एवं प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी पणधारियों का प्रतिनिधित्व होता है।

- 7 परियोजना राज्यों के 28 जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेन्सियों की स्थापना की गई है, जिनमें से 24 ने कार्य करना शुरू कर दिया है। शेष चार जिले-झारखंड में तीन (जमतारा, पालमू तथा प. सिंहभूम) तथा बिहार में एक (ग्रामीण पटना) कार्य शुरू करने की प्रक्रिया में है।

- नवम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2003 की अवधि में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार में नवीनतम संबंधी घटक की कुल आधार लागत 124.37 करोड़ रुपए हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों को अब तक 45.43 करोड़ रुपए निर्गत किए जा चुके हैं।

2. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

- यह कार्यक्रम 45.12 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय से फरवरी, 1998 से कार्यान्वित किया जा

रहा है। कार्यान्वित उप कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सकर चावल का विकास और बड़े पैमाने पर इसे अपनाना

(ii) भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु मक्का आधारित फसल प्रणाली

(iii) आंध्र प्रदेश में महिला संघों द्वारा सतत बारानी कृषि

(iv) उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा हेतु महिला कृषकों का सशक्तीकरण

(v) जनजातीय उड़ीसा की महिलाओं के लिए सतत जीवन–यापन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंध को सुदृढ़ बनाना।

(vi) उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों को अतिरिक्त सहायता हेतु पूरक उप कार्यक्रम तथा

(vii) खाद्य सुरक्षा हेतु प्रबंधकीय सहायता से संबंधित उप कार्यक्रम

– उप कार्यक्रमों का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एवं बिहार के चयनित जिलों में किया जा रहा है। परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों को अब तक 23.23 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है।

– सकर चावल के विकास एवं बड़े पैमाने पर इसे अपनाने से संबंधित उप कार्यक्रम को छोड़कर सभी उप कार्यक्रमों का अगले दो वर्ष अर्थात् दिसम्बर, 2004 तक बढ़ा दिया गया है।

विदेशी पर्यटकों की यात्रा

4167. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुल्लू घाटी की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक कैन्नाबिस के अवैध कृषकों को संरक्षण प्रदान करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निवारक कदम प्रस्तावित हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि ऐसा संकेत मिला है कि कुछ विदेशी, जो उपभोक्ता हैं, अवैध व्यापारी हैं और कैन्नाबिस के कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं।

(ख) (i) कुल्लू जिले में नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टान्सेस एक्ट के अंतर्गत अपराधों को रोकने/पता लगाने और खोज करने के लिए एक विशेष एकक स्थापित किया गया है।

(ii) पुलिस द्वारा कृषि में शामिल ऐसे अवैध कृषकों को रोकने/पता लगाने और उन पर मुकदमा चालाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन की लागत

4168. श्री शरद पवार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में (रुपए/लीटर में) दुग्ध उत्पादन की लागत का ब्यौरा क्या है और राज्यवार प्रति लीटर दुग्ध की श्रम लागत कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवर्तित दुग्ध उत्पादन की लागत का ब्यौरा क्या है और इन वर्षों में आहार लागत और श्रम लागत का हिस्सा कितना–कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण सभी राज्यों द्वारा उत्पादन लागत का सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है। तथापि, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश द्वारा अभी हाल ही में आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार दूध की उत्पादन लागत (रुपए/किलोग्राम) दूध की मजदूरी/किलोग्राम लागत, आहार लागत का हिस्सा तथा मजदूरी लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दुग्ध उत्पादन की लागत, दूध की मजदूरी/किलोग्राम लागत, आहार लागत का हिस्सा तथा सकल लागत की मजदूरी लागत

गाय का दूध

राज्य/मद	हरियाणा		पश्चिम बंगाल		हिमाचल प्रदेश	
	1995–96	1996–97	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
दूध की सकल लागत (रुपए/किलोग्राम)	6.46	7.50	9.32	10.08	10.67	11.18
मजदूरी लागत (रुपए/किलोग्राम)	1.49	1.83	2.29	2.39	2.16	2.28
सकल लागत में आहार लागत का हिस्सा (%)	71	73	64	65	74	74
सकल लागत में मजदूरी लागत का हिस्सा (%)	23	24	25	24	20	20

भैंस का दूध

राज्य/मद	हरियाणा		हिमाचल प्रदेश	
	1995–96	1996–97	1998–99	1999–2000
दूध की सकल लागत (रुपए/किलोग्राम)	9.03	10.03	13.07	13.87
मजदूरी लागत (रुपए/किलोग्राम)	2.03	2.36	2.36	2.46
सकल लागत में आहार लागत का हिस्सा (%)	72	73	77	78
सकल लागत में मजदूरी लागत का हिस्सा (%)	22	24	18	18

पर्यटक मानचित्र में भवानी-कुडुथुरै को शामिल करना

4169. श्री के. के. कलिअप्पन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में अखिल भारतीय पर्यटक मानचित्र में ईरोड जिले में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भवानी–कुडुथुरै को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया गया अखिल भारतीय पर्यटन मानचित्र देश के प्रमुख लोकप्रिय पर्यटक केन्द्रों का एक संकलन है। भारतीय पर्यटन मानचित्र में शामिल करने के लिए पर्यटक केन्द्रों के अभिनिर्धारण का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है।

(ख) योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटन परियोजनाओं हेतु स्कीम–वार धनराशि का आवंटन अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है।

दिल्ली में केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनियत मजदूर

4170. श्री अमर रायप्रधान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनियत मजदूरों को प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी जा रही है;

(ख) क्या इन अनियत मजदूरों की मजदूरी कम से कम वर्ष में दो बार निर्धारित/संशोधित की जाती है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों से उनकी मजदूरी में संशोधन न हो सकने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मजदूरियों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 49014/2/86–स्था. (सी) दिनांक 7.6.88 के अनुसार जहां नैमित्तिक कर्मकारों और नियमित कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य की प्रकृति एक जैसी है, वहां नैमित्तिक को एक दिन में 8 घंटे के काम के लिए संगत वेतनमान के न्यूनतम के 1/30वें भाग जमा महंगाई भत्ते की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाए। यदि नैमित्तिक कर्मकार द्वारा किया गया कार्य नियमित कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य से अलग है और वह एक अनुसूचित नियोजन है तो नैमित्तिक कर्मकार को श्रम मंत्रालय अथवा राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी, जो अधिक हो, का ही भुगतान किया जाए। यदि नैमित्तिक कर्मकार केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में काम कर रहा हो तो परिवर्ती महंगाई भत्ते में (आधार वर्ष 1982) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत बढ़त या घटत के अनुसार वर्ष में दो बार अर्थात् अप्रैल और अक्टूबर में संशोधित किया जाता है। जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में परिवर्तन किया जाता है, तब उसी प्रकृति का काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों की मजदूरी की दरें भी स्वतः संशोधित हो जाती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों में नियोजित दैनिक मजदूरी भोगी श्रमिकों की मजदूरी दरों में पिछली बार अपने पत्र संख्या एफ 13(13)/96–वित्त (जी) (प्रति संलग्न विवरण में है) के तहत 7 जून, 2000 को संशोधन किया था।

विवरण

सं. एफ–13(13)/96–वित्त (सी) 179–278
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त सामान्य विभाग
5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली–54

7 जून, 2000

सेवा में,

1. सभी सचिव/संयुक्त सचिव/अवर सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. सभी विभागाध्यक्ष, दिल्ली/नई दिल्ली की जी एन सी टी
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन सभी स्वायत्त निकाय/उपक्रम

विषय : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों में नियोजित दैनिक मजदूरी श्रमिकों की मजदूरी दरों का संशोधन

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ 13(13)/96–वित्त (जी) दिनांक 7/10.6.99 का संदर्भ देने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि 1.2.2000 से दिल्ली/नई दिल्ली स्थित इस सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों की मजदूरी की दरें निम्नवत् होंगी :

1. छः दिन का सप्ताह रखने वाले विभागों/कार्यालयों में नियोजित नैमित्तिक कर्मकारों के लिए :

(क)	अकुशल	93.00 रुपए प्रतिदिन
(ख)	अर्धकुशल	99.40 रुपए प्रतिदिन
(ग)	कुशल	109.35 रुपए प्रतिदिन

लिपिकीय और गैर तकनीकी पर्यवेक्षी स्टॉफ के लिए :

(क)	गैर मैट्रीकुलेट	100.50 रुपए प्रतिदिन

(ख) मैट्रीकुलेट किन्तु ग्रेजुएट नहीं 110.25 रुपए प्रतिदिन

(ग) ग्रेजुएट और अधिक 122.25 रुपए प्रतिदिन

उपर्युक्त दरों में साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए भुगतान शामिल है जिसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि यदि कर्मकार से तीन साप्ताहिक छुट्टियों/अवकाशों में काम के लिए कहा जाता है तो वह उपर्युक्त सामान्य मजदूरी के पात्र होंगे बशर्ते उनके कार्यघंटे वही हों जो सामान्य कार्य दिवस के दौरान होते हैं।

2. पांच दिन का सप्ताह रखने वाले विभागों/कार्यालयों में नियोजित नैमित्तिक कर्मकारों के लिए :

(क) अकुशल 111.60 रुपए प्रतिदिन

(ख) अर्धकुशल 119.28 रुपए प्रतिदिन

(ग) कुशल 132.22 रुपए प्रतिदिन

(क) गैर मैट्रीकुलेट 120.60 रुपए प्रतिदिन

(ख) मैट्रीकुलेट किन्तु ग्रेजुएट नहीं 132.30 रुपए प्रतिदिन

(ग) ग्रेजुएट और अधिक 146.70 रुपए प्रतिदिन

उपर्युक्त दरों में दो साप्ताहिक अवकाश दिवसों के भुगतान शामिल हैं जिनके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि इन कर्मकारों को इन सप्ताहिक छुट्टियों/अवकाशों में काम के लिए कहा जाता है तो वे उपर्युक्त सामान्य मजदूरी के पात्र होंगे बशर्ते उनके कार्य घंटे वहीं हो जो सामान्य कार्य दिवस के दौरान होते हैं। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इन दरों का अनुपालन करें और अपने विभाग/कार्यालय में नियोजित नैमित्तिक कर्मकारों को तदनुसार मजदूरी का भुगतान करें।

ह./–

(प्रेम चंद)

उप सचिव, वित्त (जी)

एफ 13(13)/96/वित्त (जी)/179–278 दिनांक 7 जून, 2002

प्रतिलिपि :

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

2. सचिव, भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) नई दिल्ली।

ह./–

(प्रेम चंद)

उप सचिव, वित्त (जी)

पर्यटन का सतत विकास

4171. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पर्यटन के सतत विकास हेतु बीस वर्षीय संदर्शी योजना के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र एजेन्सियां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी एजेन्सी ने अपनी प्रारूप रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस संबंध में राज्यों में समन्वयन का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। 33 राज्यों में/संघ शासित क्षेत्रों में पर्यटन के सतत विकास के लिए 20 वर्षीय संदर्शी योजना तैयार करने के लिए 15 परामर्शी फर्मों/एजेंसियां गठित की गई हैं।

(ग) और (घ) 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित प्रारूप रिपोर्ट, एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत कर दी गई हैं। इन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

(ङ) प्रत्येक राज्य के लिए संदर्शी योजना तैयार करने के स्तर पर राज्यों के बीच समन्वय स्थापित नहीं किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश की पर्यटन परियोजनाएं

4172. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान शिमला के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में कितनी पर्यटन परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ख) सरकार के पास कितनी परियोजनाएं लंबित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान 63 पर्यटन परियोजनाएं मंजूर की गईं।

(ख) और (ग) किसी वर्ष में 31 मार्च तक मंजूर न की गई परियोजनाओं को अनुवर्ती वर्ष में केवल तभी मंजूर किया जाता है, जब उन्हें राज्य सरकारों के परामर्श से पुनः अभिनिर्धारित किया जाए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल्लु–मनाली–लाहौल/स्पीति–लेह मोनास्टिक परिपथ के एकीकृत विकास को मंजूरी हेतु अभिनिर्धारित किया गया है।

श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

4173. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण/लाभ हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार ने मृत्यु के मामले में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत देय न्यूनतम मुआवजा राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) काम के दौरान मृत्यु होने के मामले में अन्य क्या लाभ उपलब्ध हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक विधान अधिनियमित किए गए हैं जैसे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 आदि। सरकार द्वारा गठित विभिन्न कल्याण निधियों के अंतर्गत सरकार कर्मकारों की कुछ श्रेणियों जैसे बीड़ी, सिने और कुछ गैर–कोयला खान कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, आवास, बीमा जल आपूर्ति और मनोरंजन आदि क्षेत्रों में अनेक कल्याण योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई कुल राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों के लिए अनेक प्लान योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशैड–सह–आवास स्कीम, थ्रिफ्ट फंड स्कीम, स्वास्थ्य पैकेज स्कीम बीमा, स्कीम और खादी कर्मकारों के लिए बीमा स्कीम आदि।

(ग) से (ङ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत सरकार ने स्थायी पूर्ण विकलांगता की दशा में मुआवजे की राशि को 60,000/– रुपए से बढ़ाकर 90,000/– रुपए कर दिया है। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे की न्यूनतम राशि की अधिकतम सीमा 2.28 लाख रुपए से बढ़ाकर मृत्यु की दशा में 4.56 लाख रुपए और स्थायी पूर्ण विकलांगता की दशा में 2.74 लाख रुपए से बढ़ाकर 5.48 लाख रुपए कर दी गई है। मुआवजे की संशोधित दरें 8.12.2000 से प्रभावी हो गई हैं।

विवरण

श्रम कल्याण स्कीमों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान और जून, 2002 तक खर्च की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

निधि	वर्ष			
	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003 (6/02 तक)
1	2	3	4	5
बीड़ी*	35.37	49.48	50.63	12.01

1	2	3	4	5
एल.एस.डी.एम.*	3.83	4.20	5.03	0.87
आई एम सी*	6.78	7.32	7.88	1.30
माइका*	1.33	1.15	1.23	0.30
सिने*	0.20	0.81	0.51	0.05

बीड़ी* – बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

एल.एस.डी.एम.* – चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972

आई एम सी* – लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976

माइका* – अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946

सिने* – सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

कावेरी निगरानी समिति की बैठक

4174. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर कावेरी निगरानी समिति की एक बैठक बुलाई है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उनका क्या परिणाम निकला?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) निगरानी समिति ने पर्याप्त मानसून न आने के कारण हुए जलाभाव पर 9.8.2002 को चर्चा की तथा यह सिफारिश की कि कर्नाटक जलाभाव की स्थिति के मद्देनजर आनुपातिक आधार पर कावेरी जल विवाद अधिकरण के 3 अप्रैल, 1992 के आदेश के अनुरूप जल छोड़ सकता है।

सर्प-विष की तस्करी

4175. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सर्प–विष और सर्प से संबंधित सामग्री की खुले–आम तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार के ध्यान में आए मामलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार सर्प–विष और सर्प से संबंधित सामग्री की तस्करी पर रोक लगाने हेतु मौजूदा कानून को और कठोर बनाने के लिए नया कानून लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सर्प खालों और अन्य व्युत्पन्नों की तस्करी संबंधी घटनाओं का समय–समय पर पता लगता रहता है। वन्यजीवों और इसके उत्पादों की तस्करी को रोकना प्रथमतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जब्तियों संबंधी मामलों के राज्य वार विवरण का रख–रखाव केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं :

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सर्प–विष वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में उल्लिखित सर्प प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध है।

2. सर्पों की कुछ दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों और उनसे बनी वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध है।

3. सर्प, इसके अंगों, उत्पादों और व्युत्पादों के निर्यात एवं आयात पर प्रतिबंध है।

4. सर्प–विष के व्यापार को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

5. भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से वन्यजीव परिक्षण हेतु देश के मुख्य निर्यात एवं व्यापार केन्द्रों पर क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

6. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत शक्ति प्रदान की गई है। अवैध शिकार/व्यापार रोधी प्रयत्नों को इंटरपोल के साथ समन्वित किया जा रहा है।

(घ) सर्प–विष तथा वस्तुओं की तस्करी के संबंध में और अधिक कठोर नया कानून बनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वन्यजीव प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की गई सर्प–विष और वस्तुओं की जब्तियां

क्र.सं.	तारीख/वर्ष	जब्त की गई वस्तुएं	जब्ती की मात्रा
1.	13.6.2000	सर्प खालें	1757 की संख्या में
2.	13.7.2000	सर्प खालें	1029 संख्या तथा सर्प खालों से बने 3 वस्त्र
3.	02.3.2001	सर्प खालें	14 की संख्या में
4.	15.3.2001	सर्प खालें	145 की संख्या में
5.	14.2.2002	सर्प खालें	80 की संख्या में
6.	30.7.2002	सर्प विष	912 ग्राम

सिंगत्लुर-हुगली लिफ्ट इरिगेशन योजना

4176. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सिंगत्लुर–हुगली लिफ्ट सिंचाई योजना को केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु भेजा है जिससे कि कर्नाटक राज्य 7.64 टीएमसी जल का उपयोग कर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर अब तक मंजूरी नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते कर्नाटक सरकार से प्राप्त सिंगतलुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर राज्य सरकार से पत्राचार चल रहा है। इस स्कीम की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय अभिकरणों की विभिन्न टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

(घ) सिंचाई परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति, विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के बकाया टिप्पणियों की राज्य सरकार द्वारा तत्काल अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

सिंचाई के लिए जल की कमी

4177. श्री महेश्वर सिंह :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सिंचाई के लिए जल की बहुत अधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत कई वर्षों से विभिन्न तालाबों, नहरों और नदियों में जल संरक्षण का कार्य नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्य–योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निगरानी किए जा रहे 70 महत्वपूर्ण जलाशयों में देश के कुल जल भंडारों का 74 प्रतिशत जल है। 2 अगस्त, 2002 की स्थिति के अनुसार, इन जलाशयों में 23.37 बिलियन घन मीटर जल भण्डार है जो इन जलाशयों की कुल डिजाइन्ड सक्रिय भण्डारण क्षमता का 18 प्रतिशत है और पिछले 10 वर्षों में इन जलाशयों में औसत भण्डारण का केवल 40 प्रतिशत है। राज्य सरकारों को जल के कुशल और मितव्ययी उपयोग हेतु सिंचाई प्रयोजन हेतु उपाय करने की सलाह दी गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण सभी जल संरक्षण कार्यों की आयोजना, वित्तोषण एवं क्रियान्वयन राज्य सरकारों के अपने ही संसाधनों से किया जाता है। परिश्रवण टैंक्स चैक डैम्स, गैबियन संरचना, इंग वैल पुनर्भरण संरचना, पुनर्भरण शाफ्टस, छत पर वर्षा जल संग्रहण के जरिए वर्षा जल संचयन प्रौद्योगिकी वर्षा जल संरक्षण संबंधी कुछ उपाय हैं। मौजूदा नहरों, बांधों, बेहतर जल प्रबन्धन प्रक्रियाओं अदि के आधुनिकीकरण और नवीकरण में सिंचाई जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित की जाने वाली विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम के माध्यम से इसके उपयोग की कुशलता में सुधार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, स्प्रिंक्लर और ड्रिप जैसी जल बचत निधियां उच्च सिंचाई कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी हैं जिसे जल संसाधन मंत्रालय के समान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अवसंरचनात्मक विकास निधि

4178. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़कों के विकास के लिए स्थापित अवसंरचनात्मक विकास निधि का ब्यौरा क्या है और उससे क्या लाभ मिल रहे हैं;

(ख) उपर्युक्त निधि के गठन के परिणामस्वरूप निजी निवेश में दर्ज की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन घरेलू एवं विदेशी संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने सड़क के लिए ऋण देने या निवेश करने के लिए सरकार से संपर्क किया है;

(घ) क्या सरकार ने सभी चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, बाईपासों एवं बड़े पुलों पर टोल–टैक्स लगाना शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) सड़कों के लिए अवसंरचना विकास कोष नाम का कोई कोष नहीं है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2002–03 के लिए अपने बजट भाषण में 1000 करोड़ रुपए के अवसंरचना इक्विटी कोष की स्थापना की घोषणा की थी। अवसंरचना विकास वित्त कंपनी लि. द्वारा प्रबंध किए जाने वाले इस कोष के लिए अंशदान प्रारंभ में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और कुछ बैंकों द्वारा किया जाएगा। अवसंरचना विकास वित्त कंपनी ने एक संकल्पना दस्तावेज तैयार किया है जिस पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। इस स्कीम के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने का निर्णय लिया है :

(i) चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

(ii) प्रत्येक 100 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले पुल जो 1 मई, 1992 के बाद किंतु 4 दिसम्बर, 2001 से पहले पूरे किए गए और यातायात के लिए खोले गए तथा प्रत्येक 500 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले सभी पुल जो 4 दिसम्बर, 2001 को अथवा उसके बाद पूरे किए गए।

(iii) बी ओ टी आधार पर शुरू की गई सड़क सुधार परियोजनाएं, पुल और बाईपास

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों, बाईपासों और बड़े पुलों के ब्यौरे जहां प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जा रहा है

चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंड

क्र.सं.	चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	रा.रा. सं.
1	2	3
1.	हरियाणा पानीपत–अंबाला (110 कि.मी.)	1
2.	हरियाणा/पंजाब अंबाला–खन्ना (66 कि.मी.)	1
3.	पंजाब खन्ना–जालंधर (100 कि.मी.)	1
4.	दिल्ली/हरियाणा दिल्ली–आगरा (90 कि.मी.)	2
5.	हरियाणा/उत्तर प्रदेश दिल्ली–आगरा (90 कि.मी.)	2
6.	झारखंड/पश्चिम बंगाल बरवाअड्डा–पानागढ़ (114 कि.मी.)	2
7.	हरियाणा/राजस्थान गुड़गांव–कोटपुतली (126 कि.मी.)	8
8.	राजस्थान कोटपुतली–आमेर (86.5 कि.मी.)	8
9.	पश्चिम बंगाल पालसित–दनकुनी (65 कि.मी.)	2
10.	उड़ीसा भुवनेश्वर–जगतपुर (28 कि.मी.)	5
11.	गुजरात बड़ौदा–सूरत (65 कि.मी.)	8
12.	आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम खंड (46.2 कि.मी.)	5

बाईपास

क्र.सं.	खंड	रा.रा. सं.
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश मुरादाबाद बाईपास (18 कि.मी.)	24
2.	आंध्र प्रदेश इलूरू बाईपास (15.4 कि.मी.)	5
3.	महाराष्ट्र थाणे–भिवंडी बाईपास	3

पुल/आर.ओ.बी.

क्र.सं.	पुल/आर.ओ.बी	रा.रा.सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	
	कीसरा पुल, नंदीगाम	9
	वामसाधरा पुल, श्रीकाकुलम	5
	76/4, 79/4 व 110/4–6 कि.मी. में नदी पर पुल, नेल्लोर	5
	रूद्रम पुल, हैदराबाद	9
	कनकदुर्गम्मा–वरोदी पुल	5
2.	बिहार	
	एम. जी. सेतु, पटना	19
	दुलिया नाला पुल, रंजोली	31
	कारी कोशी पुल, पूर्णिया	31

1	2	3
3.	छत्तीसगढ़	
	शक्ति नाल पुल, रायपुर	6
4.	गुजरात	
	भादर, रैधारो व पुतराली पुल, उपलेटा	8बी
	वात्रक पुल	8
	सावरमती पुल/एल आर अहमदाबाद	8ए
	माही पुल	8
	नर्मदा पुल, जड़ेश्वर	8
5.	कर्नाटक	
	काली सेतु, कारवाड़	17
	शरवती पुल, कारवाड़	17
	हगरी पुल–चित्रदुर्ग हॉसपेट	63
	वी.वी. पुल, बंगलौर	48
6.	केरल	
	कुमबालंम–पनगाडू कुमबालम–अरुर पुल	47
	कुंदानूर पुल	47ए
	बारापुजा–कोटापुरम–चेतुबा और पुत्तुपुन्नानी पुल	17
	नेलोपुजा पुल	213
7.	मध्य प्रदेश	
	हिरण पुल, जबलपुर	12
	तिलवारघाट पुल, जबलपुर	7
	पार्वती पुल, ओबेदुल्लागंज	12
	डिग्री नाला पुल	3
	आसन पुल	3
	क्षिप्रा पुल, इंदौर	3
8.	महाराष्ट्र	
	वडक्कल पुल	13
	सावित्री पुल	17
	हातूर नाला पुल	13
	सीना पुल	9
	बाघड़ी पुल	7
	पातालगंगा पुल	17
9.	मणिपुर	
	लियांग पुल, इम्फाल	39
	सेनापति पुल, इम्फाल	39
10.	असम	
	गंगाधर पुल, अभयपुरी	31
	कलियाघोर पुल, जखला बंधा	37ए
11.	उड़ीसा	
	मालतीजोर पुल, संबलपुर	42
	ब्राह्मणी पुल, बांकी	23
	बंदोन पुल, जोशीपुर	6
	मालगुनी पुल, खुर्दा	5
	लिंगारा नाला पुल, अंगुल	42
12.	पंजाब	
	नया सतलज पुल, लुधियाना	1
13.	राजस्थान	
	बाणगंगा पुल, जयपुर	11ए
	बनास/टोंक पुल, जयपुर	12
	चंदरभागा, झालावाड़	12
	आर.ओ.बी. रींगस	11

1	2	3
14.	तमिलनाडु	
	अन्नै इंदिरा गांधी पुल, रामनाथपुरम	49
	पल्लर पुल, चंगलपट्टू	45
	271 कि.मी. पर उच्च स्तरीय पुल, नमक्कल	7
	वागईकुलम 38/6 कि.मी., टुथकुडी (तूतीकोरिन)	7ए
15.	उत्तरांचल	
	कोसी सेतु	74
	केबल आधारित पुल, हरिद्वार	58
	चंडीघाट सेतु, हरिद्वार	74
	पाथर गढ़ सेतु	94
	सांग सेतु, ऋषिकेश, देहरादून	72
16.	उत्तर प्रदेश	
	यमुना पुल, कालपी कानपुर	25
	साई पुल, वाराणसी	56
	सरैन सेतु सीतापुर	24
	आमी सेतु, गोरखपुर	29
	काली सेतु, गाजियाबाद	24
	खजूरी पुल, वाराणसी	7
	बीसो पुल, गाजीपुर	29
	गर्रा सेतु पुल, शाहजापुर	24
	रा. रा. 96 पर सुभाष सेतु, सुल्लानपुर	96
	हमीरपुर पुल, कानपुर	86
	रिहन्द पुल, मिर्जापुर	76
	कनहर पुल, मिर्जापुर	7
	चम्बल पुर, अलीगढ़	92
	वीर अब्दुल हमीद सेतु, गाजीपुर	97
	चंद्रशेखर आजाद, इलाहाबाद	96
	यमुना नदी सेतु, मेरठ	73
	मांझीघाट, (पंटूल पुल/फैरी) गाजीपुर	19
	सासुर खडेरी, इलाहाबाद	2
	शास्त्री, इलाहाबाद	2
	काना नदी सेतु, बांदा	76

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए पुनर्वास केन्द्र

4179. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए कितने व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं;

(ख) इस प्रकार के केन्द्रों के कार्य और उनको खोलने के वर्तमान मापदण्ड क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य के पुनर्वास केन्द्र में कितने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को दाखिल कराया गया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय ने देश के 16 राज्यों में विकलांगों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करने, कौशल विकास में उनकी सहायता करने तथा वेतन/स्व–रोजगार के माध्यम से उनका आर्थिक पुनर्वास करने के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (वी.आर.सी.) की स्थापना की है। ये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित संगठनों के लिए मुख्य रूप से प्रेरक का कार्य करते हैं। वर्ष 2001 के दौरान इन व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में प्रवेश प्राप्त ऐसे व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2001 के दौरान व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में प्रवेश प्राप्त विकलांगों की संख्या

क्र.सं.	व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र की स्थिति	राज्य	प्रवेश प्राप्त विकलांगों की संख्या
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	3291
2.	गुवाहटी	असम	1303
3.	पटना	बिहार	2103
4.	नई दिल्ली	दिल्ली	1475
5.	अहमदाबाद	गुजरात	2156
6.	वड़ोदरा	गुजरात	780
7.	बंगलौर	कर्नाटक	1703
8.	त्रिवेंद्रम	केरल	1625
9.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	2998
10.	मुम्बई	महाराष्ट्र	1828
11.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	1467
12.	लुधियाना	पंजाब	1577
13.	जयपुर	राजस्थान	1814
14.	चेन्नई	तमिलनाडु	2319
15.	अगरतला	त्रिपुरा	878
16.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	3831
17.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1930

दुग्दा तलहटी जलनिकास योजना

4180. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कोन्टाई उपखंड में दुग्दा तलहटी जलनिकास योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसके क्रियान्वयन के लिए किसी व्यापक मास्टर प्लान का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कोन्टाई उप–मण्डल में दुग्दा बेसिन जल विकास स्कीम राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971–72 में शुरू की गई थी तथा इस स्कीम के पूरा होने की रिपोर्ट वर्ष 1988–89 में प्रस्तुत की गई थी। इस स्कीम के पूरा होने के पश्चात इससे बड़ी कुशलता से निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति हुई है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, स्कीम के सुधार के वास्ते सर्वेक्षण कार्यों को शुरू किया गया ताकि इसकी कुशलता को बढ़ाया जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम

4181. श्री सईदुज्जमा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्णजयन्ती समारोह के हिस्से के रूप में प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम तैयार करने वाले वैज्ञानिकों को उचित मान्यता एवं सम्मान दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनंसुधान परिषद के शासी निकाय ने अगस्त, 1978 में आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 1979 को "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं से खेतों तक

प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस में व्यावसायिकता

4182. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस प्राइवेट एयरलाइंसों के समान सेवा नहीं दे पा रही है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस अभी भी एक साल के पुराने टिकटों को न मानना, धनराशि लौटाने में विलंब के संबंध में पुराने विनियमों का पालन कर रही है और यात्रियों के अनुरोधों के प्रति उसका दृष्टिकोण सामान्यतः नौकरशाही जैसा ही रहता है; और

(ग) यदि हां, तो अपनी कार्य संस्कृति मे सुधार हेतु इंडियन एयरलाइंस द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) निजी एयरलाइंस सहित इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं तथा सुविधाएं सामान्यतः उद्योग की प्रैक्टिस के अनुसार हैं।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस की घरेलू टिकटें, जारी होने की तारीख से लेकर एक साल तक यात्रा के लिए वैध हैं। इससे पहले, वैधता की अवधि 6 माह तक थी। टिकट जारी होने की तारीख से लेकर दो वर्ष तक धन वापसी की अनुमति है, तथा नकद खरीद, ट्रैवल एजेंट, क्रेडिट कार्ड आदि जैसे जिस माध्यम द्वारा टिकट खरीदी गई थी, उसी के द्वारा धन वापसी होगी।

मल्टी-सेंसर एयरबोर्न सर्वे

4183. श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सरकार से मल्टी-सेंसर एयरबोर्न सर्वे हेतु उड़ानों के लिए निर्धारित ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों में रियायत देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय में समय-समय पर उड़ान भरने के लिए न्यूनतम ऊंचाई संबंधी रियायत देने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे अनुरोधों का अनुमोदन संबंधित मामलों के गुण-दोष के आधार पर किया जाता है।

कोकराझार में सांस्कृतिक परिसर

4184. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर भूटान से सटी हुई पहाड़ियों में पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचानात्मक विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का बोडो की प्राचीन समृद्धि, संस्कृति एवं विरासत की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु "शंकर कलाक्षेत्र और ज्योति चित्र बन, गुवाहाटी" की तर्ज पर कोकराझार में केन्द्रीय निधि से बोडो सांस्कृतिक परिसर एवं फिल्म स्टूडियो की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटक रुचि के स्थलों/केन्द्रों का विकास और संवर्धन प्रमुख रूप राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श करके प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए निधियां मुहैया कराता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन विभाग, भारत सरकार देश में वार्षिक आधार पर यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित करने और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करने का प्रस्ताव करता है। इन परिपथों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और भारत सरकार के संबंधित विभागों के साथ गहन समन्वय और भागीदारी से अंतिम रूप दिया जायेगा तथा विकास किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष समग्र विकास के लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में एक प्रमुख गंतव्य स्थल को अभिनिर्धारित करने का प्रस्ताव है। असम राज्य सहित सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किलों में रखे गए हथियार/ गोलाबारूद का रख-रखाव

4185. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न ऐतिहासिक किलों में रखे हथियारों/गोलाबारूदों और विस्फोटक सामग्री के रख–रखाव एवं प्रयोग के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले किलों में रखे हथियारों एवं गोलाबारूद तथा विस्फोटक सामाग्रियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	स्मारक/किला/स्थल का नाम	ब्यौरा
1	2	3
1.	रणथम्भौर किला, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान	रणथम्भौर किला में हमीर महल के एक कक्ष में कुछ सल्फर पाउडर पड़ा है।
2.	चित्रदुर्ग किला, कर्नाटक	चित्रदुर्ग किला में बारूद चक्कियां उपलब्ध हैं।
3.(क)	फोर्ट सेंट जार्ज, चेन्नई, तमिलनाडु	केवल तोपें परिरक्षित हैं।
(ख)	किला, जिंजी, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	–वही–
(ग)	चट्टान पर स्थित किला (पल्लापट्टी), डिंडिगुल, डिंडिगुल जिला, तमिलनाडु	–वही–
(घ)	किला तथा कब्रिस्तान, मद्रास, कांजीपुरम जिला, तमिलनाडु	–वही–
(ङ)	किला, रंजनकुडी, पेरमबलूर जिला, तमिलनाडु	–वही–
(च)	पूर्वी परकोटा स्थित बड़ी तोप (राजगोपाल तोप) तंजापुर, जिला तंजापुर, तमिलनाडु	–वही–
(छ)	किला तिरूपयम, पुडुक्कोट्टई जिला, तमिलनाडु	–वही–

1	2	3
	(ज) किला, बेल्लोर, बेल्लोर जिला, तमिलनाडु	–वही–
	(झ) अर्काट तोप (मस्जिद के निकट), अर्काट, बेल्लोर जिला, तमिलनाडु	–वही–
4.	(क) दौलताबाद किला, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	बंदूकें, तोपें, तलवारें, आदि रखी गई हैं।
	(ख) रायगढ़ किला, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र	–वही–
	(ग) सायन किला, जिला मुम्बई, महाराष्ट्र	–वही–
	(घ) विजयदुर्ग, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	–वही–
	(ङ) सिंधुदुर्ग किला, जिला सिंधुदुर्ग	–वही–

कृषि जल प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना

4186. श्री दिनेश चंद्र यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को भू–जल के दोहन एवं जल संवर्धन हेतु कृषि जल प्रबंधन योजना के अंतर्गत चलाई गई प्रायोगिक परियोजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार उपर्युक्त योजना को कब तक पूरा करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भूजल अन्वेषण और जल संवर्धन हेतु 'आन फार्म प्रबंधन सकीम' के अंतर्गत भारत सरकार की कोई मार्गदर्शी परियोजना नहीं है। तथापि, बिहार सहित दस पूर्वी राज्यों में 'पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु आन फार्म जल प्रबंधन' की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) इस स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) इस स्कीम को समूची दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी रखने के लिए स्वीकृत किया गया है।

विवरण

'पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का ब्यौरा

(i) **स्कीम** : वर्ष 2001–02 के दौरान 'पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु आन फार्म जल प्रबंधन' की एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्यों के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 35 जिले और पश्चिम बंगाल के 9 जिले भी इस स्कीम में शामिल किए गए हैं। **'पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन'** की नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार की गई है ताकि न केवल खरीफ और रबी/ग्रीष्म चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके बल्कि किसानों को सब्जियों, चारा फसलें, तिलहन, दलहन आदि उगाने जैसे विविधिकृत कृषि कार्यकलापों को अपनाने में भी मदद मिल सके। इस स्कीम का प्राथमिक संकेन्द्रण पूर्वी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए भू/सतही जल का दोहन और कुशल उपयोग करने पर है जिससे अन्ततः इस क्षेत्र के किसानों को उच्चतर आमदनी होगी और गरीबी में कमी आएगी। यह स्कीम दस राज्यों के वैयक्तिक किसान/किसानों के समूह के लिए होगी।

(ii) **स्कीम के घटक** : इस स्कीम के घटक निम्नानुसार हैं :

- व्यक्तिगत किसान/किसानों के समूहों को पम्पसैटों सहित उथले नलकूप लगाने के लिए सहायता
- किसानों के समूहों को सामुदायिक लिफ्ट इरिगेशन प्वाइंट्स हेतु सहायता
- व्यक्तिगत किसानों को विद्युत/डीजल जल पम्पिंग सैटों के लिए सहायता, और
- केवल पठारी क्षेत्र में खुदे कुओं के लिए सहायता

(iii) **स्कीम का स्वरूप, कार्यान्वयन अवधि और कार्यान्वयन एजेन्सी** : यह स्कीम एक बैक-एन्डेड ऋण से जुडी स्कीम है और दस पूर्वी भारतीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ समन्वयन करके नाबार्ड के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(iv) **निधि व्यवस्था के प्रतिमान और भारत सरकार की सहायता** : इस स्कीम की निधि व्यवस्था का प्रति 20 : 50 : 30 के आधार पर होगा अर्थात औसत इकाई लागत का 20% लाभभोगियों का अंशदान होगा, औसत इकाई लागत का 50% वाणिज्यिक/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण के रूप में होगा और शेष 30% भारत सरकार से राज सहायता के रूप में होगा। प्रत्येक घटक की औसत इकाई लागत नाबार्ड की क्षेत्रीय लागत समिति द्वारा दी जाती है ओर यह एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है।

(v) **कार्यान्वयन अवधि** : यह स्कीम वर्ष 2001-02 में शुरू की गई है और यह समूची दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान जारी रहेगी। दसवीं योजना अवधि के अंत में इस स्कीम के कार्यान्वयन के साथ लगभग 34 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी।

(vi) **परिकल्पित लाभ** : इस स्कीम के कार्यान्वयन के साथ, किसानों के पास एक सुनिश्चित सिंचाई का साधन उपालब्ध होगा जिसमें रबी फसलों/ग्रीष्म चावल के उत्पादन और उत्पादकता में काफी वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। सुनिश्चित सिंचाई की उपलब्धता से खरीफ मौसम के दौरान नर्सरी लगाने को अग्रिम किया जाएगा और 1 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अतिरिक्त उपज प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा, किसान दलहनों और तिलहनों तथा अन्य बागवानी फसलों को शामिल करके फसल विविधीकरण को अपना सकेंगे।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन पर चावल निर्यात का रैकेट

4187. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने गुजरात के कांडला पत्तन पर एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जोकि गैर-कानूनी रूप से चावल का निर्यात करता था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई सहित जांच का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों द्वारा आत्महत्या

4188. श्री वाई. वी. राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के कारणों का अध्ययन करने के लिए गठित वीरेश समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कल्याण कोष के गठन सहित अन्य सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) यह मामला कर्नाटक सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि समिति ने 26 सिफारिशें की हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सीमा सड़क का निर्माण

4189. श्री मोहम्मद अनवारूल हक : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल की सीमा से सटे बिहार में सीमामढ़ी और शिवहर से होते हुए मोतीहारी तक किसी सीमा सड़क के निर्माण का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और सीमा सड़कों का निर्माण नहीं करता। सीमामढ़ी–शिवहर–मोतीहारी सड़क का सीतामढ़ी–शिवहर खंड पहले से ही नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सं 104 का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड पर 298.66 लाख रु. की अनुमानित लागत से 22 कि.मी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार कार्य तथा 16.84 लाख रु. की अनुमानित लागत से 1 पुल का विशेष मरम्मत कार्य स्वीकृत किया गया है। आगे सुधार कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलबधता के आधार पर चरणबद्ध रूप में शुरू किए गए हैं। सीतामढ़ी–शिवहर–मोतीहारी सड़क का शिवहर से मोतीहारी खंड राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है और इसके विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

रेडियोधर्मिता से तैयार किए गए बीज

4190. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेडियोधर्मिता से तैयार किए गए बीजों को पेटेन्ट कराने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत तैयार किए गए बीजों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कोई पूर्वोपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विकिरण का उपयोग प्रमुख रूप से फसल की किस्मों में परिवर्तनशीलता लाने के लिए किया जाता है। केवल प्रारंभिक चरणों में बीजों को गामा विकिरण की छोटी मात्रा से प्रभावित किया जाता है। बीजों में कोई प्रभावित रेडियोधर्मिता नहीं होती है। उपचारित बीजों को विकिरण उपचार बिना भी कई पीढ़ियों तक उगाया जाता है। जब किसी किस्म को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जारी किया जाता है तो उसमें न तो बुरे प्रभाव पाए गए और न ही उन्हें देखा गया है। इन बीजों/पौधों में कोई रेडियोधर्मिता समाहित नहीं होती है।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी नियमन कानून

4191. श्री सुरेश कुरुप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1978 की मजूमदार समिति और 1997 की मुरारी समिति की मत्स्य संसाधनों के संरक्षक और पारम्परिक मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में की गई सिफारिशों के अनुरूप सम्पूर्ण आर्थिक निर्यात जोन के लिए मात्स्यिकी नियमन कानून लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रादेशिक जल में मछली पालन राज्य का विषय है। गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों के अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रादेशिक जल में मत्स्यन संबंधी नीति दिशानिर्देश बनाने का कार्य 1978 में मजूमदार समिति द्वारा यथा संस्तुत समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम (एम.एफ.आर.ए.) के लागू होने के बाद पूरा कर लिया गया है। विदेशी यानों द्वारा भारतीय ई.ई.जेड. में मत्स्यन को विनियमित करने के लिए भारतीय तटवर्ती जोन अधिनियम (ए.जेड.आई.) 1981 के रूप में मत्स्यन संबंधी नीति दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद हैं। संयुक्त प्रयास तथा भारतीय स्वामित्व के यानों द्वारा मत्स्यन के संबंध में सरकार ने 1996 में गहरे समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। तदन्तर एक विशेषज्ञ दल ने एक प्रारूप व्यापक मत्स्यन नीति तैयार की जिसकी रिपोर्ट सरकार के पास है।

पशुओं के लिए होम्योपैथिक/ आयुर्वेदिक दवाएं

4192. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के इलाज में होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक दवाएं भी उपयोगी पाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पशुओं के लाभ के लिए इस पद्धति को शीघ्र शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) यद्यपि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाएं पशुचिकित्सा पाठ्यक्रम का हिस्सा नही हैं और इसलिए पशुचिकित्सा प्रेक्टिस में इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, फिर भी कैमोथैरेपी के हिस्से के रूप में अंडरग्रेजुएट पशुचिकित्सा पाठ्यक्रम में देशी औषधि विज्ञान शामिल है।

इसके अलावा, कृषि संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश पर विभाग ने भारत में परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों की सूची तैयार करने और उन्हें कूटबद्ध करने के लिए एक परामर्शदाता की तैनाती की है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के फर्जी खुदरा बिक्री केन्द्र

4193. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के खादी संस्थानों के अनेक बिक्री केन्द्र फर्जी हैं और वे केवल कागज पर ही चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में पहचाने गए उपर्युक्त बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये बिक्री केन्द्र खादी ग्रामोद्योग से ऋण, छूट एवं कर राहत अभी भी ले रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति के हल के लिए और संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

4194. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री सुनील खां :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बेरोजगार लोगों/युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेरोजगारी भत्ता विधेयक को कब तक पुरःस्थापित और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन विपणन समिति

4195. श्री दिन्शा पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर गुजरात में, केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पाद विपणन समितियों के विकास हेतु सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि उत्पाद विपणन समितियां निगमित निकाय हैं जिनकी स्थापना संबंधित राज्य कृषि विपणन विनियमन अधिनियम के तहत की जाती है। कृषि उत्पाद विपणन समितियां मंडियों का प्रबन्ध करती हैं। मंडी यार्डों को संबंधित राज्य कृषि विपणन विनियमन अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है तथा राज्य सरकारों, विपणन बार्डों तथा कृषि उत्पाद विपणन समितियों द्वारा विकसित किया जाता है। अधिकांश राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने कृषि उत्पाद विपणन समितियों के विनियमन से संबंधित अपने स्वयं के कानून अधिनियमित कर लिए हैं। विनियमित मंडियां मंडी बाधाओं को दूर करने में उत्पादकों और विक्रेताओं की सहायता करती हैं। राज्य सरकारें/विपणन बोर्ड कृषि उत्पाद विपणन समितियां एक बेहतर व्यापार वातावरण का सृजन करने में कृषकों/व्यापारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।

इस समय विभाग में वृहद प्रबंधन की एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 27 चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को समेकित किया गया है और यह नवम्बर, 2000 से कार्य कर रही है। यह स्कीम राज्यों को कृषि विकास की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रम शामिल करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। अधिकांश राज्यों ने वृहद प्रबंधन संबंधी स्कीम के तहत अपनी कार्य योजनाओं में कृषि मंडियों के विकास से संबंधित प्रस्ताव शामिल किए हैं। राज्यों द्वारा कृषि गतिविधियों के विकास के लिए किसी भी घटक/योजना को एक नई पहल के रूप में शामिल किया जा किया सकता है। इस योजना के तहत सहायता एकमुश्त जारी की जाती है और राज्यों को विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत इस राशि के पुनः आवंटन की सुविधा दी गई है। इस प्रकार उक्त स्कीम के तहत राज्य सरकारों द्वारा कृषि उत्पाद विपणन समितियों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। वृहद प्रबन्ध के तहत गुजरात सरकार द्वारा कार्य योजना प्रस्ताव (वर्ष 2002–2003) प्रस्तुत किया गया है जिसमें 436.00 लाख रुपए की लागत वाले (392.00 लाख रुपए का केन्द्रीय अंश) रायथू बाजार/अपनी मंडी के अनुरूप हाट बाजार/प्रत्यक्ष मंडी प्रणाली के विकास के लिए प्रस्ताव शामिल किया गया है। पहली किश्त अर्थात कुल केन्द्रीय अंश की 50 प्रतिशत राशि गुजरात राज्य सरकार को जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

4196. श्री तूफानी सरोज : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तरांचल के गठन के बाद से उत्तर प्रदेश का पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो राज्य के पर्यटन उद्योग को हो रहे वार्षिक नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास/संवर्धन के लिए राज्य स्तरीय स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं।

(ग) और (घ) उत्तरांचल के बनने से पहले, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र का अपना अलग बजट और निधियों का आवंटन भी अलग था। अतः इसका उत्तर प्रदेश द्वारा सृजित की गई आय पर सीधा भार (वीयरिंग) नहीं है।

(ङ) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। अब यह योजना संशोधित की गई है और पर्यटन परिपथों और पर्यटक गंतव्य स्थलों के विकास के लिए प्रमुख परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके 10वीं योजना में ली जानी हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं अभी अभिनिर्धारित की जानी हैं।

जबलपुर में राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केन्द्र (नेशनल वीड रिसर्च सेंटर) का निर्माण

4197. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर (मध्य प्रदेश) में राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केन्द्र (नेशनल वीड रिसर्च सेंटर) बनाए जाने संबंधी कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या ले आउट प्लान के अनुसार निर्माण कार्य किया गया है;

(ग) उस पर कितना खर्च आया; और

(घ) आगामी वर्षों के दौरान अनुसंधान कार्यों पर कितना खर्च किए जाने का प्रस्ताव है और कितना खर्च किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर (मध्य प्रदेश) की स्थापना सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985–90) के दौरान 22 अप्रैल, 1989 को हुई थी। केन्द्र के अनुमोदित मास्टर प्लान में यथापरिकल्पित योजना के अनुसार इस केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्णतया पूरा नहीं हुआ है। इस केन्द्र का लगभग 50 प्रतिशत विकास हो चुका है।

(ख) जी, हां। केन्द्र के अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार पूरे परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ग) विभिन्न योजना अवधियों के दौरान राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र के निर्माण और विकास के लिए स्वीकृत राशि निम्न प्रकार से है :

योजनावार व्यय विवरण

योजना अवधि	कुल		निर्माण कार्य	
	स्वीकृत राशि	व्यय	स्वीकृत राशि	व्यय
VII–1985–90	64.00	18.96	14.24	6.84
वार्षिक योजना 1990–91 और 1991–92	55.00	49.97	—	—
VIII–1992–97	520.00	461.53	202.24	202.24
IX–1997–2000	615.00	612.81	300.00	300.00

(घ) अगले पांच वर्षों (2002–03 से 2006–07) में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर के अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों पर 1250 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा किराए में कटौती

4198. श्रीमती प्रभा राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा किराए में की गई कटौती की पेशकश से इकॉनामी क्लास में यात्रा करने वाले मात्र 10 फीसदी यात्रियों को ही लाभ मिल सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इकॉनामी क्लास वाली सीटों की कुल संख्या में ऐसी कितनी सीटें हैं जिनके लिए किराए में कटौती की गई है; और

(ग) इकॉनामी क्लास में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को इस तरह कम किए गए किराए का लाभ न दिए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) छूट और प्रोत्साहन प्राप्त किराया टिकटों वाले यात्रियों के उपयोग के लिए हर उड़ान में आवंटित की जाने वाली सीटों की संख्या के लिए बुकिंग पद्धति और उड़ान से प्राप्त होने वाले राजस्व के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोत्साहन किरायों पर, अग्रिम बुकिंग रूट पैटर्न, यात्री की आयु, समूह में यात्रा की कुल अवधि आदि शर्तें रखी जाती हैं। इनमें लगाई गई शर्तों को पूरा करने वाले यात्री ही इन लाभों के लिए पात्र होते हैं।

अंडमान में प्राकृतिक वनों का संरक्षण

4199. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंडमान में प्राकृतिक वनों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि इस द्वीप समूह में इनका नियोजित ढंग से दोहन किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 में उंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्राकृतिक वन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) लिटल अंडमान के वन, राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों और ट्राइबल रिज़र्वों से वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध। अन्य क्षेत्रों के लिए न्यायालय को संशोधित कार्य योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी।

(ख) प्लाईवुड, वेनीर ब्लैक बोर्ड, दियासलाई अथवा किसी अन्य काष्ठ आधारित उद्योग की कच्चे माल की किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) सभी आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों के लाइसेंसों का 31 मार्च, 2003 के बाद नवीकरण नहीं किया जाएगा, तथापि इन इकाइयों को 31 मार्च, 2003 तक मौजूदा भंडार समाप्त करने की अनुमति है। इसके बाद केवल स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी आरा मिलें चलती रहेंगी।

उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आरा मिलों द्वारा अंडमान के प्राकृतिक वनों के लिए विदोहन का कोई खतरा नहीं है।

[हिन्दी]

सड़क विकास योजना

4200. श्री शिवाजी माने : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई बीस-वर्षीय सड़क विकास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए धन के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी विदेशी सहायता की मांग की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) सरकार ने बीस-वर्षीय कोई सड़क विकास योजना तैयार नहीं की है। तथापि, मंत्रालय ने 'सड़क विकास योजना संकल्पना-2001' नामक एक दस्तावेज भारतीय सड़क कांग्रेस से तैयार करवाया है जिसमें अगले 20 वर्षों के दौरान देश में सड़क विकास के लिए दिशानिर्देशों एवं सिफारिशों का प्रावधान है। इस दस्तावेज में सड़क विकास के वित्तपोषण के लिए संभाव्य स्रोतों का उल्लेख है। तथापि, विभिन्न स्रोतों से निधियों के प्रावधान का इसमें उल्लेख नहीं है।

[अनुवाद]

तिरूपति से एअरलिंक

4201. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूपति और देश के अन्य बड़े नगरों के बीच हवाई संपर्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तिरूपति के लिए उड़ानें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि–हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद और तिरूपति के बीच जेट एअरवेज की उड़ानों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) आजकल निजी अनुसूचित ऑपरेटरों सहित सभी अनुसूचित ऑपरेटरों में केवल इंडियन एयरलाइंस ही हैदराबाद–तिरूपति–हैदराबाद सैक्टर में, सप्ताह में 2 उड़ानों की दर से हवाई सेवाएं प्रदान कर रही है। फिर भी एयरलाइन ऑपरेटर अपनी व्यापारिक दृष्टि से किसी भी रूट/सैक्टर पर उड़ानें प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वे सरकार द्वारा जारी रूट डिस्पर्सल दिशा–निर्देशों का अनुपालन करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम सुधार

4202. श्री के. करूणाकरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खासतौर पर कामगार के हितों का ख्याल रखने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन वाले श्रम सुधार को प्रभावी बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सामाजिक भागीदारों की आवश्यकताओं के आधार पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विभिन्न संशोधन प्रस्तावित हैं। इस अधिनियम में संशोधन सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं।

[हिन्दी]

विकास परियोजनाओं में अड़चनें

4203. श्रीमती रमा पायलट : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय वन विभागों द्वारा सृजित अड़चनों से कोई विकास परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण वे रुकी हुई हैं/लंबित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालु) : (क) राज्य सरकार के स्तर पर प्रस्तावों पर कार्रवाई करने में विलम्ब हुआ है। विलम्ब सामान्यतया उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा अधूरे प्रस्ताव करने, प्रस्तुति के अधिक माध्यम होने तथा प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के कारण होता है।

(ख) स्थिति को सुधारने के संबंध में जो उपाय उठाए गए हैं/अपेक्षित हैं उनमें शामिल हैं : आवेदन प्रपत्र को सरल बनाना; प्रत्येक स्तर पर प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना, नोडल अधिकारियों को सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित ऐसे प्रस्तावों, जिनमें 5 हेक्टेयर तक वन भूमि का उपयोग शामिल है, को सीधे केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए प्राधिकृत करना और मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने स्तर पर उन मामलों में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत करना जिनमें 5 हेक्टेयर तक वन भूमि का उपयोग शामिल है।

[अनुवाद]

घरेलू उड़ान के लिए इ-टिकट

4204. श्री अधीर चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए विमान में इ–टिकट शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

4205. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान एशियाई विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य–वार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरे होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) सिंचाई परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान एशियन डेवेलपमेन्ट बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (इन्टरनेशनल मोनेटरी फंड) द्वारा कोई भी धनराशि नहीं दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए उपयोग के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	समझौता की तारीख/ पूरा होने की तारीख	सहायता राशि 31.2.2002 तक संचयी उपयोग (मिलियन अमेरिकी डालर में)	वर्ष के दौरान प्राप्त संवितरण (मिलियन अमेरिकी डालर में)		
				1999–2000	2000–01	2001–02
1.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना III	3.6.1997 31.1.2003	325.00 क्रेडिट 131.505 ऋण : शून्य	13.71	27.10	23.14
2.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)	30.1.1999 31.3.2004	142.00 62.99	36.74	12.63	10.62
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	5.1.96 30.9.2002	290.900 179.627	28.67	29.26	16.62
4.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	15.3.2002 31.3.2008	143.00 5.00	–	–	5.00
5.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	8.3.2002 31.10.2007	149.20 5.00	–	–	5.00
6.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	22.9.95 31.3.2003	283.90 150.059	57.50	32.34	2036
7.	*हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	24.06.1994 31.12.2001	258.00 258.00	32.93	41.50	52.93

*परियोजना पूर्ण

वन अधिकारियों की हत्या

4206. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 4 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने और सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) झारखण्ड राज्य को छोड़कर, अपेक्षित, सूचना, जो कि सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से एकत्र की जा चुकी है, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	क्या अनेक वन अधिकारियों की हत्या विशेषतया निम्न ग्रेड के, पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई है;	यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;	क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1.	जम्मू व कश्मीर	जी, हां।	सशस्त्र तस्करों द्वारा वनों में एक व्यक्ति, अर्थात् अब्दुल रहमान गनी की हत्या हुई थी।	जी, हां।	जम्मू और कश्मीर सरकार ने वन विभाग में एक पृथक स्कंध का सृजन किया है जो बचाव बल कहलाता है और जो सशस्त्र तस्करों की गतिविधियों को खत्म करने के लिए हथियारों से लैस होगा और वनवासियों और उनके जीवन की रक्षा के लिए वन फील्ड स्टाफ होगा।
2.	उत्तर प्रदेश	जी, हां।	1999–10 2000–06 2001–05	जी, हां।	उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंदर धीरे–धीरे कर्मचारियों को राइफलें/बेतार के सेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सहायक वन संरक्षक के स्तर के एक अधिकारी के अधीन 19 डिवीजनों में, वाहन और हथियारों के साथ सुरक्षा बल उपलब्ध कराई गई है। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में जिला स्तर पर समन्वय समिति भी गठित की गई है।
3.	उत्तरांचल	जी, हां।	2 वन रक्षकों और वन	जी, हां।	संचार नेटवर्क सुदृढ़ बनया गया है। स्टाफ

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
		सहायक की देहरादून डिवीजन में हत्या हुई थी। एक उप रेन्ज अधिकारी की कोरबेट बाघ रिजर्व में हत्या हुई और तीन वन रक्षक गंभीर रूप से घायल हुए।		को आग्नेय शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया गया है। सुरक्षित क्षेत्रों व वन क्षेत्र में एक समान पुलिस अधिकारियों को आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। वन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई व प्रभावी आसूचना एकत्रण के लिए गुप्त निधि उपलब्ध कराई गई है। ऐसी घटनाओं में मरने वाले वन अधिकारियों के निकट संबंधी व परिचितों को पुलिस बल के बराबर अनुग्रहपूर्वक अदायगी नियत की गई है और अब मृतकों के संबंधियों को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं।
4. असम	जी, हां।	16 निम्न ग्रेड के अधिकारी मारे गए। 1998–99 = 11 1999–00 = 02 2000–01 = 03 कुल = 16 अपहृत = 7 मारे गए = 16 हमला किए गए = 139 कुल = 162	जी, हां।	स्थिति का मुकाबला करने के लिए अलग–अलग क्षेत्रों में असम वन सुरक्षा बल के कार्मिकों की तैनाती की गई। समस्या की गंभीरता को देखते हुए बल के उपलब्ध कार्मिक पर्याप्त नहीं हैं। स्थिति का मुकाबला करने के लिए संगठित प्रयास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
5. कर्नाटक	जी, हां।	1998 = 01 1999 = 03	जी, हां।	(i) वन सुरक्षा में लगे हुए स्टाफ को उनकी सुरक्षा के लिए पम्प–एक्शन गनें जैसे विभिन्न प्रकार के असला अस्त्र–शस्त्र और उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। (ii) सुरक्षा कार्य में लगे हुए स्टाफ को उनकी सुरक्षा के लिए नाईट विजन दूरबीनें और नाईट विजन गागल्स उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। (iii) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को समायोजित करने के लिए कर्नाटक वन अधिनियम को संशोधित किया गया है जिसमें धारा 76. क के अन्तर्गत वन

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
				अधिकारी, कर्नाटक वन अधिनियम और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अध्याय VI के अन्तर्गत किसी भी अपराध को होने से रोकने के लिए और व्यक्तियों तथा संपत्ति को अधिकतम नुकसान पहुंचाने हेतु ज्यादा से ज्यादा बल प्रयोग कर सकते हैं।
6. बिहार	जी, हां।	पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों की हत्या के चार मामले हुए हैं।	जी, हां।	जिला प्राधिकरणों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों जैसे सासाराम, मुंगेर, पश्चिमी चम्पारण और पटना में होम गार्ड और सशस्त्र पुलिस उपलब्ध कराई गई है। वन अधिकारियों के मामले, जिनकी जिन्दगी को खतरा है, निजी सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए गए हैं। वन सुरक्षा बल को संगठित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 507 राइफलें और गोली, गोला बारूद की 2 लाख राऊन्ड की आपूर्ति के लिए आर्डिनेन्स फैक्टरी को 202 लाख रुपए दिए गए। इनमें से 258 राइफलें बिहार राज्य और बाकी झारखंड के लिए हैं। जब कभी भी वन कार्मिकों के साथ–साथ वन उत्पाद की सुरक्षा के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है, पुलिस बल मांगी जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमशः पुलिस स्टेशनों पर दर्ज कराई गई है और इस मामले की वन अधिकारियों के साथ–साथ सरकारी अधिवक्ता द्वारा नियमित रूप से मानिटरी की जा रही है। भारतीय वन सेवा के श्री संजय कुमार की हत्या के मामले में सी.बी.आई. जांच का आदेश दिया गया है।
7. तमिलनाडु	जी, हां।	1998–1999 = 01 1999–2000 = 03	जी, हां।	वन संपदा और संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों कार्यरत वन

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
		2000–2001 = शून्य 2001–2002 = 01 (फरवरी तक)		अधीनस्थ कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार ने संचार सुविधाओं जैसे टेलिफोन, बेतार, वाकी–टॉकी सेट आदि के अतिरिक्त उन्हें तेज चलने वाले वाहन, परिष्कृत हथियार (ऑस्ट्रिया से खरीदी गई ब्लॉक .17 पिस्तौलें) की आपूर्ति भी की है। विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने के साथ ही वन अपराधियों के दलालों में अत्यधिक कमी आई है।
8. महाराष्ट्र	जी, हां।	गश्त लगाते हुए एक वन कर्मचारी 6.8.2000 को लकड़ी के तस्करों द्वारा किए गए हमले में काफी जख्मी हो गया। बाद में उन्हीं जख्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दो अन्य कर्मचारी भी जख्मी हुए।		4–सर्कलों अर्थात् थाणे, धूले, चन्द्रपुर नागपुर और वन्यजीव क्षेत्रों में वायरलैस नेटवर्क लगाए गए हैं। अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष वन स्टेशन बनाये जा रहे हैं। निकट भविष्य में कार्यालय और स्टाफ के साथ हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नियमित बीट चेकिंग की जा रही है। नियमित रात्रि गश्त लगाई जा रही है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से विशेष वन आरक्षित पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। संयुक्त वन प्रबंधन स्कीम के माध्यम से वनों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों से वनों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों की सहभागिता को भी शामिल किया जा रहा है।
9. मणिपुर	जी, हां।	एक वन अधिकारी की हत्या हो गई। श्री काकाई होकिप, सामाजिक वानिकी विभाग के प्रभारी की एक	जी, हां।	सरकार ने आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए हैं। धमकी दिए गए व्यक्तिगत अधिकारियों को

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
		अज्ञात शरारती द्वारा मार्च 2002 के 21वें दिन हत्या कर दी गई।		गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वनों और वन्यजीव अपराधियों पर नियंत्रण और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए विभाग पुलिस और अन्य राज्य और केन्द्रीय सुरक्षा बलों से भी संपर्क में है।
10. उड़ीसा	जी, हां।	1999 और 2000 के दौरान क्रमशः श्री भगवान मांझी, अंगुल प्रभाग का पूर्व वन गार्ड और श्री सुदर्शन अल्तिया, वनपाल और नंदी किशोर बेहरा, फूलबानी विभाग के वन गार्ड की हत्या हुई।	जी, हां।	260 पुलिस कार्मिकों से निर्मित 19 यूनिटें जिनमें 20 एस आई, 14 ए एस आई, 19 हवलदार और 207 कान्सटेबल शामिल हैं। धूआनाली और बारबेरा आरक्षित वन क्षेत्रों में सी.आर.पी.एफ. तैनात किए गए हैं। वनोत्पादों के व्यापार को विनियमित करने के लिए 249 वन जांच द्वार बनाए गए हैं। 469 वी.एच.एफ. सेट लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र सुरक्षा कर्मचारियों को 339 बंदूकें और 61 रिवाल्वर भी दिए गए हैं।
11. त्रिपुरा	जी, हां।	23.11.99 को पश्चिम त्रिपुरा जिले के खोवई उप प्रभाग में कल्याणपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कृष्णापुर में मोबाईल फॉरेस्ट पेट्रोल पार्टी में एक वन रक्षक, एक माली एवं वाचर और दैनिक वेतन पर लगाए गए एक ड्राइवर एक उग्रवादी हमले में मारे गए।	जी, हां।	मृतकों के परिवारों को अन्तरिम परिवार पेंशन और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी गई। उग्रवादी हिंसा/हमले में मारे गए सरकारी कर्मचारियों के लिए मानदण्डों के अनुसार विशेष वित्तीय अनुदान भी उपलब्ध कराए गए। वन विभाग के दोनों मृतकों की पत्नियों को रोजगार दे दिया गया है। दैनिक वेतन भोगी की पत्नी को रोजगार देने पर, राज्य सरकार विचार कर रही है।
12. मध्य प्रदेश	जी, हां	1. श्री मुन्नीलाल पटेल, वन रक्षक की हत्या 21.1.2002 को की गई थी तथा उनका शव कम्पार्टमेंट नं. आर एफ 36 में पाया गया था। हत्या की रिपोर्ट मिंगवानी पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोषियों को	जी, हां।	संवेदनशील वन क्षेत्रों में विशेष पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वन अपराधों को रोकने के लिए वन कमर्चारियों द्वारा वन क्षेत्रों में सामूहिक गश्त शुरू की गई है। सूचना के त्वरित आदान प्रदान के लिए वायरलैस सिस्टम का एक नेटवर्क सृजित किया गया है। सरकार द्वारा वन

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
		गिरफ्तार कर लिया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।		कर्मचारियों को 12 बोर की 557 बन्दूकें प्रदान की गई हैं। मृतकों के आश्रितों के लिए 1.00 लाख रुपए की विशेष अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
		2. श्री मुन्नी लाल पटेल के उत्तराधिकारी को 1.00 लाख रुपए की विशेष अनुदान राशि दी गई थी।		वन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। लोक सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से 11,621 वन सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं। वन अपराधों को रोकने के लिए जिला स्तर पर विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। जिला कलैक्टर, पुलिस अधीक्षक और मंडल वन अधिकारी कार्य बल के सदस्य हैं।
13. राजस्थान	जी, हां	पिछले तीन वर्षों में दो फोरेस्ट गार्ड अर्थात श्री सुखवीर सिंह और श्री दयाराम की हत्या 2.3.1999 तथा 24.6.1999 को ड्यूटी के दौरान की गई थी। पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।	जी, हां।	संवेदनशील क्षेत्रों में वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में लगे वन अधिकारियों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय शस्त्र प्रदान किए गए हैं। त्वरित संचार के लिए, इस प्रकार के कर्मचारियों को वायरलैस सैट तथा वॉकी–टॉकी सैट उपलब्ध कराए गए हैं।
14. पंजाब	जी, हां	एक फोरेस्ट गार्ड श्री लखविन्दर सिंह की हत्या वनों में 30.01.2002 को की गई थी।	जी, हां।	राज्य सरकार से वन अधिकारियों को उनकी अपनी रक्षा हेतु हथियार प्रदान करवाए जाने का अनुरोध किया गया है।
15. पश्चिम बंगाल	जी, हां	अवधि के दौरान 2 कर्मचारियों की हत्या की गई है : 1. श्री मनिन्द्र चौधरी सरकार, उप रेंजर फोरेस्टर की हत्या 1998–99 के दौरान की गई थी।		स्थानीय पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा जांच कार्य चल रहा है।

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
		2. श्री अनिल रॉय, वन श्रमिक की हत्या 2000–2001 के दौरान की गई।		
16. मेघालय	जी, नहीं	(क) पर दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न उठता	जी, हां।	वनों में ड्यूटी करते समय उन्हें प्रभावी हथियार और वायरलैस सैट प्रदान कराने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। असुरक्षित क्षेत्रों में वन कर्मचारियों के साथ ड्यूटी हेतु सशस्त्र होम गार्डों और ग्रामीण सुरक्षा स्वंयसेवकों को भी तैनात किया जाता है।
17. चण्डीगढ़ प्रशासन	जी, नहीं	शून्य	जी, हां।	विभाग ने फील्ड में तैनात अधिकतर फील्ड स्टाफ को वायरलैस सैट/बंदूकें और वाहन/मोटर साइकिल प्रदान करवाकर ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।
18. छत्तीसगढ़	जी, नहीं	एन ए	जी, हां।	शीघ्र संचार के लिए वायरलैस नेटवर्क स्थापित किया गया है तथा फील्ड स्टाफ विशेषकर रेंज अफसरों, उप–रेंज अफसरों और वन रक्षकों को बंदूकें प्रदान की गई हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में फील्ड स्टाफ को सहायता के लिए विशेष सशस्त्र बल भी प्रदान किए गए हैं।
19. केरल	जी, नहीं	एन ए	जी, हां।	वनों और वन कर्मचारियों की प्रभावी सुरक्षा के लिए केरल में 1988 में फोरेस्ट स्टेशन सिस्टम शुरू किया था। अब तक 11 क्षेत्रीय मंडलों में 88 वन स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय सर्कल में विशेष जांच और सुरक्षा यूनिट है जिसकी अध्यक्षता एक सहायक वन संरक्षक द्वारा की जाती है। उपरोक्त के अलावा अब कोन्नी तथा नीलाम्बर स्थित इसके मुख्यालय में रेपिड एक्शन फोर्स की दो इकाइयां गठित की गई हैं। रेपिड एक्शन फोर्स में वन अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी हैं। पूरे वन क्षेत्र

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
				को वायरलैस संचार से कवर किया गया है।
20. गुजरात	जी, नहीं	एन ए	जी, हां।	राज्य सरकार ने अधीनस्थ वन स्टाफ को बंदूक और रेंज वन अधिकारियों को तमन्चे आत्म सुरक्षा के लिए प्रदान किए हैं। जब भी स्थिति की मांग होती है जिला प्रशासन पुलिस के सहयोग से वन अधिकारियों की सहायता करते हैं।
21. आंध्र प्रदेश	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
22. अरुणाचल प्रदेश	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
23. हरियाणा	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
24. सिक्किम	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
25. पांडिचेरी	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
26. दमन एवं दीव	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
27. लक्षद्वीप	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
28. हिमाचल प्रदेश	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
29. नागालैंड	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
30. दिल्ली	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
31. दादरा और नगर हवेली	शून्य	एन ए	एन ए	एन ए
32. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
33. पणजी/गोवा	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
34. मिजोरम	जी, नहीं	एन ए	एन ए	एन ए
35. झारखंड	सूचना प्राप्त नहीं हुई			

नासिक से विमान सेवा

4207. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नासिक शहर से यात्री विमान सेवाओं को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नासिक से विमान सेवाएं फिर से शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने वायुदूत को एचएस 748 विमान सौंपने के बाद वर्ष 1989 से नासिक से प्रचालन बंद कर दिए थे। आजकल नासिक आने/जाने वाले हवाई यात्रियों की जरूरतों को इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपनी मुंबई और औरंगाबाद आने/जाने वाली उड़ानों द्वारा पूरा किया जाता है जो कि नासिक से क्रमशः 150 कि.मी. और 160 कि. मी. की दूरी पर स्थित हैं।

(ख) और (ग) नासिक से हवाई सेवाएं दोबारा आरंभ करने के लिए इंडियन एयरलाइंस की फिलहाल कोई योजना नहीं है। फिर भी, एयरलाइन प्रचारक अपनी व्यापारिक दृष्टि से किसी भी मार्ग/क्षेत्र पर उड़ान प्रचालित करने के लिए आजाद हैं बशर्ते कि वे सरकार द्वारा जारी रूट डिस्पर्सल दिशा–निर्देशों का अनुपालन करें।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन परियोजना (नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बुफैलो ब्रीडिंग)

4208. श्री चिंतामन वनगा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन परियोजना (नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बुफैलो ब्रीडिंग) की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृति मिल गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन संबंधी परियोजना के तहत विभाग को 82.33 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव में जो कमियां थीं, उनसे राज्य को अवगत करा दिया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि प्रस्ताव में उपयुक्त संशोधन करा करें। राज्य के उत्तर की प्रतीक्षा है।

विश्व विरासती स्मारकों का दायरा

4209. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री सी. के. जाफर शरीफ :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व विरासती स्मारकों का दायरा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों की भी मदद मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता है।

(ग) विश्वदाय सूची में नामांकन के वास्ते 13 स्थल प्रस्तावित किए गए हैं जिन्हें यूनेस्कों द्वारा अनन्तिम सूची में रखा गया है, जिनका संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है।

विवरण

सांस्कृतिक/औद्योगिक स्थलों की अनन्तिम सूची

क्र.सं.	राज्य	स्थल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	गोलकोंडा किला, हैदराबाद

1	2	3
2.	बिहार	शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम
3.	गुजरात	ऐतिहासिक नगर चम्पानेर के अवशेष
4.	गुजरात	धौलाबीरा, एक हड़प्पाकालीन नगर
5.	गुजरात	रानी–की–वाव (रानी का सीढ़ीनुमा–कुआं) पाटन
6.	जम्मू व कश्मीर	बौद्ध मठ परिसर, अल्ची, लद्दाख
7.	जम्मू व कश्मीर	हेमिस गोम्पा, लद्दाख
8.	केरल	मत्तनचेरी महल, एर्णाकुलम
9.	मध्य प्रदेश	चित्रों वाले प्रागैतिहासिक शैलाश्रय एवं गुफाएं, भीमबेटका
10.	मध्य प्रदेश	स्मारक समूह, मांडू
11.	महाराष्ट्र	विक्टोरिया टर्मिनस, मुम्बई
12.	उत्तर प्रदेश	प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ, वाराणसी
13.	पश्चिम बंगाल	विष्णुपुर के मंदिर

न्यूनतम समर्थन मूल्य

4210. श्री रतन लाल कटारिया :
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अनुसार नोडल एजेंसियां सम्पूर्ण कृषि उत्पादों को सरकार द्वारा घोषित गारंटी मूल्य पर खरीदेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑपरेशन में नोडल एजेंसियों को हुए समस्त नुकसान की भरपाई के लिए वचनबद्ध है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996–97 से 2001–2002 के दौरान बजटीय प्रावधान, एफ.सी.आई., नेफेड, जेसीआई और सीसीआई की नोडल एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑपरेशन में हुए नुकसान और इस नुकसान की भरपाई का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नीति के अनुसार समस्त नुकसान की भरपाई कर दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

(च) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान कीमतों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से 30–40% की कमी होने के बावजूद भी कोपरा के क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या कोई अन्य फसलें हैं जिनकी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने के बावजूद भी उन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया गया; और

(ज) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं और राज्यों द्वारा नामित अन्य एजेंसियों के अलावा सार्वजनिक एवं सहकारी एजेंसियों जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) तथा तम्बाकू बोर्ड द्वारा खरीद की कार्रवाई की जाती है।

यदि मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाएं तो नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियों से उत्पादकों द्वारा लाई गई प्रमुख कृषि जिंसों की खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के खरीदने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम के मामले में सरकार द्वारा अनाज की आर्थिक लागत तथा इसके केन्द्रीय निर्गत मूल्य (सी.आई.पी.) के अन्तर की प्रतिपूर्ति उपभोक्ता सब्सिडी के रूप में कर दी जाती है। इसके अलावा अनाज के बफर स्टॉक लागत की प्रतिपूर्ति भी भारतीय खाद्य निगम को की जाती है। खाद्यान्न की विकेन्द्रीकृत खरीद स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत

अनाज की खरीद, भंडारण तथा वितरण की व्यवस्था की जाती है और प्रचालन लागत की प्रतिपूर्ति राज्यों को सब्सिडी के रूप में की जाती है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकारों को निर्गत सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को मूल्य समर्थन प्रचालन में हुए घाटे की समस्त प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिए नेफेड को 'लेखा आधार' पर धनराशि जारी कर दी है, क्योंकि वर्ष 1996–97 के बाद तिलहन व दलहन के खरीद प्रचालन से संबंधित अंतिम लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। नेफेड के बजट, हुए घाटे तथा जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में है।

भारतीय पटसन निगम के वर्षवार बजट प्रावधान, खरीद, हुए घाटे तथा 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के घाटे की प्रतिपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में है।

जहां तक भारतीय कपास निगम का प्रश्न है, इसे 1999–2000 (अक्टूबर–सितम्बर) के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के कारण कोई घाटा नहीं हुआ। वर्ष 2000–2001 (अक्टूबर–सितम्बर) के दौरान मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहने के कारण भारतीय कपास निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के तहत कोई खरीद नहीं की गई। वर्ष 2001–2002 (अक्टूबर–सितम्बर) के दौरान भारतीय कपास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के कारण लगभग 100 करोड़ रुपये का घाटा होने की सूचना दी है, जिसमें से अब तक 25 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति निगम को की जा चुकी है।

(च) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत खोपरे की खरीद 2000 मौसम से की जा रही है। इसने 2000 मौसम के दौरान 2,34,845 मी. टन, 2001 मौसम के दौरान 49,378 मी. टन तथा 2002 मौसम के दौरान 3900 मी. टन खोपरे की खरीद की है। खोपरे के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर नेफेड खोपरे की खरीद करता रहेगा।

(छ) और (ज) प्रमुख कृषि जिंसों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा खरीद की कार्रवाई की जाती है। हाल ही के वर्षों में प्रमुख कृषि जिंसों की खरीद बड़ी मात्रा में की गई है।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को निर्मुक्त राजसहायता दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम		मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	छत्तीसगढ़	कुल
	उपभोक्ता राजसहायता	बफर राजसहायता					
1	2	3	4	5	6	7	8
1996–97	4303.50	862.50	–	–	–	–	5166.00
1997–98	6535.30	936.70	–	–	28.00	–	7500.00
1998–99	7093.86	1552.31	–	–	53.83	–	8700.00
1999–00	7103.01	1753.71	92.64	194.00	56.64	–	9200.00
2000–01	7229.25	4232.75	85.00	398.00	65.00	–	12010. 00

1	2	3	4	5	6	7	8
2001–02	10842.10	5881.90	113.0067	436.2983#	220.695	–	17494.00
2002–03	5838.80	3076.70	39.275	298.04	–	9.06	9261.875*

#इसमें पूर्ववर्ती अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के एक भाग के रूप में उत्तरांचल सरकार को 9.11.2000 से 31.3.2001 तक की अवधि के लिए 10.01 करोड़ रुपये की राजसहायता की निर्मुक्ति तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ए ए वाई के लिए 55.1484 करोड़ रुपये राजसहायता के रूप में शामिल हैं।

*21,190 करोड़ रुपये (भारतीय खाद्य निगम के लिए 20,313 करोड़ रु. और विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति करने वाले राज्यों के लिए 877 करोड़ रु.) के कुल बजट अनुमान प्रावधान में से (6.8.2002 तक) निर्मुक्त राजसहायता राशि।

विवरण-II

नेफेड का बजट, हुई हानि और निर्मुक्त राशि दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रु. में)

वर्ष	बजट	हुई हानि	पी एस एन परिचालनों के लिए नेफेड को निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
1996–97	100.00	शून्य	शून्य
1997–98	100.00	शून्य	शून्य
1998–99	100.00	शून्य	शून्य
1999–00	100.00	6102.00	99.06
2000–01	2600.00	47808.00	2500.00
2001–02	35300.00	11488.00	34055.00
2002–03 (7.8.2002 तक)	30000.00	प्रचालन जारी	29848.00

विवरण-III

पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम (जे सी आई) द्वारा बजट प्रावधान, अधिप्राप्ति और न्यूनतम मूल्य परिचालन पर हुए घाटे का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	बजट प्रावधान (करोड़ रु. में)	180 कि.ग्रा. की लाख गांठों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत अधिप्राप्ति	न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन में भारतीय जूट निगम द्वारा सूचित अधिप्राप्ति घाटा (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार द्वारा ऋणों के रूप में मुहैया निधियां (करोड़ रुपये में)
1999–2000	16.00	0.18	55.46*	16.00
2000–2001	35.00	4.54	52.39*	35.00
2001–2002	35.00	2.45	65.00* (अनंतिम)	35.00

*सरकार द्वारा इन आंकड़ों को स्वीकृत नहीं किया गया है। भारतीय पटसन निगम को इस घाटे का विस्तृत ब्यौरा/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक श्रमिक

4211. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 के अंत तक औद्योगिक श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) संगठित और असंगठित क्षेत्रों के उद्योगों में श्रमिकों की अलग–अलग संख्या कितनी है; और

(ग) पिछले दशक के दौरान संगठित क्षेत्रों के उद्योगों में श्रमिकों की संख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) प्रमुख राज्यों एवं समस्त भारत के संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1991–2000 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार की वार्षिक दर में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई।

विवरण

प्रमुख राज्यों तथा अखिल भारत के संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार

क्र.सं.	प्रमुख राज्य	1999–2000 के दौरान अनुमानित रोजगार (हजार में)		
		कुल रोजगार	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	36148	2071.6	34076.4
2.	असम	9357	1084.5	8272.5
3.	बिहार	36437	1613.9	34823.1
4.	गुजरात	22931	1690.3	21240.7
5.	हरियाणा	7159	651.6	6507.4
6.	कर्नाटक	23599	1863.3	21735.7
7.	केरल	12444	1209.8	11234.2
8.	मध्य प्रदेश	34424	1593.7	32830.3
9.	महाराष्ट्र	41241	3759.8	37481.2
10.	उड़ीसा	14981	797.9	14183.1
11.	पंजाब	9885	845.8	9039.2
12.	राजस्थान	23212	1275.7	21936.3
13.	तमिलनाडु	28895	2524.5	26370.5
14.	उत्तर प्रदेश	58924	2552.7	56371.3
15.	पश्चिम बंगाल	28237	2352.3	25884.7
	सभी प्रमुख राज्य	387950	25887.4	362062.6
	अखिल भारत	397000	27959.7	369140.3

[अनुवाद]

कॉयर बोर्ड के सामान्य सुविधा केन्द्र

4212. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉयर बोर्ड ने देश में कोई सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) कॉयर बोर्ड ने स्वयं कोई सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित नहीं किया है। तथापि, बोर्ड ने निम्नलिखित स्थानों पर वेट प्रोसेसिंग हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की है–

(1) एलेप्पी स्माल स्केल कॉयर मैट्स मैन्यूफैक्चरिंग को–आपरेटिव सोसायटी, एलेप्पी, केरल;

(2) पथिरापल्ली में अरयाड ब्लॉक स्माल स्केल फैक्टरी मैन्यूफैक्चरर्स को–आपरेटिव सोसायटी, केरल;

(3) कंजीकुझी स्माल स्केल कॉयर मैट्स मैन्यूफैक्चरिंग को–आपरेटिव सोसायटी, एस एल पुरम, केरल;

(4) छेरथला स्माल स्केल कॉयर मैट्स मैन्यूफैक्चरिंग को–आपरेटिव सोसायटी, छेरथला, केरल;

(5) नीलाचल नारी सेवा समिति, सखीगोपाल, उड़ीसा;

(6) अंबालापुझा कॉयर मैट्स एंड मैटिंग को–आपरेटिव सोसायटी, अंबालापुझा, केरल;

(7) छेरथला तालुक स्माल स्केल कॉयर मैटिंग प्रोड्यूसर्स को–आपरेटिव सोसायटी, कलावनकोडम, केरल;

(8) डी.आर.डी.ए. कॉयर यूनिट, अम्बाजीपेट, आंध्र प्रदेश।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजना

4213. श्री पी. आर. खुंटे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों को विभिन्न रोगों से बचाने की कोई केन्द्र प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) फसलों को विभिन्न रोगों से सुरक्षित रखने की कोई विशिष्ट केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं है। तथापि, कुछ ऐसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं जिनमें अन्य घटकों के साथ कीटों, कृमियों और रोगों के नियंत्रण के लिए प्रावधान हैं जिसमें एकीकृत कृमि प्रबन्ध प्रदर्शन भी शामिल हैं। ये स्कीम हैं–

(i) कृषि का वृहद प्रबंधन–कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण।

(ii) तिलहनों, दलहनों तथा मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन।

(iii) कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन।

(ग) उपर्युक्त ब्यौरों को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि के वृहत प्रबंधन के लिए योजना

4214. श्री कांतिलाल भूरिया :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 'कृषि का वृहत प्रबंधन' नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में किसानों की वित्तीय सहायता करती है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान कोई सहायता जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो देश में किसानों को कौन–कौन सी वस्तुओं पर राजसहायता प्राप्त है;

(ङ) क्या कृषि उपकरणों की सूची और राजसहायता हेतु पात्रता की वस्तुओं की सूची में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (च) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि का वृहत प्रबंधन नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी यह स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार स्कीमें चुनने की सुविधा प्रदान की गई है। वृहत प्रबंध स्कीम के अंतर्गत शामिल स्कीमों की विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2001–02 के दौरान

631.22 करोड़ रुपये तथा मध्य प्रदेश को इस स्कीम के तहत 50.00 करोड़ रुपये निर्गत किए गए।

वृहत प्रबंध स्कीम के अंतर्गत बीजों, कृषि मशीनरी एवं उपकरणों आदि जैसे अनेक आदानों पर सब्सिडी उपलब्ध है। राज्यों को अपने क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार फार्म उपकरणों तथा अन्य किसी भी घटक का चयन करने की सुविधा प्रदान की गई है, बशर्ते नई स्कीमों/कार्यक्रमों से संबंधित व्यय कार्य योजना आकार के 10% से अधिक न हो।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

1. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता
2. महिलाओं की सहकारी समितियों को सहायता
3. गैर अतिदेय कवर स्कीम
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष
5. अनु. जाति/अनु. जनजातियों के लिए विशेष योजना
6. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
8. मोटा अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत विकास
11. उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित उपयोग
12. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
13. समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास
14. सब्जी बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति
15. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
16. औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास
17. मूल एवं कन्द फसलों का विकास
18. कोको तथा काजू का विकास
19. समेकित मसाला विकास
20. खुम्बी का विकास
21. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
22. मधुमक्खीपालन
23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम
24. सब्जी फसलों के आधारी एवं प्रमाणित बीज उत्पादन संबंधी स्कीमें
25. नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
26. क्षारीय मृदा का सुधार एवं विकास
27. राज्य भूमि उपयोग बोर्ड

[अनुवाद]

गिर वनों में कुएं

4215. श्री जी. गंगा रेड्डी :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि गिर वनों में 12,000 से भी अधिक खुले कुएं मौजूद हैं जो सिंहों और अन्य पशुओं के जीवन के लिए खतरा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सिंह और अन्य पशुओं के लिए मौत का पिंजरा बने हुए इन कुओं को ढकने का निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) गिर सुरक्षित क्षेत्र में और इसके इर्द–गिर्द ग्रामीणों द्वारा पानी की कमी को पूरा करने के लिए, कमी वाले महीनों में कुएं खोदे जाते हैं। इनमें से अधिकांश कुओं की मुंडेर नहीं होती और परिणामस्वरूप इन कुओं में वन्यजीवों की गिरने की सूचनाएं अक्सर मिलती रहती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित भारत पर्यावरण विकास परियोजना के तहत उद्यान प्राधिकारियों ने 505 खुले कुओं के चारों ओर मुंडेरों का निर्माण अप्रैल, 1999 से जुलाई, 2002 के दौरान, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए किया है।

पंजाब में कपास की खेती

4216. श्री भान सिंह भौरा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब बीजों के कारण पंजाब में कपास की खेती वाली कुल कृषि भूमि कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के लिए कपास की कृषि का कितना क्षेत्र है; और

(ग) सरकार द्वारा कपास की खेती वाले क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। नहर के जल की विलंब से आपूर्ति, कम बाजार मूल्य और पिछले वर्ष के दौरान कपास फसल की कम उपज के पंजाब में कपास की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कम हुआ है।

(ख) पंजाब में कपास की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1999–2000 में 4.74 लाख हेक्टेयर, 2000–01 में 4.74 लाख हेक्टेयर और 2001–02 में 6.00 लाख हेक्टेयर (अनुमानित) की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान 4.58 लाख हेक्टेयर हो जाने की संभावना है।

(ग) कपास की खेती के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ खेत प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण; प्रशिक्षण और जन संचार माध्यम; समेकित कीट प्रबंधन का अभिग्रहण; नई किस्मों को लोकप्रिय बनाना; अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना; कीटों/रोगों के प्रबोधन के लिए निगरानी दलों का गठन और उनके नियंत्रण के लिए उपाय सुझाना आदि शामिल हैं।

सड़क सुरक्षा

4217. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी कोई रूपरेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसी रूपरेखाओं का सदुपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा को इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क सुरक्षा के संबंध में भारतीय सड़क कांग्रेस तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करता है। 4/6/8 लेन बनाने से संबंधित परियोजनाओं के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं जिनमें बेहतर चौराहा रूपरेखा, सर्विस रोड, संकेत, चिह्नांकन, सड़क उपरि पुल, सुरक्षा अवरोधक, बस बे और ट्रक पार्किंग शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के कोटपुतली और आमेर के बीच खंड पर प्रायोगिक आधार पर यातायात प्रबंधन व्यवस्था की गई है जिसमें आपातकालीन कॉल बॉक्स, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, परिवर्ती संदेश संकेत, मोबाइल संचार, एम्बुलेंस, क्रेन और राजमार्ग गश्त की व्यवस्था है। राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधारे गए खंडों के लिए सुरक्षा परीक्षा का भी प्रस्ताव है।

(ग) सुरक्षा में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है और कार्यस्थल तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर समुचित उपाय किए जाते हैं।

(घ) वर्ष 2002–03 के दौरान विभिन्न राज्यों में सुरक्षा और पर्यावरण के लिए 24.55 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं जिसमें से 2 करोड़ रु. उड़ीसा के लिए हैं।

[हिन्दी]

फल उत्पादक वृक्षों का लगाया जाना

4218. श्री मानसिंह पटेल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन भूमि पर फल उत्पादक वृक्ष लगाने का है जिससे देश में न केवल फलों के उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए वन भूमि को पट्टे पर भी दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क

4219. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क की सभी मानवीय बस्तियों को हटाकर इसे पूरी तरह से देश का एक पशु राज्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर बाघ रिजर्व का एक हिस्सा है। राज्य सरकार के पास इंडाला गांव के निवासियों को राष्ट्रीय उद्यान से उद्यान के बाहरी स्थल पर स्वैच्छिक पुनः स्थापित करने की योजनाएं हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई समय सीमा तय नहीं की है।

चाय श्रमिकों को वेतन का भुगतान न किया जाना

4220. डा. जयन्त रंगपी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और दक्षिण भारत के चाय बागानों में बहुसंख्यक श्रमिकों को जनवरी, 2002 से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन–कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि सिंचाई हेतु योजना परिव्यय

4221. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान कृषि सिंचाई और कृषि संबंधी क्षेत्रों का योजना परिव्यय पहली योजना में 37% से घटकर कुल योजना परिव्यय का 20% रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं योजना में इन क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि के आवंटन में कमी करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों में पहली योजना से नवीं योजना अवधि तक परिव्यय में स्पष्ट

रूप से निरन्तर वृद्धि होती रही है। इसी प्रकार का रुझान सिंचाई क्षेत्र में भी देखा गया है। किन्तु विभिन्न योजना अवधियों में कुल सार्वजनिक निवेश की तुलना में कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों तथा सिंचाई क्षेत्र में निवेश के अंश की प्रतिशतता में कमी देखी गई है। पहली और नौवीं योजना के लिए दोनों क्षेत्रों के रुझान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

योजना आयोग दसवीं योजना के परिव्यय को अंतिम रूप दे रहा है। कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग को 13,200.00 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय सूचित किया गया है।

विवरण

कृषि और सम्बद्ध कार्यालयों तथा सिंचाई के संबंध में पहली और नौवीं योजना के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

	पहली योजना	नौवीं योजना
कुल योजना परिव्यय	2378	859200
(i) कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	354	42462
कुल प्लान परिव्यय की प्रतिशतता	14.9	4.9
(ii) सिंचाई	456	55420
कुल प्लान परिव्यय की प्रतिशतता	19.2	6.4

[हिन्दी]

भविष्य निधि प्राप्त न होने के मामले

4222. प्रो. दुखा भगत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को गत दो वर्षों के दौरान भविष्य निधि के समय पर प्राप्त न होने और प्रक्रिया में उत्पीड़न का सामना करने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक मुख्य भविष्य निधि आयुक्त के मामले में देखे गए ऐसे भविष्य निधि संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों के आधार पर कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और इनमें से प्रत्येक अधिकारी को अलग-अलग क्या परिणामी सजा दी गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि और औद्योगिक श्रमिकों को दिहाड़ी

4223. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कृषि औद्योगिक श्रमिकों को अलग-अलग दरों पर दिहाड़ी प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रचलित विभिन्न दरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनकी दिहाड़ी में कोई वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दरों के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य सरकारें-दोनों अपने-अपने न्यायाधिक्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों से जुड़े श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन हेतु समुचित सरकार हैं। कृषि, केन्द्र और राज्य क्षेत्र-दोनों में अनुसूचित नियोजन है। कृषि श्रमिकों की राज्यवार न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न है। औद्योगिक श्रमिकों की वार्षिक मजदूरी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है जिसे 1998-99 के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में प्रकाशित ताजा आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने कृषि श्रमिकों की मूल न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को 11.11.1999 से प्रभावी किया था। मजदूरी 67/– रुपये से 101/– रुपये तक है। राज्य सरकारें कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में समय–समय पर संशोधन करती रही हैं। देश में न्यूनतम मजदूरी दरों में भिन्नता है क्योंकि जीवन–यापन लागत, उत्पादकता, भुगतान क्षमता, कृषि मौसमगत तथा सामाजिक–आर्थिक दशाओं में क्षेत्रवार भिन्नता पाई जाती है जबकि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण व संशोधन इन्हीं बातों पर निर्भर करता है।

विवरण-I

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत भिन्न–भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि कर्मकारों के लिए नियत न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें

(1.10.2001 के अनुसार)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	52.00 रुपए से 55.50 रुपए प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार)
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.87 रु. से 42.11 रु. प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार)
3.	असम	45.00 रु. प्रतिदिन भोजन, आवास तथा कपड़ों के बिना तथा 38.60 रु. प्रतिदिन भोजन, आवास तथा कपड़े सहित
4.	बिहार	37.88 रु. प्रतिदिन*
5.	गोवा	58.00 रु. प्रतिदिन
6.	गुजरात	50.00 रु. प्रतिदिन
7.	हरियाणा	74.61 रु. प्रतिदिन*
8.	हिमाचल प्रदेश	51.00 रु. प्रतिदिन
9.	जम्मू और कश्मीर	45.00 रु. प्रतिदिन
10.	कर्नाटक	51.63 रु. प्रतिदिन
11.	केरल	30.00 रु. प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए और 40.20 रु. कठिन कार्य के लिए
12.	मध्य प्रदेश	51.80 रु. प्रतिदिन*
13.	महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं
14.	मणिपुर	62.15 रु. प्रतिदिन* घाटी वाले क्षेत्रों के लिए
		65.15 रु. प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए
15.	मेघालय	50.00 रु. प्रतिदिन*
16.	मिजोरम	70.00 रु. प्रतिदिन
17.	नागालैंड	45.00 रु. प्रतिदिन
18.	उड़ीसा	42.50 रु. प्रतिदिन*
19.	पंजाब	72.38 रु. प्रतिदिन भोजन के साथ
		82.08 रु. प्रतिदिन बिना भोजन के
20.	राजस्थान	60.00 रु. प्रतिदिन
21.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	54.00 रु. प्रतिदिन
23.	त्रिपुरा	45.00 रु. प्रतिदिन
24.	उत्तर प्रदेश	58.00 रु. प्रतिदिन*
25.	पश्चिम बंगाल	58.90 रु. प्रतिदिन* (भोजन के साथ)
		62.10 रु. प्रतिदिन (भोजन के बिना)
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	70.00 रु. प्रतिदिन (अंडमान) 75.00 रु. प्रतिदिन (निकोबार)

1	2	3
27.	चंडीगढ़	81.65 रु. प्रतिदिन
28.	दादरा और नगर हवेली	60.00 रु. प्रतिदिन*
29.	दिल्ली	102.60 रु. प्रतिदिन*
30.	लक्षद्वीप	46.80 रु. प्रतिदिन*
31.	पांडिचेरी	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	20.00 रु. से 22.00 रु. प्रतिदिन
	(ii) माहे क्षेत्र	30.00 रु. प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए
	(iii) यनम क्षेत्र	40.20 रु. प्रतिदिन कठिन कार्य के लिए
		19.25 रु. से 26.25 रु. प्रतिदिन
	(iv) कराइकल	20.00 /. से 22.00 रु. प्रतिदिन
	केन्द्रीय क्षेत्र	86.63 रु. से 129.93 रु. प्रतिदिन

नोट : (1) न्यूनतम मजदूरी में जहां कहीं प्रावधान है परिवर्ती महंगाई भत्ता भी शामिल है।

(2) *मजदूरी की न्यूनतम दर के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

विवरण-II

1998–99 में औद्योगिक कर्मकारों की राज्य–वार वार्षिक मजदूरी

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मजदूरी (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.39
2.	असम	0.32
3.	बिहार	0.88
4.	गोवा	0.82
5.	गुजरात	0.63
6.	हरियाणा	0.72
7.	हिमाचल	0.70
8.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	0.55
10.	कर्नाटक	0.70
11.	केरल	0.45
12.	मध्य प्रदेश	0.57
13.	महाराष्ट्र	1.10
14.	मणिपुर	0.24
15.	मेघालय	0.39
16.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
17.	नागालैंड	0.21
18.	उड़ीसा	0.76
19.	पंजाब	0.49
20.	राजस्थान	0.63
21.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं
22.	तमिलनाडु	0.47
23.	त्रिपुरा	0.21
24.	उत्तर प्रदेश	0.70
25.	पश्चिम बंगाल	0.67
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.39
27.	चंडीगढ़	0.93

1	2	3
28.	दादरा और नगर हवेली	0.95
29.	दमन और दीव	0.47
30.	दिल्ली	0.71
31.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं
32.	पांडिचेरी	0.50
33.	झारखंड	0.95
34.	छत्तीसगढ़	1.47
35.	उत्तरांचल	0.53
36.	संपूर्ण भारत	0.66

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

4224. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 2002 के 'द स्टेट्समैन' में "ए.ए.आई.एन.ई.–प्रोजैक्ट्स हिट रफ वैदर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) की कतिपय परियोजनाओं की लागत में गत दो वर्षों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लागत में बिना किसी वृद्धि के ऐसी सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। यद्यपि उत्तर–पूर्व क्षेत्र में विविध कारणों से कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई है, इन कारणों में निम्न शामिल हैं–

(i) उत्तर–पूर्वी प्रदेश के कुछ हिस्सों में विप्लवकारी समस्याओं के कारण निर्माण सामग्री की ढुलाई में देरी होती है।

(ii) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण उत्तर–पूर्व के कुछ भागों में निर्माण के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता, जिसमें पूरे पत्थरों की कटाई भी शामिल है।

(iii) वर्षा ऋतु का समय लम्बा होने की वजह से कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति में देरी।

(iv) निर्माण/परियोजना कार्य हेतु भूमि का समय पर उपलब्ध नहीं होना।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने भा. वि.प्रा. द्वारा शुरू की गई कार्य–निष्पादन में लगे समय और लागत सहित परियोजनाओं के सभी पहलुओं का प्रभावी रूप से अनुश्रवण करने हेतु अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में परियोजना अनुश्रवण विभाग बनाया है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस और ताज ग्रुप के बीच समझौता

4225. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और ताज ग्रुप के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। ताज समूह तथा इंडियन एयरलाइंस ने संयुक्त रूप से एक संवर्धन योजना शुरू की है जिसके तहत कोई यात्री जिसने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा बंगलौर (चेन्नई तथा बंगलौर के बीच यात्रा को

छोड़कर) के बीच सेक्टरों पर एक रिटर्न टिकट पैकेज खरीदा हो वह गंतव्य शहर में ताज समूह के विनिर्दिष्ट होटलों में 1000/– रुपए के चार्ज के मुताबिक एक रात के लिए ठहर सकता है। इस योजना की वैधता 15 जुलाई से 31 अक्टूबर, 2002 तक है।

मछली उत्पादन के लिए धनराशि

4226. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मछली उत्पादन के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र में विकास के लिए केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है–

	(करोड़ रुपये में)
1999–2000	92.64
2000–2001	86.99
2001–2002	83.95

(ग) 1997–98 की तुलना में 2000–2001 में कुल मछली उत्पादन 4.95 प्रतिशत बढ़ गया है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और वनरोपण विकास निगम को बंद किया जाना

4227. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और वनरोपण विकास निगम की स्थापना किस तारीख को की गई थी और इसके लक्ष्य क्या थे;

(ख) इसकी स्थापना के पश्चात् इसके कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने उक्त कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या प्रबंधन द्वारा सरकार को कोई पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ज) द्वीपसमूह में रोजगार की स्थिति पर इसके बंद का क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन और वन रोपण विकास निगम लि. की स्थापना 21 जनवरी, 1977 को की गई थी तथा इसके मुख्य उद्देश्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यह इसके अस्तित्व के 25 वर्षों में से 22 वर्ष लाभ में रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

(च) समिति की रिपोर्ट का मंत्रालय में परीक्षण किया जा रहा है।

(छ) जी, हां। पुनः प्रचलन योजना का परीक्षण किया जा रहा है।

(ज) निगम को बंद किए जाने संबंधी निर्णय लिए जाने की स्थिति में यह लगभग 2000 कर्मचारियों को प्रभावित करेगा।

विवरण

मुख्य उद्देश्य

1. वन संसाधनों की पैदावार और विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराना, वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, महाद्वीप और विदेशों में इमारती लकड़ी और अन्य वन संसाधनों के विपणन की व्यवस्था करना।

2. अच्छी उपयोगिता वाली विभिन्न वन प्रजातियों तथा कृषि, बागान, बागानी फसलों, औषधीय और सुगन्धित पौधों का रोपण, जुताई, कृषि, उत्पादन तथा पौधरोपण करना और सभी प्रकार की वन फसलों, प्राकृतिक उत्पादों, कृषि, उत्पादों, पौद एवं बागानी फसलों, औषधीय एवं सुगन्धित पौधों की खरीद, बिक्री, निर्यात, आयात, प्रसंस्करण, वितरण या अन्य प्रकार का व्यापार।

3. प्रसंस्करण और बिना प्रसंस्करण की गई इमारती लकड़ी और इस प्रकार के अन्य उत्पादों के रोपक, कृषक, उत्पादक, विक्रेता और डीलर के रूप में काम करना तथा प्राकृतिक वनों और वन बागानों, कृषि, पौद एवं बागानी फसलों तथा औषधीय और सुगन्धित पौधों का व्यापार करना।

4. वन उत्पादों, कृषि उत्पादों, बागानी फसलों और औषधीय तथा सुगन्धित पौधों से वस्तुएं बनाने के लिए उद्योगों की स्थापना, संचालन तथा उनका स्वामित्व करना।

5. द्वीपसमूह के वन संसाधनों के एकीकृत विकास तथा कृषि से जुड़े प्रशिक्षण और अनुसंधान का संचालन करना तथा कृषि उत्पादों, बागानी फसलों, औषधीय और सुगन्धित पौधों का प्रसंस्करण।

6. वन्यजीव और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव और सुधार।

ई. एस. आई. अस्पतालों को भवनों का सौंपा जाना

4228. श्री के. येरननायडू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति और निजामाबाद में ई. एस. आई. अस्पतालों को आरम्भ करने के लिए भवनों को सौंपने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन भवनों को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) तिरुपति और निजामाबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के भवन आंध्र प्रदेश राज्य को क्रमशः 9.6.1999 और 20.1.2000 को सौंपे जा चुके हैं। तिरुपति स्थित क.रा.बी. अस्पताल ने 8.7.1999 को जबकि निजामाबाद स्थित क.रा.बी. अस्पताल ने 29.12.2000 को कार्य करना आरंभ कर दिया था।

पूर्वोत्तर में विमानपत्तन

4229. श्री खगेन दास : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की आजादी से पहले पूर्वोत्तर में कौन–कौन से विमानपत्तन चालू थे और वे कहां–कहां स्थित थे;

(ख) पूर्वोत्तर में इस समय कौन–कौन से चालू विमानपत्तन हैं और ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ग) क्या स्वतंत्रता पूर्व के कुछ विमानपत्तन इस समय चालू हालत में नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन विमानपत्तनों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) भारत की आजादी से पहले, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कार्य कर रहे हवाई अड्डों के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) पूर्वोत्तर में अगरतला, लेंगपुई (ऐजवाल), बागडोगरा, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गुवाहाटी, इम्फाल, जोरहाट, सिल्चर, तेजपुर, लीलाबाड़ी (उत्तरी लखीमपुर) और शिलांग

(बारापानी) के हवाई अड्डे आजकल कार्य कर रहे हैं लेकिन लीलाबाड़ी और शिलांग हवाई अड्डों से फिलहाल कोई अनुसूचित उड़ानें प्रचालित नहीं की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) पूर्वोत्तर के पासीघाट, रूपसी, तुरियाल (ऐजवाल), शैला, कमालपुर, कैलाशहर और खोवई स्थित हवाई अड्डे आजकल काम नहीं कर रहे हैं। यह सच है कि काफी समय से हवाई सेवाओं से संबंधित हवाई अड्डों की संख्या में कमी आई है। ऐसा, घरेलू प्रचालकों के पास छोटे आकार के विमानों की कमी होने की वजह से हुआ है। जो हवाई अड्डे चालू हालत में नहीं हैं उन्हें तब चालू किया जा सकता है जब एयरलाइनें इन विशेष, गैर–चालू हवाई अड्डों से अपने प्रचालन आरंभ करने की योजना का संकेत देंगी।

[हिन्दी]

प्रदूषण स्तर की निगरानी

4230. श्री वीर सिंह महतो : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण स्तर की राज्यवार जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए अपनाई गई तकनीक का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी तकनीक के माध्यम से मासिक रिपोर्ट एकत्र की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) प्रदूषण स्तरों की विभिन्न राज्यों में स्थित वायु एवं जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से नियमित तौर पर जांच की जाती है सल्फर डाइ–ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तथा परिवेशी वायु में कण पदार्थ मापने के लिए संशोधित वेस्ट एण्ड गाइके विधि, जैकब एंड होच्येसर संशोधित (सोडियम–आर्सेनिक) विधि तथा हाई वोल्यूम सैम्पलर का प्रयोग करके ग्राविमीटरिक विधि का प्रयोग किया जाता है तथा जल प्रदूषण की मॉनीटरिंग के लिए स्टैंडर्ड कोलोरिमैट्रिक और ग्राविमीटरिक तकनीकों सहित फिजिको–केमिकल विधियों का प्रयोग किया जाता है। मासिक वायु एवं जल गुणवत्ता आंकड़े मानक तकनीकों और दिशानिर्देशों का प्रयोग करके एकत्रित किए जाते हैं तथा सूचना का संकलन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

विदेशों से पौधे और बीज लाया जाना

4231. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोगों को विदेशों से बिना किसी अधिकार के चोरी–छिपे देश में पौधे और बीज लाने से रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या पौधों को लाने से रोकते समय अल्प मात्रा में बीजों की तस्करी का पता लगाना सम्भव नहीं है जो कृषि क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन–कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि और सहकारिता विभाग ने आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के उतरने वाले कार्ड (डिस्एम्बारकेशन कार्ड) में उनके वैयक्तिक सामान में उनके द्वारा भारत में लाए जाने वाले पौधों, बीजों और अन्य पौध सामग्री से संबंधित उचित घोषणा शामिल करने के उपाय शुरू किए हैं। यह घोषणा यात्रियों द्वारा प्रवेश के स्थान पर विद्यमान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित विद्यमान कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि इन पहलुओं के संबंध में उन्हें सुग्राही बनाया जा सके।

अपर्याप्त मानसून

4232. श्री ई. अहमद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से केरल जैसे क्षेत्र में, जहां

कि पारम्परिक रूप से मानसून बढ़िया रहता है, मानसून की दृष्टि अपर्याप्त रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में मानसून की स्थिति का कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) भारत मौसम विज्ञान के अनुसार केरल सहित देश के विभिन्न भागों में दक्षिण–पश्चिम मानसून वर्षा की कोई दीर्घावधिक प्रवृत्ति देखी नहीं गई है।

तमिलनाडु में स्मारकों की देखभाल

4233. डा. वी. सरोजा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में किए गए उत्खनन–कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) समुद्र और अन्य प्राकृतिक कारकों द्वारा क्षरण के मद्देनजर, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम क्षेत्र के परिरक्षण और रख–रखाव हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम, जिला कांचीपुरम और जिंजी, जिला बिल्लुपुरम में उत्खनन कार्य किए हैं। प्राप्त वस्तुओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने समुद्र से कटाव और अन्य प्राकृतिक घटकों से होने वाले नुकसान से शोर टेम्पल के परिरक्षण के लिए समुद्र–तट के साथ–साथ पुलिनरोध निर्मित किया है और कैसुरिना की एक हरित पट्टी विकसित की है। इसके साथ–साथ, महाबलीपुरम के सभी केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुसार, रासायनिक परिरक्षण सहित रोजमर्रा के संरक्षण उपाय समय–समय पर किए जाते हैं।

विवरण

जिंजी में उत्खनन

जिंजी किला में (अक्षांश 12°15' उत्तर तथा देशान्तर 79'75' पूर्व) 1973–74 में शुरू की गई पूर्व खुदाइयों से कुछ महल अवशेष मिले जिनमें एक केन्द्रीय हाल, जिसके पार्श्व में सभी तरफ कमरे तथा एक खुला खम्भों वाला बरामदा था, ये सभी एक उच्च प्लिंथ (कुर्सी) पर स्थित थे तथा एक दर्शक हाल है।

वर्ष 2001–2002 में पुनः शुरू किए कार्य में शाही सिंहासन के दक्षिण में एक वृहद् आयताकार संरचना प्राप्त हुई। यह पत्थरों को काटकर निर्मित है तथा इस पर ईंटों को मुलम्मा चढ़ा है तथा यह गचकारी आभूषणों से ढका है। इसका फर्श उत्तम चूना मसाला से बना था। सिंहासन के पूर्व में एक खंडित दीवार तथा चूने के फर्श के टुकड़े खुदाई में प्राप्त किए गए। उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए चीनी–मिट्टी के बर्तनों में पॉलिश किए गए लाल, काले तथा लाल, कम लाल तथा चीनी–मिट्टी के द्रष्टव्य काही के बर्तन, टेराकोटा से निर्मित अन्य मानव निर्मित उपकरण, धूम्रपान पाइप, मन्नत लैम्प, लोहे की कीलें, एक लघु तांबे का कलश तथा पत्थर का गोला शामिल हैं।

महाबलीपुरम में उत्खनन

मम्मल्लापुरम् में शोर मन्दिर स्थल (अक्षांश 12'37" एन तथा देशान्तर 80'12' पूर्व) में 1990–91 में उत्खनन शुरू तथा 1999–2000 में बन्द किया गया। इससे दीर्घवृत्ताकार संरचना जिस पर एक शैलकृत वाराह थे, एक लघु वेदी, एक प्राचीन कुआं, सीढ़ियों की सोपान पंक्ति तथा पूर्व पल्लव काल से संबंधित बड़ी संख्या में उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए।

मंदिर के आस–पास रेत साफ करने के दौरान एक वृहद् लगभग 100 मीटर सीढ़ीदार संचरचना प्राप्त हुई जो शोरलाइन के लगभग समानान्तर थी। यह संरचना लेटेराइट खंडों से निर्मित थी इन पर ग्रेनाइट सिलों का मुलम्मा चढ़ा था। 1999–2000 के कार्य से लेटेराइट दीवार के आकस्मिक अंत का पता चला। यह 'एल' आकार की है जिसकी बड़ी दीवार उत्तर–दक्षिण तथा छोटी दीवार पूर्व–पश्चिम की तरफ जा रही है। इसके अतिरिक्त तीन ईंट के खंड, 5.60 × 1.45 मी., 4.80 × 1.20 मी. तथा 2.70 × 0.85 मी. भी

प्राप्त हुए। एक आधुनिक कुएं के पास एक आयताकार ईंट की संरचना जिसमें पत्थर के तोशक, एक सुसज्जित फर्श, दो ईंट की संरचनाएं हैं, प्राप्त हुईं।

[हिन्दी]

जीव-जन्तुओं पर अत्याचार के निवारण में लगे हुए संगठन

4234. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने संगठन जीव–जन्तुओं पर अत्याचार के निवारण के कार्य में लगे हुए हैं, जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने सहायता–प्राप्त संगठनों का कभी कोई निरीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, राजस्थान में जीव–जन्तुओं पर हो रहे अत्याचार के निवारण के लिए काम कर रहे 23 संगठनों को सहायता दी गई थी।

(ख) और (ग) जी, हां। अधिनामित की गई निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निधियों को जारी करने के पहले व बाद में, इकाइयों के निरीक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। आवेदक के प्रत्यय–पत्रों को प्रमाणित करने वाली निरीक्षण रिपोर्ट के बिना निधियों को अनुमोदन नहीं किया जाता है। राज्य व केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में 'सुपर हाइवे' का निर्माण

4235. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में एक 'सुपर हाइवे' के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जिन राष्ट्रीय राजमार्गों के आरम्भ की घोषणा की गई, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) और (ख) जी, नहीं। उड़ीसा में सुपर हाइवे निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 और 60 जो स्वर्णिभ चतुर्भुज के भाग हैं, को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार लेन का बनाया जा रहा है। इस कार्य को दिसम्बर, 2003 तक काफी हद तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह यातायात आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप में शुरू किया जाता है।

विवरण

गत 3 वर्षों के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	रा.रा. 9 का विस्तार, 202, 205, 214 और 219	1088

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	153	40
3.	असम	रा.रा. 54 का विस्तार, 151, 152, 153 और 154	474
4.	बिहार	30ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107	1719
5.	छत्तीसगढ़	12ए, 78, 200, 202, 216 और 217	934
6.	गुजरात	6 का विस्तार, 8ए, 8डी और 8ई	459
7.	हरियाणा	21ए, 71, 71ए, 72 और 73	423
8.	हिमाचल प्रदेश	21ए, 70, 72 और 88	334
9.	जम्मू और कश्मीर	1सी और 1बी का विस्तार	175
10.	झारखंड	75 का विस्तार, 78, 80, 98, 99 और 100	649
11.	कर्नाटक	13 का विस्तार, 206, 207, 209, 212, 213 और 218	1204
12.	केरल	208, 212, 213 और 220	500
13.	मध्य प्रदेश	12ए, 59ए, 75, 75 का विस्तार, 76, 78, 79, 86, 86 का विस्तार और 92	2124
14.	महाराष्ट्र	204 और 211	526
15.	मणिपुर	150	523
16.	मेघालय	40 का विस्तार और 62 का विस्तार	120
17.	मिजोरम	44ए, 150 और 154	376
18.	नागालैंड	150	36
19.	उड़ीसा	200, 201, 203 215 और 217	1595
20.	पांडिचेरी	45ए का विस्तार	20
21.	पंजाब	64 का विस्तार, 70, 71 और 95	436
22.	राजस्थान	11ए का विस्तार, 65 का विस्तार, 76, 79, 79ए, 89 और 90	1496
23.	तमिलनाडु	45ए का विस्तार, 45बी, 67 का विस्तार, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	1277

1	2	3	4
24.	त्रिपुरा	44ए	65
25.	उत्तरांचल	72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108 और 190	702
26.	उत्तर प्रदेश	2ए, 24ए, 25ए, 56ए, 56बी, 58 का विस्तार, 72, 72ए, 73, 74, 75, 75 का विस्तार, 76, 86, 91, 92, 93, 94, 96 और 97	2055
27.	पश्चिम बंगाल	60 का विस्तार, 80 और 81	245
	जोड़		19595

गुजरात में नलकूप परियोजनाएं

4236. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों के दौरान गुजरात में शुरू की गई नई नलकूप परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने गत दो वर्षों के दौरान अपने समन्वेषी ड्रिलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात राज्य में 216 अन्वेषणात्मक नलकूप खोदे हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) द्वारा खोदे गए अन्वेषणात्मक कुओं की जिलावार एवं वर्षवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) द्वारा गत दो वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में खोदे गए अन्वेषणात्मक नलकूपों की संख्या

क्र.सं.	जिला	खोदे गए अन्वेषणात्मक नलकूपों की संख्या	
		2000–01	2001–02
1	2	3	4
1.	बनासकांठा	1	4
2.	भरूच	4	–
3.	गांधीनगर	3	3
4.	जूनागढ़	2	–
5.	खेड़ा	3	–
6.	कच्छ	10	42
7.	मेहसाना	6	1
8.	राजकोट	1	32
9.	सूरत	3	–
10.	साबरकांठा	28	45
11.	जामनगर	–	28
	कुल	61	155

[हिन्दी]

बिसालपुर-सिंचाई परियोजना

4237. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिसालपुर सिंचाई परियोजना पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है और अब तक इस पर कितना कार्य हो चुका है;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने से कितने शहरों और ग्रामों को लाभ पहुंचेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार बिसालपुर सिंचाई परियोजना को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) बिसालपुर पेय जल और सिंचाई पर 657.91 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। अजमेर और जयपुर जिलों में जल आपूर्ति के लिए अंतःग्रहण (इनटेक) संरचना सहित बांध के निर्माण का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है तथा 45 कि.मी. तक दायां मुख्य नहर (51.64 कि. मी.) का नि ण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) परियोजना के पूरा होने के पश्चात् जयपुर, अजमेर और राजस्थान के टोंक जिले के 256 गांवों को इसका लाभ मिलेगा।

(ग) और (घ) बिसालपुर परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत पहले से ही केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया कराई जा रही है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को अब तक 41.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

वर्षा जल-संग्रहण

4238. श्री चन्द्रविजय सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन पुराने नियमों की समीक्षा करने का विचार है जिनके द्वारा सार्वजनिक और गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को वर्षा जल का संग्रहण करने तथा भू–जल का स्तर बढ़ाने से वर्जित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का जल की कमी वाले क्षेत्रों में, अधिक जल उपयोग करने वाले उद्योगों की स्थापना को निषिद्ध करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) अतिदोहित क्षेत्रों में भूजल के विकास को गति देने के लिए, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने ताजा भूमि जल निकालने पर प्रतिबंध लगाते हुए 11 क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। अधिसूचित क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति/संगठन/अभिकरण (सरकारी अथवा गैर–सरकारी) प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी और प्रबंधन से संबंधित कोई स्कीम/परियोजना नहीं चला सकता है। तथापि, दिल्ली के अधिसूचित क्षेत्रों में, पुनर्भरण कुओं के निर्माण के लिए भी केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि, भूजल के निष्कर्षण हेतु, जल उत्पादन कुओं के निर्माण के लिए पुनर्भरण संरचना का अनुचित उपयोग न हो।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुगंधित पौधों की खेती

4239. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुगंधित पौधों की खेती की बहुत अधिक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किसी समिति का गठन किया है जहां सुगंधित पौधों को उगाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में ऐसे पौधों की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) औषधीय गुण वाले तथा सुगंधित पौधों की वाणिज्यिक प्रयोजन से खेती करने तथा विपणन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 24 नवम्बर, 2000 को एक राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड गठित किया है जिसको पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में औषधीय और सुगन्धित पौधों की नीतियों के समन्वयन निर्माण, पौधों के संरक्षण तथा विकास का विशिष्ट कार्य सौंपा गया है। इस बोर्ड ने औषधीय तथा सुगन्धित पौधों के विकास के क्षेत्र में 35 परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 534.66 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं।

इसके अलावा, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी

के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2001–02 के दौरान इस क्षेत्र के लिए 67.24 करोड़ रुपये की निधियां उपलब्ध कराई गई हैं ताकि औषधीय और सुगन्धित पौधों सहित बागवानी का चहुंमुखी विकास किया जा सके। वर्ष 2002–03 के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत इस क्षेत्र में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 120.00 करोड़ रुपये की निधियां मुहैया की गई हैं।

इसके अलावा, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (सी.एस.आई.आर.), जोरहाट और असम कृषि विश्वविद्यालय को सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय के माध्यम से क्रमशः 9.46 लाख रुपये और 6.43 लाख रुपये की निधियां उपलब्ध कराई गई हैं ताकि इस क्षेत्र में सुगन्धित पौधों की क्वालिटी रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण तथा जड़ी–बूटी उद्यानों की स्थापना और रख–रखाव किया जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद और बायोप्रौद्योगिकी विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में विभिन्न औषधीय और सुगन्धित पौधों का अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का समर्थन कर रहे हैं।

(घ) औषधीय पौधा बोर्ड औषधीय तथा सुगन्धित पौधों से संबंधित विपणन परियोजना प्रस्तावों को आमंत्रित करता है। इस बोर्ड ने त्रिपुरा के लिए एक ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

आंध्र प्रदेश के किसानों के बीमा-दावे

4240. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री वाई. वी. राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले के लगभग 8000 कपास–कृषकों के बीमा दावों का अब तक निपटान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम को अब ये निर्देश दिए गए हैं कि वे आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले के 38 मंडलों के लिए कपास की फसल से संबंधित दावों का तत्काल निपटान करे।

(ख) इन दावों के निपटान में विलंब हुआ क्योंकि सही और संशोधित उपज आंकड़े, जिन पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुज्ञेय दावों का परिकलन किया जाता है, राज्य से बहुत ही विलम्ब से प्राप्त हुए।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्यान्वयन एजेंसी को अनुज्ञेय दावों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं।

मखाने का उत्पादन

4241. श्री सुकदेव पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में मखाने का कुल कितना राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार उत्पादन हुआ;

(ख) देश में मखाने की आवश्यकता कितनी है; और

(ग) मखाने का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में मखाना का कुल उत्पादन 4000 मी. टन है जिसमें से लगभग 90% का उत्पादन बिहार राज्य में होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में मखाना के उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है–

वर्ष	उत्पादन (मी. टन)
1999–2000	3500
2000–2001	3500
2001–2002	3600

(ख) देश में मखाना के उत्पादन के बारे में कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) सरकार कृषि में वृहत् प्रबंध–कार्ययोजनाओं के

माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसके तहत राज्य सरकारें अपनी महसूस की गई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार मखाना सहित बागवानी फसलों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम चला सकती हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने ए. पी. उपकर कोष के तहत मखाना के विकास के लिए अनुसंधान सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश म मखाना उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दरभंगा में मखाना के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) इसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों के माध्यम से मखाना सहित सभी कृषि उत्पादपों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

गोदावरी कार्य योजना

4242. डा. बी. बी. रमैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नासिक में आगामी कुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए गोदावरी कार्य योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना में केन्द्र सरकार ने क्या योगदान किया है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) गोदावरी नदी की प्रदूषण निवारण की एक स्कीम, जो गोदावरी कार्य योजना के नाम से जानी जाती है, का महाराष्ट्र के तीन शहरों नासिक, त्रिम्बकेश्वर और नांदेड़ में कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत जुलाई, 1995 में सरकार द्वारा कार्य योजना अनुमोदित की गई थी। इन शहरों में निर्माण कार्यों की अनुमोदित लागत 95.03 करोड़ रुपए है। इस राशि में से नासिक और त्रिम्बकेश्वर शहरों के कार्यों की लागत 80.53 करोड़ रुपए है। योजना के अतर्गत नासिक और त्रिम्बकेश्वर में प्रतिदिन 78 मिलियन लीटर, प्रतिदिन 22 मिलियन लीटर और प्रतिदिन एक मिलियन लीटर क्षमता के तीन सीवेज शोधन संयंत्रों में शोधन के लिए सीवेज का अवरोधन एवं दिशा–परिवर्तन किया जाएगा। स्कीम में 36 यूनिट अल्प लागत शौचालयों का निर्माण, 8 घाटों का नदी तटाग्र विकास, 9 यूनिट उन्नत काष्ठ शवदाहगृह, 4 तालाबों का पुनरुद्धार, वनीकरण और जन–भागीदारी और जन जागरूकता जैसे अन्य कार्य भी शामिल हैं। सरकार ने अभी तक 41.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

नासिक एवं त्रिम्बकेश्वर परियोजना को आगामी कुम्भ मेला शुरू होने से पहले मार्च, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बाल श्रम के क्षेत्र में योजनाएं

4243. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती प्रभा राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बाल श्रमिकों के लाभार्थ केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी. एल.पी.) के अंतर्गत कुछ योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने कोई अनुदान राशि स्वीकृत की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार के लिए सोलापुर और थाणे जिलों में 1700 और 1000 बाल श्रमिकों को कवर करने के लिए क्रमशः 73,73,600/– रु. और 25,11,000/– रु. के वार्षिक बजट वाली राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना मंजूर की गई है।

उपरोक्त के अलावा, केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य के कतिपय अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच की चुकी है और संबंधित जिलों को स्कीम के अनुसार संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

गुणवत्तायुक्त बीजों का आयात

4244. श्री मंजय लाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुणवत्तायुक्त बीजों की कमी को पूरा करने के लिए उनका आयात करने की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान किस किस्म के बीजों का आयात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित बीजों के बारे में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

यू. एस. फार्म बिल-2002

4245. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र संबंधी अमरीकी विधेयक (यू. एस. फार्म 2002) में ऐसे अनेक नये प्रावधान हैं जिनसे विश्व भर में वस्तुओं के मूल्य कम हो जाने और भारत सहित अन्य विकासशील देशों से होने वाले निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस विधेयक की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे भारत के कहां तक प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) यू. एस. फार्म सुरक्षा व ग्रामीण निवेश अधिनियम, 2002 के तहत विभिन्न कृषि जिंसों के लिए सहायता की मांग की गई है। रिपोर्टों से पता चलता है कि यू. एस. फार्म बिल के तहत निर्धारित सहायता का विश्व बाजार में मूल्यों पर मंदी कारक असर हो सकता है। इसका विकासशील देशों के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत ने विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत किए गए अपने विचार-विमर्श संबंधी प्रस्तावों में पहले ही विकसित देशों द्वारा एक सीमित अवधि के अंदर निर्यात सब्सिडियों के उन्मूलन और घरेलू सहायता में पर्याप्त कटौती की मांग की है।

'नाबार्ड' और एन.सी.डी.सी. का कार्यनिष्पादन

4246. श्री अनन्त गुढे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'नाबार्ड' और एन. सी.डी.सी. के विगत तीन वर्षों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र. के संदर्भ में निर्धारित तथा प्राप्त वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिन परियोजनाओं को पूरा किया गया/जो अभी प्रगति में हैं उनका ब्यौरा क्या है और क्या-क्या वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां हासिल की गईं;

(घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त नवीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है और परियोजनावार महाराष्ट्र राज्य को कितनी धनराशि प्रदान कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वनरोपण योजनाएं

4247. चौ. तालिब हुसैन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में वनों के संरक्षण तथा वनीकरण हेतु कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय योजनाओं तथा इस हेतु वहां कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित तथा कम की गई;

(ग) क्या शिवालिक पर्वतमाला और उसके प्रशाखा क्षेत्रों में वन संरक्षण और पौध–रोपण योजनाएं चलाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जम्मू और कश्मीर में वनों के संरक्षण और वनीकरण के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें निम्नलिखित हैं–

नौवीं योजना

1. एकीकृत वनीकरण पारि–विकास परियोजना स्कीम (आई.ए.ई.पी.एस.)
2. क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी चारा परियोजना स्कीम (ए.ओ.एफ.एफ.पी.एस.)
3. औषधीय पौधों सहित गैर–इमारती लकड़ी वनोत्पाद (एन.टी.एफ.पी.एस.)
4. गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम
5. दावानल नियंत्रण एवं प्रबंधन

दसवीं योजना

1. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम
2. गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम
3. दावानल नियंत्रण एवं प्रबंधन

नौवीं योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर में वनीकरण कार्यों हेतु निम्नलिखित गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है–

(i) दी कश्मीर आर्ट्स एम्ब्रोयडरी वर्क्स इंडस्ट्रियल को–ऑपरेटिव सोसायटी लि.

(ii) कमल एम्ब्रोयडरी वर्क्स इंडस्ट्रियल को–ऑपरेटिव सोसायटी, जिला बडगाम

(iii) पीर पांचाल एन्वायरमेंटल एंड बायो–डिवलपमेंट सोसायटी, जिला पुंछ

(iv) महिला एवं बाल कल्याण सोसायटी, जिला बडगाम

(v) दी कश्मीर गिफ्ट एम्ब्रोयडरी वर्क्स इंडस्ट्रियल को–ऑपरेटिव सोसायटी, जिला बडगाम

(ख) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत आवंटित और खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है–

(लाख रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		आवंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि	आवंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि	आवंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आई.ए.ई.पी.एस.	80.91	70.87	78.67	78.67	0.00	0.00
2.	एन.टी.ई.पी.	37.74	34.77	38.00	30.00	60.00	60.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ए.ओ.एफ.एफ.पी.	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दावानल नियंत्रण	100.00	45.85	32.70	0.00	91.70	55.77
	कुल	307.32	151.49	149.37	108.67	151.7	115.77

सहायता अनुदान स्कीम के तहत गैर–सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान 19.61 लाख रु. की धनराशि जारी की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) शिवालिक और इसकी शाखाओं पर पौधरोपण के मामले में उचित ध्यान दिया गया है। शिवालिक में केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमें नामशः आई.ए.ई.पी.एस. चेन्नई, ए.ओ.एफ.एफ., दावानल नियंत्रण और आर.वी.पी. थाईन एफ.डी.–II क्रियान्वित की गई/की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त शिवालिक में राज्य योजना स्कीमें भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

समुद्री अपरदन

4248. श्री अनन्त नायक : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पूर्वी तट का कुल कितना क्षेत्रफल का क्षेत्र समुद्री अपरदन से प्रभावित है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान समुद्री अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च हुई तथा राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान सरकार का केन्द्रीय सहायता को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) उड़ीसा के पूर्वी तट में समुद्री कटाव द्वारा प्रभावित होने वाले कुल क्षेत्र की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा में समुद्री कटाव के द्वारा प्रभावित तटरेखा की कुल लंबाई 107.55 किमी. है।

(ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, समुद्र कटाव सहित बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण, क्रियान्वयन और प्रचालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का होता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की होती है।

उड़ीसा सरकार से राष्ट्रीय तटवर्ती सुरक्षा परियोजना में शामिल किए जाने के लिए 505.73 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसमें खुले तटों पर (75.20 किमी.) और नदियों के मुहाने पर (23.35 किमी.) समुद्री दीवार का निर्माण, नए खारे तटबन्धों पर (74.80 किमी.) और ज्वारीय स्थानों (43.201 किमी.) में नदी तट सुरक्षा कार्यों के निर्माण की योजना है। इसकी जांच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई थी और उसकी टिप्पणियां राज्य सरकारों को अक्टूबर, 2001 में भेजी गईं। राज्य सरकार से इन टिप्पणियों का उत्तर अभी प्राप्त होना है। इसके बाद प्रस्तावित केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सी.एस.एस.) में शामिल किए जाने के लिए उड़ीसा सरकार से प्राप्त 4.95 करोड़ रुपये की स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी और जनवरी, 2002 में टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गईं इसका उत्तर अभी प्राप्त होना है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को समुद्री कटाव रोकने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई है।

समुद्रवर्ती राष्ट्रीय उद्यान

4249. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जामनगर जिले के उन वर्तमान और

उभरते उद्योगों के प्रति सरकार की नीति क्या है जिन पर वहां स्थित समुद्रवर्ती राष्ट्रीय उद्यान (एन.एन.पी.) के कारण असर पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य के मद्देनजर कि इस उद्यान की वजह से करोड़ों रुपए गैर–निष्पादकारी आस्तियों में तब्दील हो रहे हैं, इस पर कोई कार्यवाही कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस क्षेत्र में वर्तमान और उभरते उद्योगों को कार्य करने की अनुमति देने और उनका विनियमन करने तथा किसी भी नई परियोजना को पूरी तरह निषिद्ध करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) मरीन राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को इस प्रदेश की अद्वितीय समुद्री जैव–विविधता की सुरक्षा, प्रजनन और विकास के लिए अधिसूचित किया गया है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 29 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के भीतर केवल ऐसे कार्यकलापों की अनुमति दी जा सकती है जो वन्यजीवों के विकास के लिए हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय ने अपने 18 जुलाई, 2001 के आदेश के तहत अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान के किसी भी भाग में पाइप लाइनें बिछाने का प्राधिकार और अनुमति देने के लिए सरकार पर रोक लगा दी है। इस निर्णय में यह उल्लेख भी किया गया है कि लंबित मामलों का निर्णय भी इस अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान

4250. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एस.आर.आई.) में अनुरक्षण–कार्य को निजी ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान निजी ठेकेदारों को सौंपे गए सभी कार्यों की सूची क्या है और बोली–राशि, फर्म का नाम, ठेकेदार की पंजीयन संख्या, बिक्री कर अदायगी संबंधी विवरण इत्यादि का ठेकेदार–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मामलों में प्रतिवर्ष नयी खुली निविदाएं आमंत्रित की गईं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। रखरखाव तथा निर्माण कार्यों के लिए बिक्री कर का घटक अंतर्ग्रस्त नहीं होता है।

(ग) जी, हां। ज्यादातर मामलों में ऐसा किया गया था।

(घ) केवल उन मामलों में पुनरावृत्ति आदेश दिए गए थे जिन मामलों में ठेकेदार/फर्म स्वयं निर्माता, अधिकृत डीलर, सरकारी विभाग थे।

विवरण

निजी ठेकेदारों को दिए गए रखरखाव एवं अन्य निर्माण कार्यों की सूची का विस्तृत ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या	बोली की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	1999-2000	आई ए एस आर आई का वार्षिक सिविल रखरखाव	श्री राजेश कुमार शर्मा, नई दिल्ली	सी पी डब्ल्यू डी में 5344	1,32,300

1	2	3	4	5	6
2.	1999-2000	जल आपूर्ति पम्प के परिचालन सहित आई ए एस आर आई के स्टाफ क्वार्ट्स का वार्षिक सिविल/ इलेक्ट्रिक रखरखाव	श्री राजेश कुमार शर्मा, नई दिल्ली	सी पी डब्ल्यू डी में 5347	1,65,600
3.	1999-2000	आई ए एस आर आई के कोन लिफ्ट्स के परिचालन के लिए वार्षिक ठेका	मैसर्स कोन एलिवेटर इंडिया लि., नई दिल्ली	यह फर्म लिफ्ट बनाता है	18,000
4.	1999-2000	आई ए एस आर आई का वार्षिक इलेक्ट्रिक रखरखाव	मैसर्स पोमेरा एण्ड कम्पनी प्रा.लि., करनाल (एच आर)	सी पी डब्ल्यू डी, करनाल में, 5821–29.4.98	2,12,400
5.	1999-2000	आई ए एस आर आई के ओ एच/यू जी जल टैंक को साफ करना	मैसर्स एक्वा प्यूरीफायर्स इंडिया, नई दिल्ली	सी पी डब्ल्यू डी में 8662	47,250
6.	1999-2000	आई ए एस आर आई के उपकेन्द्र में कैपेसिटर्स पैनल का 2 नं. का ए एम सी	मैसर्स स्टैंडर्ड कैपिसिटर्स, नई दिल्ली	55/55/07285/टी एम टी/ एस एस आई	60,000
7.	1999-2000	आई ए एस आर आई के 200 के वी ए डी जी सैट का वार्षिक रखरखाव	गुडविल आटोवेज (रजि.), नई दिल्ली	फर्म बैटी, डी जी सैट्स आदि का अधिकृत डीलर है	11,700
8.	1999-2000	आई ए एस आर आई के गैराज तथा स्टोर यार्ड का निर्माण	सग्गू फर्नीचर, नई दिल्ली	सी पी डब्ल्यू डी में 9227	4,35,854
9.	1999-2000	आई ए एस आर आई के सीवर लाइन्स मेनहोल्स भूमिगत हौदी की सफाई करना	श्री राजेश कुमार शर्मा, नई दिल्ली	सी पी डब्ल्यू डी 5344	19,200
10.	2000-2001	आई ए एस आर आई के गैराज तथा ग्रार्वेज यार्ड का निर्माण	सागु फर्नीचर, नई दिल्ली	सी पी डब्ल्यू डी 9227	1,01,613
11.	2000-2001	आई ए एस आर आई के उप-केन्द्र में लगे 2 कैपिसिटर पैनलों का वार्षिक रखरखाव	मैसर्स स्टैंडर्ड कैपिसिटर्स, दिल्ली	55/55/07285/टी एम टी/ एस एस आई	60,000
12.	2000-2001	आई ए एस आर आई की नई बिल्डिंग में प्रथम तल पर निदेशक/ अधिकारियों के शौचालय का पुनर्निर्माण	श्री मनोज कुमार, नई दिल्ली	सी पी डब्ल्यू डी में 5282	61,890

1	2	3	4	5	6
13.	2000-2001	आई ए एस आर आई के मेन लिफ्ट की रखरखाव का ठेका	मैसर्स कोन एलिवेटर इंडिया लि., नई दिल्ली	यह फर्म लिफ्ट निर्माण का कार्य करती है	39,600
14.	2000-2001	आई ए एस आर आई 200 के वी ए डी जी सैट का वार्षिक रखरखाव	मैसर्स गुडविल आटोवेज (पंजी) नई दिल्ली	यह फर्म बैटरी, डी जी सैट आदि की प्राधिकृत डीलर है	11,700
15.	2000-2001	आई ए एस आर आई के 200 के वी 5 डी जी सैट का वार्षिक रखरखाव	श्री मनोज कुमार, दिल्ली	सी पी डब्ल्यू डी में 5282	1,31,400
16.	2000-2001	आई ए एस आर आई उपकेन्द्र में लगे 2 कैपिसिटर पैनलों का वार्षिक रखरखाव	श्री मनोज कुमार दिल्ली	सी पी डब्ल्यू डी में 5282	1,64,400
17.	2000-2001	आई ए एस आर आई का वार्षिक इलेक्ट्रिकल रखरखाव	मैसर्स अरोड़ा, इंजीनियर्स एंड कान्ट्रेक्टर, नई दिल्ली	एन एस टी सरकार में ई सी नं. 2493	1,92,600
18.	2000-2001	आई ए एस आर आई की आंतरिक सड़कों की मरम्मत	श्री सी एस गुलाटी, सरकारी ठेकेदार, दिल्ली	123 दिल्ली नगर निगम दिल्ली के साथ	2,85,747
19.	2000-01	आई ए एस आर आई के मुख्य द्वार की पुनर्सज्जा	मैसर्स डिजाइन कंसरटेंट्स, नई दिल्ली	554 सी पी डब्ल्यू डी के साथ	61,287
20.	2000-01	आई ए एस आर आई के अतिथि गृह के भूतल व प्रथम तल के शोचालयों की मरम्मत	मैसर्स भारत इंटरियर्स एंड कान्ट्रेक्टर्स, नई दिल्ली	गिर सं. 461-ए 14 (6)	2,12,181
21.	2000-01	आई ए एस आर आई के कम्प्यूटर भवन के मुख्य प्रवेश फर्स की मरम्मत तथा विभिन्न भवनों में सफेदी/रंगाई	श्री दिनेश कुमार सरकारी ठेकेदार, करनाल (हरियाणा)	1/टी सी के, एस ई/ टी सी सी-II, एस एस ई बी, करनाल	1,25,620
22.	2000-01	आई ए एस आर आई के अतिथि गृह में भोजन कक्ष का निर्माण	मैसर्स यू.के. ट्रेडर्स, सरकारी ठेकेदार तथा सिविल इंजीनियर, दिल्ली	229 दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के साथ	56,285
23.	2001-01	आई ए एस आर आई के भूतल एवं प्रथम तल के शोचालयों और कम्प्यूटर भवन का जीर्णोद्धार	मैसर्स यू के ट्रेडर्स सरकारी ठेकेदार तथा सिविल इंजीनियर, दिल्ली	229 दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के साथ	2,24,790

1	2	3	4	5	6
24.	2000-01	आई ए एस आर आई के 100 के वी ए डी जी सैट की वार्षिक सार-संभाल	मैसर्स गुडविल ऑटोवेज (रजि.) नई दिल्ली	फर्म बैट्री डी जी सेट आदि की प्राधिकृत डीलर है	10,800
25.	2000-01	आई ए एस आर आई की कम्प्यूटर प्रयोगशाला का जीर्णोद्धार	मैसर्स भारत भूषण एंड कं., नई दिल्ली	आई टी नं. ए ए जी पी बी/05095	3,33,500
26.	2000-01	आई ए एस आर आई की दो कोने लिफ्टों के परिचालन के लिए वार्षिक संविदा	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई सी सं. 1764 एन सी टी सरकार, दिल्ली के साथ	32,850
27.	2001-02	आई ए एस आर आई की सब-स्टेशन पर दो कैपैसिटर्स पैनलों की वार्षिक सार-संभाल	मैसर्स स्टैंडर्ड कपेसिटर्स, दिल्ली	55/55/07285/टी एम टी/ एस/एस एस आई	60,000
28.	2001-02	आई ए एस आर आई की कोने लिफ्टों की वार्षिक सार-संभाल	मैसर्स कोने इलेवेटर इंडिया लि., नई दिल्ली	फर्म लिफ्टों की निर्माता है	39,600
29.	2001-02	आई ए एस आर आई के 200 के वी ए डी जी सैट की वार्षिक सार-संभाल	मैसर्स ओ वी एन ट्रेडिंग इंजीनियर्स प्रा.लि., नई दिल्ली	फर्म डी जी सैटों की प्राधिकृत डीलर और सर्विस प्रवाइडर है	19,391
30.	2001-02	आई ए एस आर आई के 100 के वी ए डी जी सैट की सार-संभाल	मैसर्स ओ वी एन ट्रेडिंग इंजीनियर्स प्रा.लि., नई दिल्ली	फर्म डी जी सैटों की प्राधिकृत डीलर और सर्विस प्रवाइडर है	14,263
31.	2001-02	आई ए एस आर आई की वार्षिक सिविल सार-संभाल	श्री जगमोहन सिंह, नई दिल्ली	786 सी पी डब्ल्यू डी के साथ	1,20,420
32.	2001-02	आई ए एस आर आई के स्टाफ क्वार्टरों का वार्षिक सिविल/ इलेक्ट्रिक रखरखाव	श्री जगमोहन सिंह, नई दिल्ली	786 सी पी डब्ल्यू डी के साथ	67,920
33.	2001-02	आई ए एस आर आई का वार्षिक इलेक्ट्रिकल रखरखाव	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई सी सं. 1764 एन सी टी सरकार, दिल्ली के साथ	1,17,000
34.	2001-02	पश्चिम विहार में स्टाफ क्वार्टरों में पानी के सप्लाई पम्प के परिचालन के लिए वार्षिक संविदा	मैसर्स पी आर कंट्रेक्शनस कं., नई दिल्ली	9999 सी पी डब्ल्यू के साथ	33,600
35.	2001-02	आई ए एस आर आई की दो कोने लिफ्टों के परिचालन के लिए वार्षिक संविदा	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई सी सं. 1764 एन सी टी सरकार, दिल्ली के साथ	45,600
36.	2001-02	सब-स्टेशन पर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत/निर्जलीकरण	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई सी सं. 1764 एन सी टी सरकार, दिल्ली के साथ	30,600

1	2	3	4	5	6
37.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. की पुरानी इमारत की छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग उपचार	श्री सी.एस. सेठी, नई दिल्ली	123, दिल्ली नगर निगम दिल्ली के साथ	1,10,198
38.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के ओवर हैड तथा भूमिगत वाटर टैंक की सफाई	मैसर्स एक्वा प्यूरिफायर्स इंडिया, नई दिल्ली	6682, के.लो.नि.वि. के साथ	52,920
39.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के सब-स्टेशन में आपातकालीन स्थिति में केबल गड़बड़ी की मरम्मत/ठीक करना	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई.सी. सं. 1764 एन सी टी सरकार दिल्ली के साथ	18,300
40.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के सब-स्टेशन में केबल गड़बड़ी की मरम्मत	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई.सी. सं. 1764 एन सी टी सरकार दिल्ली के साथ	64,500
41.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के कम्प्यूटर बिल्डिंग के द्वितीय तल पर प्रसाधनों का नवीनीकरण	मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स, नई दिल्ली	फ/कान/87 मुख्यालय कमांडर वर्क्स इंजी. कानपुर के साथ	1,17,443
42.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के खुखात्मे छात्रावास के प्रथम एवं द्वितीय तल के प्रसाधनों का नवीनीकरण	मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स, नई दिल्ली	एफ/कान/87 मुख्यालय कमांडर वर्क्स इंजी., कानपुर के साथ	85,322
43.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के अतिथि गृह में सामान्य कमरों, भोजनालय कमरा आदि में दुबारा फर्श डालने का कार्य	मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स, नई दिल्ली	एफ/कान/87 मुख्यालय कमांडर वर्क्स इंजी., कानपुर के साथ	67,573
44.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के कम्प्यूटर बिल्डिंग एवं सब-स्टेशन के छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग उपचार	मैसर्स ई एस एस डी ई ई निर्माण, नई दिल्ली	6165, नगर निगम दिल्ली के साथ	2,52,089
45.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के अतिथि गृह के हॉल का नवीनीकरण	मैसर्स गोयल निर्माण एवं इंजीनियर्स, नई दिल्ली	एम जे पी एल/टी एस/ सिविल/बी-74, आई ओ सी एल के साथ	1,07,384
46.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के अतिथि गृह के भूतल पर पुनः वायरिंग करना	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई सी सं. 1764 एन सी टी सरकार दिल्ली के साथ	4,95,784
47.	2001-02	भा.कृ.सां. अनु. सं. के कृषि निकेतन पम्प हाउस के डीजल इंजन/शट्टरों की मरम्मत, वाल्व, फूट वाल्व को बदलना	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई सी सं. 1764 एन सी टी सरकार दिल्ली के साथ	79,200
48.	2001-02	मुख्य स्वीच से डी वी बी मीटर तक पुनः वायरिंग जिसमें शामिल हैं स्टाफ क्वाटरों, कृषि निकेतन, पश्चिम विहार के 40 ए एस पी डी पी आइसोलेटर को बदलना	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई सी सं. 1764 एन सी टी सरकार दिल्ली के साथ	58,710

1	2	3	4	5	6
49.	2001-02	बागवानी पम्प हाउस में 5 हॉस पावर जैट सिस्टम के बदले 7.5 हॉस पावर सुम्मेर सेविल पम्पसैट सम्पूर्ण सामग्री के साथ लगाना	मैसर्स गोगिया ब्रदर्स, नई दिल्ली	ई सी सं. 1784 एन सी टी सरकार दिल्ली के साथ	76,360
50.	2001-02	कृषि निकेतन स्टाफ क्वार्टरों के लिए दिल्ली नगर निगम पाइप लाइन से पानी सप्लाई पाइप लाइन तक की 65 मि.मी. जी.आई. खराब पाइप लाइन को बदलना	श्री मनोज कुमार, नई दिल्ली	582, के.लो.नि.वि. के साथ	33,034
51.	1999-2000	इ पी ए बी एक्स जे एस-500 200 लाइन्स	मैसर्स सरल कम्यूनिकेशन	ए ओ बी पी एस 4684 के	78,000
52.	1999-2000	वाटर कूलर	मैसर्स जे पी एन्टरप्राइजेज		35,536
53.	1999-2000	इंटरकॉम 64 लाइन्स	मैसर्स एबिलिटी इलेक्ट्रोनिक्स	एल सी/40/11795/0886 दि. 23.8.96	12,190
54.	1999-200	गेस्टनर मशीन	मैसर्स वी एस एम इंडिया लि.	आई डी ई-797	14,450
55.	1999-2000	एयरकंडीशनर	मैसेर्स नजमस आटोमेशन	डब्ल्यू-सी-112008147-0201	52,500
56.	1999-2000	लिटल मास्टर फोटो-कोपियर	मैसर्स एच सी एल लि. इनफो सिस्टम	एन डी/5022496	5,000
57.	1999-2000	फैक्स मशीन	मैसर्स मोदी जीरोक्स	आई सी-089/1875 फोर 1/0596	4,000
58.	1999-2000	हाउस कीपिंग	मैसर्स मनोज कुमार	5282 सी पी डब्ल्यू डी	1,16,220
59.	1999-2000	रूम कूलर डेजर्ट कूलर	मैसर्स मनोज कुमार	5282 सी पी डब्ल्यू डी	35,163
60.	1999-2000	मैसर्स कीट नियंत्रण	मैसर्स कीट नियंत्रण सलाहकार और सेवाएं	आई एल-17 दि. 26.7.72	20,400
61.	2000-01	इ पी ए बी एक्स जे-एस-500 200 लाइन	मैसर्स सरल कम्यूनिकेशन	ए पी बी पी एस 4684 के	81,900
62.	2000-01	इंटरकॉम 64 लाइन	मैसर्स एबिलिटी इलेक्ट्रोनिक्स	एल सी/40/11795/0886 दि. 23.8.96	12,190
63.	2000-01	गेस्टेनर मशीन	मैसर्स वी एस एम इंडिया लि.	आई डी इ-797	10,450

1	2	3	4	5	6
64.	2000-01	एयरकंडीशनर	मैसर्स नजमस आटोमेशन	डब्ल्यू सी-3-112008147-0201	52,500
65.	2000-01	वाटर कूलर	मैसर्स नजमस आटोमेशन	डब्ल्यू सी-3-112008147-0201	12,025
66.	2000-01	लिटल मास्टर फोटो-कोपियर	मैसर्स एच सी एल लि. इनफो सिस्टम	एन डी/5022496	5,000
67.	2000-01	फैक्स मशीन	मैसर्स मोदी जीरोक्स	आई सी-089/1875 फोर 1/0596	5,000
68.	2000-01	हाउस कीपिंग	मैसर्स मनोज कुमार	5282 सी पी डब्ल्यू डी	1,74,168
69.	2000-01	-वही-	मैसर्स मनोज कुमार	5282 सी पी डब्ल्यू डी	18,003
70.	2000-01	कीट नियंत्रण	मैसर्स हिन्द कीट नियंत्रण	आई एल-17 दिनांक 26.7.72	19,000
71.	2001-02	इ पी ए बी एक्स जे एस-500 200 लाइन	मैसर्स सरल डिजिटेक	ए ओ बी पी एस 4684	1,10,200
72.	2001-02	इंटरकॉम 64 लाइन	मैसर्स एबिलिटी इलेक्ट्रोनिक्स	एल सी/40/11795/0886 दि. 23.8.96	15,445
73.	2001-02	गेस्टनर मशीन	मैसर्स इम्पैक्ट आटोमेशन	निर्माता	4,696
74.	2001-02	एयरकंडीशन	मैसर्स नजमस ओटोमेशन	डब्ल्यू सी-3-112008147-0201	1,18,500
75.	2001-02	वाटर कूलर	एम/एस नाजमस	डब्ल्यू सी-3-112008147-0201	3,424
76.	2001-02	लिटिल मास्टर फोटोकापी	मैसर्स एच सी एल लि.	एन डी/5022496	500
77.	2001-02	फैक्स मशीन	मैसर्स मोक्सी एक्सरोक्स	आई सी-089/1875 फार 1/0596	5000
78.	2001-02	हाउस कीपिंग	मैसर्स मनोज कुमार	5282 सी पी डब्ल्यू डी	1,11,919
79.	2001-02	रूम कूलर/(डेजर्ट कूलर्स)	मैसर्स आनन्द एंड कम्पनी	डब्ल्यू सी/3/46000094/1296	30,974
80.	2001-02	पेस्ट कंट्राल	मैसर्स हिन्द पेस्ट कंट्रोल	आई एल-17 दि. 26.9.72	19,000
81.	1999-2000	ए.एम.सी. ऑफ फोटो कापी मशीन	मैसर्स मोदी जीरोक्स लि.	एल सी/89/187541/0596	28,023
82.	1999-2000	ए.एम.सी. ऑफ यू.पी.एस. सिस्टम	मैसर्स मानक इंजीनियिरंग सर्विस	एल सी/87/140315/0989	29,400
83.	1999-2000	ए.एम.सी. ऑफ कम्प्यूटर सिस्टम	मैसर्स सिरिअस इंफोटेक	एल सी/89/198993/11-97	29,975
84.	1999-2000	कम्प्यूटर सिस्टम	मैसर्स वीपरो इंफोटेक लि.	निर्माता	1,01,000

1	2	3	4	5	6
85.	1999-2000	कनेक्टीवीटी/ए एम सी चार्ज ऑफ एफ टी डी एम ऐ 5-एस ए टी	मैसर्स राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	नियोजन मंत्रालय भारत सरकार के तहत	1,45,000
86.	2000-02	कम्प्यूटर सिस्टम	मैसर्स वीपरो इंफोटेक लि.	निर्माता	1,87,800
87.	2000-01	ए.एम.सी. ऑफ फोटो कापी मशीन	मैसर्स मोदी जीरोक्स लि.	एल सी/89/187541/0596	29,462
88.	2000-01	ए.एम.सी. ऑफ यू.पी.एस. सिस्टम	मैसर्स मानक इंजीनियरिंग सर्विस	एल सी/87/140315/0989	39,200
89.	2000-01	ए.एम.सी. ऑफ कम्प्यूटर सिस्टम	मैसर्स सिरियस इंफोटेक	एल सी/89/198993/11-97	22,500
90.	2000-01	कनेक्टीवीटी/ए एम सी चार्ज ऑफ एफ टी डी एम ए 5-एस ए टी	मैसर्स राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	नियोजन मंत्रालय भारत सरकार के तहत	2,11,200
91.	2001-02	फोटोकापी मशीन	मैसर्स जीरोक्स लि.	एल/89/187541/0596	4,708
92.	2001-02	यू पी एस एंड पी सी एस	मैसर्स यू सी सिस्टम	एल सी/44/195528/0397	1,00,325
93.	2001-02	ओवरहेड प्रोजेक्टर	मैसर्स एस वी जी	निर्माता	18,468
94.	2001-02	कनेक्टीवीटी/ए एम सी चार्ज ऑफ एफ टी डी एम ए 5-एस ए टी	मैसर्स राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	सरकारी संगठन	1,50,000

दिल्ली दुग्ध योजना

4251. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी विभागों को एन. सी.सी.एफ. और केन्द्रीय भंडार तथा पंजीकृत कंपनियों से लेखन और मुद्रण सामग्री की खरीद हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने इस तरह की खरीद करने में मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या–क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। वित्त मंत्रालय के परामर्श से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जुलाई, 1981 में निर्देश जारी किए थे जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा वित्त पोषित केन्द्र सरकार के विभाग/निकायों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे स्टेशनरी तथा अन्य सामानों की स्थानीय खरीददारी केन्द्रीय भंडार से करें। 1987 तथा 1994 में निदेश जारी किए गए थे जिसमें सुपर बाजार तथा एन.सी.सी.एफ. को भी इस व्यवस्था के तहत लाया गया था। इन निकायों के पास पंजीकृत कंपनियों से स्टेशनरी आदि खरीदने के संबंध में ऐसा कोई निदेश नहीं है।

(ख) से (घ) दिल्ली दुग्ध योजना ने किसी खरीद के लिए किसी भी मानदंड/प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है।

आगमन पर वीजा दिया जाना

4252. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सिंगापुर उच्चायोग भारतीय पर्यटकों को आगमन पर वीजा जारी करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अन्य देशों का ब्यौरा क्या है जो भारतीय पर्यटकों को आगमन पर वीजा जारी कर रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। सिंगापुर उच्चायोग ने भारतीय पर्यटकों को आगमन पर वीजा जारी करना अभी शुरू नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पर्यटकों के आगमन पर वीजा सुविधा देने वाले देश–फिजी, मालद्वीव, लाओस, युगांडा, रुआंडा, बुरुंडी, कम्बोडिया, जमैका, मेडागास्कर, कॉमोरोस, अजरबेजान, थाईलैंड, केन्या, समोआ और श्रीलंका हैं।

कोणार्क सूर्य मंदिर का विकास

4253. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में प्राचीन विरासत के तौर पर मान्य स्थलों/स्मारकों/किलों/मंदिरों के संरक्षण और उन्हें बेहतर बनाने हेतु विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्मारकों विशेषकर सूर्य मंदिर के आस–पास मौजूदा वातावरण में बदलाव लाने हेतु क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। सूर्य मंदिर कोणार्क के इर्द–गिर्द परिप्रदेश को विकसित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है तथा ललितगिरि, जिला कटक, रत्नागिरि, उदयगिर जिला, जाजपुर में बौद्ध स्थलों, डौली में अशोक के आदेशपत्र तथा उदयगिरि तथा खांडागिरि में जैन गुफाओं में सुधार लाने के लिए प्रस्तावों को तैयार किया जा रहा है।

(ख) चूंकि प्रस्ताव अभी तक योजना स्तर पर हैं, अतः कोई विशिष्ट राशि अभी तक आवंटित नहीं की गई है।

(ग) सूर्य मंदिर कोणार्क में सभी दुकानों, पर्यटक कुटीरों, आहारगृहों, प्रलेखन तथा सांस्कृतिक सूचना केन्द्रों पार्किंग के स्थानों, आदि को समाहित किया जाएगा तथा स्मारक से कुछ दूरी पर, दो परिसरों में इन्हें पुनर्गठित किया जाएगा और परिसर में रोशनी के लिए साफ्ट लाइट बीम की व्यवस्था की जाएगी।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

4254. श्री भीम दाहाल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री शिवाजी माने :
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार और जिलेवार कितने आवेदकों को ऋण दिया गया;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत जिलावार आवंटित और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण और युवकों के दावों की अनदेखी करते हुए अधिकांश ऋण स्वीकृत कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र के युवकों के दावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु बैंक/जिला के अधिकारियों को निर्देश जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 2002–2003 के दौरान आवंटन में वृद्धि करने और अधिक लोगों को ऋण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भारत सरकार योजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण राज्य/संघ शासित प्रदेशवार करती है न कि जिलावार। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999–2000; 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदनों पर संस्वीकृत ऋणों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण–I पर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 के लिए प्रगति रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक से अभी प्राप्त होनी है।

(ख) केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी साथ ही साथ प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए धनराशि जारी करती है। जबकि सब्सिडी हेतु निधियां कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिक लाभार्थियों को जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत हैं, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के लिए निधियां राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती हैं। बदले में, राज्य सरकारें इन धनराशियों को स्वयं अपने जिलों को आवंटित करती हैं, और इन निधियों के उपयोग का अनुवीक्षण करती हैं। वर्ष 1993–94 से 2002–03 के दौरान (5.08.02 की स्थिति के अनुसार) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए 151.91 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। राज्य/संघ शासित प्रदेशों में इस राशि में से 121.81 करोड़ रु. के उपयोग किए जाने की रिपोर्ट भेजी है। वर्ष 1993–94 से 2002–03 तक (05.08.02) की स्थिति के अनुसार) जारी की गई एवं उपयोग हुई निधियों का राज्यवार/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च (आई.ए.एम.आर), नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2000–01 में किए गए मूल्यांकन अध्ययन (दूसरा दौर) के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का वर्गीकरण क्रमशः 49.9% और 50.1% है।

(च) योजना की कवरेज को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं : राज्यों को अतिरिक्त लक्ष्यों का आवंटन, ऋण अतिशोध्यों की वसूली में सुधार के उपाय, कार्यान्वयन अभिकरणों से नियमित वार्तालाप, आवेदकों के लिए पात्रता पैरामीटर्स में छूट जैसे पारिवारिक आय की उच्चतम सीमा में वृद्धि, विवाहित महिलाओं हेतु रिहाइश के मानकों में रियायत।

विवरण-I

29.7.2002 की स्थिति के अनुसार प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान ऋण वितरित किए गए आवेदकों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

(आर.बी.आई. रिपोर्टों पर आधारित)

क्र.सं.	जिले/सं.शा. प्रदेश	1999–2000 (सं.)	2000–01 (सं.)	2001–01 (सं.) (जुलाई, 2002 तक)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1.	हरियाणा	5856	6084	4936
2.	हिमाचल प्रदेश	2011	1956	2153
3.	जम्मू एवं कश्मीर	871	669	789
4.	पंजाब	8519	7784	6639
5.	राजस्थान	11089	11492	9227
6.	चंडीगढ़	51	48	87
7.	दिल्ली	614	736	575
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
8.	असम	5850	3401	1592
9.	मणिपुर	310	25	76
10.	मेघालय	356	216	113
11.	नागालैंड	73	26	28
12.	त्रिपुरा	244	350	487
13.	अरुणाचल प्रदेश	215	265	175

1	2	3	4	5
14.	मिजोरम	84	75	24
15.	सिक्किम	43	44	37
पूर्वी क्षेत्र				
16.	बिहार	9159	8973	5391
17.	झारखंड			2230
18.	उड़ीसा	6731	6768	1655
19.	पश्चिम बंगाल	2910	2193	1658
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	128	115	93
मध्य क्षेत्र				
21.	मध्य प्रदेश	21207	19615	8933
22.	छत्तीसगढ़*			1226
23.	उत्तर प्रदेश	36919	36620	29714
24.	उत्तरांचल*			3856
पश्चिमी क्षेत्र				
25.	गुजरात	10085	8046	6674
26.	महाराष्ट्र	26202	23077	14951
27.	दमन एवं द्वीव	17	19	8
28.	गोवा	382	285	161
29.	दादरा एवं नगर हवेली	25	22	10
दक्षिणी क्षेत्र				
30.	आंध्र प्रदेश	13309	12330	7391
31.	कर्नाटक	15255	9404	6400
32.	केरल	12500	10442	8301
33.	तमिलनाडु	12154	9509	9067
34.	लक्षद्वीप	33	16	13
35.	पांडिचेरी	252	214	161

*राज्य नवम्बर 2000 से बनाए गए। अतः अलग से प्रगति रिपोर्ट 2001–02 से है।

विवरण-II

1993–94 से 2002–03 तक (5.8.2002 की स्थिति के अनुसार) जारी की गई एवं उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा

(राशि हजार रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गई निधियां	उपयोग हुई निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	154305.73	138957.20
2.	असम	57723.25	55125.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	2587.26	2135.45
4.	बिहार	50955.03	29768.68
5.	छत्तीसगढ़	4798.54	0.00
6.	दिल्ली	7410.25	3332.31
7.	गोवा	2081.75	1485.22
8.	गुजरात	103789.45	29391.10
9.	हरियाणा	29856.23	25112.58
10.	हिमाचल प्रदेश	8729.69	7445.69
11.	जम्मू–कश्मीर	9920.54	6142.12
12.	झारखंड	6952.10	0.00
13.	कर्नाटक	105677.97	87117.97
14.	केरल	75502.03	70396.45

1	2	3	4
15.	मध्य प्रदेश	141642.22	131415.53
16.	महाराष्ट्र	129018.94	105050.72
17.	मणिपुर	9058.16	7479.00
18.	मेघालय	5138.55	3782.10
19.	मिजोरम	1986.60	1905.00
20.	नागालैंड	2225.97	1797.65
21.	उड़ीसा	57407.83	40547.05
22.	पंजाब	59440.93	49265.17
23.	राजस्थान	63058.55	60517.68
24.	तमिलनाडु	96457.11	70163.88
25.	त्रिपुरा	7876.60	5590.20
26.	उत्तर प्रदेश	270197.95	244811.71
27.	उत्तरांचल	5166.87	0.00
28.	पश्चिमी बंगाल	41075.90	33697.35
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1275.50	567.31
30.	चंडीगढ़	1335.40	860.27
31.	दमन व दीव	1010.35	155.35
32.	दादरा व नगर हवेली	937.50	185.50
33.	लक्षद्वीप	459.23	112.25
34.	पांडिचेरी	3180.73	2615.20
35.	सिक्किम	894.20	837.65
	कुल	1519134.90	1218066.34

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

4255. श्री रामरती बिन्द : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1998 से 15 जुलाई, 2002 के बीच उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर (भदोही), वाराणसी, इलाहाबाद में गंगा नदी तथा आजमगढ़ और मऊ जिलों में घाघरा और तमसा नदियों में आई बाढ़ के कारण जान और माल को हुई क्षति तथा जलमग्न क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में कौन से एहतियाती उपाय किए गए हैं और इनको वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति की समीक्षा और इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय दल भेजने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, संत रविदास नगर (भदोही), वाराणसी, इलाहाबाद, आजमगढ़ और मऊ जिलों में पिछले चार वर्षों अर्थात् 1998–99, 1999–2000, 2000–01 और 2001–02 में बाढ़ के कारण जान और माल को हुई क्षति और जलमग्न क्षेत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण, क्रियान्वयन और प्रघालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का होता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की होती है।

नीचे दिए गए वर्षवार ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य के तहत 10.89 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और नेपाल वाले भाग में कोसी और गंडक नदियों के बाढ़ सुरक्षा कार्यों के तहत 1.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं–

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)			कुल
		1999–2000	2000–01	2001–02	(लाख रुपये)
1.	गंगा बेसिन में गंभीर कटाव रोधी कार्य	–	400.00	689.00	1089.00
2.	गंडक पर बाढ़ सुरक्षा कार्य (नेपाल वाला भाग)	–	175.22	–	175.22

(ग) और (घ) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिए जा रहे कार्यक्रम के अनुसार एक केन्द्रीय दल का मिर्जापुर और संत रविदास नगर (भदोही) में गंगा नदी पर कटाव स्थलों जहां पर हाल ही में 6.8.2002 को कटाव समस्या संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, का दौरा करने का कार्यक्रम है।

विवरण

वर्ष 1998–2001 के दौरान बाढ़ से होने वाली क्षति को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम/ क्षेत्र	प्रभावित होने वाला क्षेत्र लाख हेक्टेयर में	प्रभावित होने वाली जनसंख्या लाख में	फसल को क्षति		घरों को क्षति		मृत पशुओं की संख्या	मृत मनुष्यों की संख्या	सार्वजनिक रूप से उपयोगी वस्तुओं की क्षति	फसलों, घरों और सार्वजनिक रूप से उपयोगी वस्तुओं की कुल क्षति (कॉलम 6+8+11)
				क्षेत्र लाख हेक्टेयर में	मूल्य लाख रुपये में	क्षेत्र लाख हेक्टेयर में	मूल्य लाख रुपये में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मिर्जापुर										
	1998	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	1999	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	2000	–	0.64	–	–	–	–	10	7	–	–
	2001	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
2.	संत रविदास नगर										
	1998	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	1999	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	2000	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	2001	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	वाराणसी										
	1998	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	1999	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	2000	0.1	1.9	0.08	–	–	–	–	–	–	–
	2001	0.046	0.35	–	–	–	–	2	5	–	–
4.	मऊ										
	1998	0.19803	0.82686	0.1367	–	–	–	11	3	–	–
	1999	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	2000	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	2001	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
5.	इलाहाबाद										
	1998	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	1999	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	2000	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	2001	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
6.	आजमगढ़										
	1998	0.64049	6.83308	0.31084	–	–	–	53	21	–	–
	1999	राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है।									
	2000	–	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–
	2001	–	1.905	–	–	–	–	–	16	–	–

टिप्पणी–उपरोक्त क्षेत्रों के लिए वर्ष 2002 की अवधि (15.07.2002) के वास्ते उत्तर प्रदेश सरकार से कोई क्षति संबंधी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र आवंटन

4256. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं योजना के दौरान पर्यटन के विकास हेतु 2900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां तो क्या इस संबंध में कुछ ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने दो क्षेत्रों यानी उत्पाद विकास और बाजार संवर्धन में कमियों की बात मानी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान कौन–कौन से उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग ने दसवीं योजना के दौरान मोटे तौर पर पर्यटन अवसंरचना के विकास, मानव संसाधन विकास, संवर्धन और प्रचार, कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी आदि योजनाओं का प्रस्ताव किया है। इसमें चार नई योजनाएं, यथा–पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास, उत्पादन/अवसंरचना और गंतव्य विकास, वृहत् राजस्व सृजन परियोजनाएं और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण सम्मिलित हैं जिनका देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए प्रस्ताव किया गया है।

(घ) और (ङ) दसवीं योजना के दौरान छोटी परियोजनाओं पर संसाधन लगाने, जैसा कि पहले किया गया था, के स्थान पर देश में पर्यटक परिपथों और गंतव्य स्थलों के एकीकृत विकास पर बल दिया जाएगा। विपणन संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और इसे आवंटित उपलब्ध धन में से पूरा किया जाता है। उपचारी मापदंडों में सुनियोजित विपणन संवर्धन योजना, प्रिंट और दृश्य मीडिया के उपयोग, कार्यक्रम, मेले और उत्सव और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

सूखा ग्रस्त भूमि की उत्पादकता

4257. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान अकाल ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : अकाल ग्रस्त भूमि सहित अवनत भूमियों की उर्वरता बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न समेकित मृदा, जल एवं पोषकतत्व कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कृषि–वानिकी आदर्श नमूने भी मृदा उर्वरता को पुनःस्थापित करने में सहायक होते हैं।

यूरिया उर्वरक का प्रयोग/वितरण

4258. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री राजो सिंह :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरिया के वितरण के कार्य को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में विशेषतः बिहार और उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत उर्वरक यूरिया का प्रयोग किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार इस उर्वरक के प्रयोग को कम करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) किसी राज्य में उर्वरकों के संवितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। साधारणतया किसानों को उर्वरकों की बिक्री सहकारी नेटवर्क, राज्य सरकार और निजी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से की जाती है। तथापि हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा और नागालैंड की राज्य सरकारें यूरिया की बिक्री राज्य संस्थागत एजेंसियों/राज्य सरकारों के माध्यम से कर रही हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में जहां एक ओर यूरिया की बिक्री मुख्य रूप से राज्य संस्थागत एजेंसियों द्वारा की जाती है वहीं दूसरी ओर उर्वरक कम्पनियों को भी अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री करने की अनुमति दी गई है।

(घ) राज्य	2000–01 के दौरान कुल उर्वरक खपत में यूरिया की खपत का प्रतिशत
बिहार	67.13
उत्तर प्रदेश	69.20
अखिल भारत	53.96

(ङ) और (च) सरकार उर्वरकों और पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों के संतुलित और समेकित प्रयोग के लिए निम्नलिखित स्कीमें चला रही है–

(i) मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों, जैव पोषक तत्वों और जैव उर्वरकों के न्याय संगत प्रयोग को समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि रासायनिक उर्वरकों की सक्षमता में वृद्धि की जा सके।

(ii) विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटशयुक्त उर्वरकों को वित्तीय सहायता दी जा रही है जिससे कि उनकी खपत बढ़ सके और इस प्रकार एन.पी.के. के प्रयोग में संतुलन लाया जा सके।

(iii) जैविक खादों, हरी खादों और जैव उर्वरकों जैसे जैविक पोषक तत्वों के सस्ते और नवीकृत किए जा सकने वाले स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे रासायनिक उर्वरकों की कमी को पूरा किया जा सके।

गुड़गांव में प्रदूषण के कारण बीमारी फैलना

4259. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मूलभूत सुविधाओं यथा स्वच्छ पेयजल, उचित जल निकास/सड़क प्रणाली के अभाव और प्रदूषणकारी इकाइयों की बढ़ी संख्या विशेषतः गुड़गांव के नई आबादी आवासीय क्षेत्र के ध्वनि प्रदूषणकारी इकाइयों के कारण लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि इस क्षेत्र के लिए विकास अनुदान काफी समय से अप्रयुक्त पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त क्षेत्र में विशेषतः गली नं. 6 में प्रदूषणकारी कारखानों/उद्योगों की पहचान करने में असफल रहा है और इसने इन कारखानों के मालिकों के साथ मिलीभगत कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रदूषणकारी इकाइयों को स्थानांतरित करने और इस क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संगरोध स्टेशन, चेन्नई से पशुओं को मुक्त करना

4260. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :
श्री वाई. वी. राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई स्थित संगरोध स्टेशन आस्ट्रेलिया से आयातित प्रजनन योग्य पशुओं को आंध्र प्रदेश को नहीं सौंप रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्टेशन में व्याप्त स्थितियों में पशुओं को और अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति सुधारने और पशुओं को सौंपने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। चूंकि आस्ट्रेलियाई प्राधिकारी पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्वास्थ्य तथा संगरोध अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहे। अतः संगरोध केन्द्र चेन्नई से पशुओं को नहीं छोड़ा गया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी (ए पी एल डी ए) ने पशुओं को आराम की स्थिति में रखने के लिए सभी अतिरिक्त प्रबंध किए हैं।

(घ) सरकार ने पशुओं को वापस भेजने के लिए मामले को आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों के साथ उठाया है।

आई.ए.एस.आर.आई में प्रोफेसरों की नियुक्ति

4261. श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषि सांख्यिकी और कम्प्यूटर एप्लीकेशन के प्रोफेसरों की नियुक्ति हेतु अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान प्रोफेसरों की नियुक्ति के पालन किए जाने वाले मानदंड आई.ए.आर.आई. जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के मानदंडों के समान हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषयों हेतु स्नातकोत्तर विद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन करता है। संबंधित विषयों के लिए प्रोफेसरों की नियुक्ति स्नातकोत्तर विद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा की जाती है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की सिफारिशों को डीन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा इस संबंध में निर्णय स्नातकोत्तर विद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा लिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) लागू नहीं होता।

पिंकस्लिप बीमा

4262. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपनी नौकरी खोने वाले कर्मचारियों हेतु 'पिंकस्लिप बीमा' नामक योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य निधि आयुक्त द्वारा इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, कर्मचारी बहुलाभ बीमा योजना शुरू करने का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) ने सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदन कर दिया है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत अंशदाताओं के लिए बेरोजगारी बीमा का प्रावधान है। प्रस्तावित योजना के लिए कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करना होगा। लाभ का अनुपात तथा प्रस्तावित भुगतान की अवधि का बीमांकक रूप में मूल्यांकन करना होगा। सरकार द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन अभी किया जाना है।

बांधों में दरार

4263. श्री जे. एस. बराड़ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन हेतु निर्मित कई बांधों के तटबंध वर्षा की पहली फुहार में ही या तो बह गए या उनमें दरारें आ गईं जिससे जल संग्रहण नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके पुनर्निर्माण हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ में कई क्षेत्र डूब गए; और

(घ) यदि हां, तो बाढ़ के पानी के संग्रहण हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बांधों के निर्माण, रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से स्वयं किया जा रहा है। जल संचयन हेतु निर्मित बांधों में दरारें पड़ने या बांधों के बह जाने संबंधी रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान भारी वर्षा के कारण कुछ राज्यों जैसे–असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई। बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण नदी कटाव सहित बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन एवं प्रचालन का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार तकनीकी, प्रेरणात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक प्रकृति की सहायता देती है।

बैल चालित ट्रैक्टरों की आवश्यकता

4264. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को कठोर परिश्रम से राहत देने और ईंधन बचाने वाले बैल चलित ट्रैक्टरों (मल्टी–ट्रक–वार) को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) बैल–चालित मल्टी–टूल–बार के विकास की जानकारी सभी राज्य सरकारों को पहले ही दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त किसानों को मल्टी–टूल–बार सहित पशु चालित उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान है। स्कीम में राज्य सरकारों को हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने और अपने किसानों के लिए उपयुक्त कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की छूट है।

चार-मीनार का संरक्षण और सुरक्षा

4265. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में चार–मीनार का संरक्षण करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) हैदराबाद स्थित चार मीनार एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है जो भली–भांति परिरक्षित है। रखरखाव के अतिरिक्त, जो कि एक सतत प्रक्रिया है, पुरातत्व मानदंडों के अनुसार, स्मारक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षण कार्य किए जाते हैं बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

विमानपत्तनों के अधिकतम उपयोग संबंधी कार्यक्रम

4266. श्री किरीट सोमैया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों के अधिकतम उपयोग संबंधी कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई विमानपत्तन सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुम्बई विमानपत्तन पर विमानों को उड़ान भरने और वहां उतरने से पूर्व 15–30 मिनट इंतजार करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर विमान यातायात क्षमता के इष्टतम उपयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के सहयोग से एक अध्ययन किया है। मुम्बई हवाई अड्डे पर आधुनिक विमान यातायात सेवाएं चालू की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप विमान यातायात संभालने की क्षमता बढ़कर 30 उड़ानें प्रति घंटा हो गई हैं। इससे उड़ान संभालने की क्षमता बेहतर हुई है, यद्यपि, कभी-कभी रनवे तथा टैक्सी मार्ग की मौजूदा बाधाओं के कारण विमानों की कतार लग जाती है।

केरल में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं का क्रियान्वयन

4267. श्री टी. गोविन्दन : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड केरल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) के.वी.आई. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड केरल का कार्यनिष्पादन निम्नोक्त है--

विवरण	बैंक	राज्य के.वी.आई बोर्ड	कुल
1	2	3	4
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	695	742	1437
उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख रु. में)	782.87	1006.23	1789.10
सृजित रोजगार (लाख व्यक्तियों में)	12520	15795	28325

(ग) जी, हां।

(घ) के.वी.आई.सी. को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत यूनिटों के पूर्व स्थल सत्यापन करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच-पड़ताल खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा की गई थी। क्रेडिट के संबंध में निर्णय लेना बैंकों का कार्य है, जिसके लिए वे परियोजनाओं की तकनीकीय और वित्तीय साध्यता अध्ययन आयोजित करते हैं, विलम्ब से बचने की दृष्टि से यूनिटों के पूर्व स्थल सत्यापन करने के सिस्टम को बंद कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पर्वतों पर प्रदूषण

4268. श्री जयप्रकाश : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियानों की संख्या बढ़ने से पहाड़ों का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है क्योंकि पर्वतारोही वहां भारी मात्रा में कचरा फेंक जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्वतों को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) अध्ययनों से पता चला है कि पर्यटकों/पर्वतारोहण दलों के बार-बार जाने से और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अपर्याप्त संरचना के कारण पर्वत प्रदूषित हो रहे हैं।

(ख) से (घ) जी. बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डिवेलपमेंट, अल्मोड़ा ने अनेक अनुसंधान कार्य किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों पर भी ध्यान दिया है। पर्वतीय स्थलों को उन पर्वत स्थलों की पर्यावरणीय स्थितियों को देखते हुए पारिस्थितिकी रूप से संवदेनशील घोषित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में महाबलेश्वर–पंचगनी को पहले ही पारि–संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। पर्वतीय स्थलों को पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशीलता निर्धारित करने के पैरामीटर निर्धारित करने के संबंध में एक समिति गठित की है।

[अनुवाद]

एयर टैक्सियों का चलाया जाना

4269. श्री एस. मुरुगेसन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का एयर टैक्सियों के संचालन के संबंध में पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त टैक्सियों की उड़ानें किन स्थानों के लिए होंगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं। नागर विमानन मंत्रालय में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मछुआरों हेतु राहत योजना

4270. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों हेतु कोई बचत–सह–राहत योजना क्रियान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में विशेषकर तमिलनाडु में इनके अंतर्गत कितने मछुआरों को शामिल किया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उन मछुआरों को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस योजना में मछुआरों को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(च) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत बचत–सह–राहत को शामिल करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। सक्रिय मत्स्यन महीनों के दौरान समुद्री मछुआरे आठ महीनों के लिए 75 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा अंतर्देशीय मछुआरे नौ महीनों के लिए 50 रुपए प्रतिमाह की दर से अंशदान देते हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर वहन की गई राशि के साथ लाभार्थी के अंशदान को मिलाकर उसे कमी के महीनों के दौरान 300 रुपए प्रतिमाह की दर से मछुआरों को वितरित किया जाता है। संघ शासित क्षेत्रों के मामले में केन्द्र सरकार 100 प्रतिशत का योगदान देती है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बचत–सह–राहत घटक के तहत कवर किए गए मछुआरों की संख्या तथा तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) 9वीं योजना में कार्यान्वित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना विशिष्ट रूप से मछुआरिनों या अन्यथा के सम्मिलन को नहीं दर्शाती थी। योजना में मछुआरिनों को शामिल करने के लिए कुछ वर्गों से प्राप्त मांग पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अपना उत्तर भेजने के लिए कहा गया था। तथापि लिंग के आधार पर पक्षपात रोकने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना में 'मछली पकड़ने वाले' (फिशर्स) को शामिल करने का प्रस्ताव है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण के बचत–सह–राहत घटक के तहत कवर किए गए मछुआरों की संख्या तथा स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा

(000 रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत राशि	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत राशि	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत राशि
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	614	294.0	375	445.6	374	224.4
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	2000	1440.0	शून्य	शून्य
3.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2139	481.3
4.	कर्नाटक	13707	4613.4	1000	3000.0	13707	901.3
5.	केरल	90000	32400.0	100000	31947.0	105000	4995.0
6.	पांडिचेरी	10100	14076.0	21289	451.5	27135	5799.2
7.	तमिलनाडु	183799	26167.6	183500	32074.0	197604	70893.7
8.	पश्चिम बंगाल	7000	2520.0	7000	2100.0	शून्य	शून्य
	कुल	305220	80071.0	315164	71458.1	345959	83294.9

[हिन्दी]

झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग

4271. श्री राम टहल चौधरी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 1997 से आज तक चौड़ा करने, विस्तार करने और मरम्मत संबंधी कार्यों को शुरू किया गया था और झारखंड से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) फरवरी, 1997 से झारखंड राज्य में स्वीकृत चौड़ा करने/विस्तार/सुधार संबंधी कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं–

रा.रा.सं.	कार्य की संख्या	स्वीकृति राशि (करोड़ रु.)
6, 23, 31, 32, 33, 78, 99 और 100	86	171.90

इसके अलावा, 87.50 करोड़ रु. की योजना लागत के सुधार कार्य वार्षिक योजना 2002–03 में शामिल किए गए हैं। चौड़ा करने/विस्तार/सुधार संबंधी और कार्य, यातयात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणों में शुरू किए जाएंगे। उपर्युक्त के अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 940.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग–2

(251.00 से 441.40 कि.मी.) को चार लेन का बनाने का कार्य शुरू किया गया है और इसे काफी हद तक दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कार्यालय संबंधी खर्च

4272. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रचार, विज्ञापन, स्वागत, जलपान, उद्घाटन, गोष्ठियों, सम्मेलनों, दौरों (विदेशी यात्रा सहित), एसटीडी और आईएसडी कालों सहित टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों (विशेषकर वातानुकूलन और कूलर) और कार्यालय संबंधी अन्य व्यय पर पृथकतः कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत व्यय में मितव्ययिता बरतने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का सृजन 1 सितम्बर, 2001 को किया गया। नए सृजित किए गए मंत्रालय की बजटीय आवश्यकता को भूतपूर्व लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के कार्यालय बजट से पूरा किया जाता है। इस मंत्रालय के लिए इस मद में कोई अलग बजट उद्दिष्ट नहीं है। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा विभाग नहीं है।

(ख) से (घ) व्यर्थ व्यय पर अंकुश लगाने की दृष्टि से, सरकारी व्यय में सादगी के लिए समय-समय पर अनुदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी किए जाते हैं। सादगी उपायों में पदों के सृजन पर रोक, स्वीकृत पदों की संख्या में कमी करना, खाली पदों के भरने पर प्रतिबंध, कार्यालय व्यय में कमी, गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा तथा मनोरंजन/अतिथि सत्कार व्यय में कमी, विदेश यात्रा इत्यादि के लिए प्रतिदिन भत्ते में कमी करना शामिल है।

अनुदेशों का अनुकरण कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के लिए व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की मुख्य सिफारिशों का कार्यान्वयन इस संबंध में किया जाता है।

[अनुवाद]

अपर कृष्णा परियोजना

4273. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अम्बरीश :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर कृष्णा परियोजना के दूसरे चरण को किस तिथि को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) परियोजना की मूल लागत कितनी थी और परियोजना के पूरा होने में विलंब के कारण इसकी संशोधित लागत कितनी है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) उपरी कृष्णा परियोजना चरण-I को वर्ष 1963 में 58.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निवेश मंजूरी मिल गई थी। 283.65 करोड़ रुपये और 1214.97 करोड़ रुपये के प्रथम एवं संशोधित आकलनों को योजना आयोग द्वारा क्रमशः वर्ष 1978 और 1990 में अनुमोदित कर दिया गया था। इस परियोजना की नवीनतम आकलित लागत 5435.90 करोड़ रुपये है। वर्ष 1998-1999 के मूल्य स्तर के अनुसार 13 दिसम्बर, 2000 को 2358.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उपरी कृष्णा चरण-II को निवेश मंजूरी प्रदान कर दी गई थी।

(ग) उपरी कृष्णा अवस्था-I के चरण-I और II का कार्य पूरा कर लिया गया है। अवस्था-I के चरण-III और उपरी कृष्णा परियोजना के चरण-II को वर्ष 2003-2004 तक पूरा किया जाना है।

(घ) परियोजना को पूरा करने में लगने वाला समय राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त बजटीय परिव्ययों के प्रावधान पर निर्भर करता है।

सांस्कृतिक स्थलों हेतु सुधार योजना

4274. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने धार्मिक स्थलों हेतु धनराशि जारी न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से सांस्कृतिक स्थलों हेतु समय-बद्ध सुधार योजनाएं तैयार करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुछ सांस्कृतिक स्थलों के सुधार हेतु कदम उठाए हैं, जिनमें, महाराष्ट्र में अजन्ता एलोरा, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, उड़ीसा में पुरी भुवनेश्वर, गुजरात में धौलाबीरा, हरियाणा में कुरुक्षेत्र शामिल हैं।

[हिन्दी]

बाणसागर अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना

4275. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बाणसागर अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा इस धनराशि को जारी करने हेतु कोई प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश एवं बिहार ने 30.6.2002 को देय अपनी-अपनी अंश लागत का भुगतान इस प्रकार कर दिया है-

राज्य	देय अंश राशि (करोड़ रु. में)	भुगतान की गई अंश राशि (करोड़ में)
उत्तर प्रदेश	183.403	234.6629
बिहार	183.403	199.072

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चिकित्सा संबंधी बिल

4276. श्री अम्बरीश :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन शाखा) के चिकित्सा पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधी बिलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली स्थित अस्पतालों विशेषकर महिन्द्रा अस्पताल को भुगतान किए गए बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली स्थित महिन्द्रा अस्पताल के चिकित्सा संबंधी बिल अधिक धनराशि के पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा

अपने कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) महिन्द्रा अस्पताल को वर्ष 1999–2000 में 145.38 लाख रुपए, 2000–2001 में 142.94 लाख रुपए तथा 2001–2002 में 124.22 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया। जबकि अन्य अस्पताल को वर्ष 1999–2000 में 177.38 लाख रुपए, 2000–2001 में 236.44 लाख रुपए तथा 2001–2002 में 286.39 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

(ग) जी, नहीं। बिलों का भुगतान अनुमोदित दरों के अनुसार किया गया।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा बिलों की नियमित रूप से जांच की जाती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सतर्कता विभाग द्वारा भी इसकी जांच की जाती है। साथ ही, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को अंतरंग चिकित्सा प्रदान करने के लिए सूची में सम्मिलित अस्पतालों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा गंभीरतापूर्वक जांच की जाती है ताकि ऐसी सुविधाओं को दोष रहित किया जा सके।

कर में कमी

4277. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान–पान के संबंध में अतिथि सत्कार के क्षेत्र में कर ढांचे में कमी करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कमी से अतिथि सत्कार क्षेत्र को क्या विशेष लाभ मिलने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्ष 2002–2003 के केन्द्रीय बजट में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर व्यय कर से छूट दी गई है। होटलों में आयोजित किए जा रहे समारोहों और प्रीतिभोजों के मामले में 5% के सेवाकर में छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, आयातित मदिरा पर सीमा शुल्क भी कम कर दिया गया है।

(ख) करों में रियायत देने से भारत को कम खर्चीला बनने में मदद मिलेगी एवं इससे यह और अधिक प्रतिस्पर्धी गंतव्य स्थल बन सकेगा।

तेजपुर स्थित बान थियेटर का जीर्णोद्धार

4278. श्री एम. के. सुब्बा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेजपुर (असम) में बान थियेटर के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार हेतु एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना हेतु भुगतान की दूसरी किस्त के जारी करने में विलंब के कारण इस परियोजना पर कार्य कुछ वर्षों से रुका हुआ है;

(घ) क्या इस विलंब के कारण इस परियोजना की लागत में कोई वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। वर्ष 1992 में प्रारंभ में सरकार ने 1,00,000/– रु. की राशि अनुमोदित की थी जिसमें से जुलाई, 1994 में इस गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) को 25,000/– रु. की पहली किस्त जारी की गई थी। इसके बाद संगठन के अनुरोध पर सरकार ने मार्च, 1997 में संस्वीकृत राशि को बढ़ाकर भवन अनुदान की राशि 9.00 लाख रु. तथा उपस्कर अनुदान की राशि 1.00 लाख रु. कर दी।

(ख) गैर–सरकारी संगठन द्वारा 1992 में इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत 8,57,629/– रु. बताई गई थी। 1996 में इस संगठन द्वारा प्रस्तुत संशोधित आंकड़ों के अनुसार निर्माण की अनुमानित लागत 35,28,703/– रु. और उपस्कर की लागत 11,56,400/– रु. थी।

(ग) से (ङ) निर्माण के लिए संस्वीकृत 9 लाख रु. की राशि में से निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार अनुदान की तीन किस्तें पहले ही जारी कर दी गई हैं–

किस्तों की संख्या	जारी करने का माह/वर्ष	राशि
पहली किस्त	जुलाई, 1994	25,000/– रु.
दूसरी किस्त	मार्च, 1997	4,40,000/– रु.
तीसरी किस्त	फरवरी, 2000	2,55,000/– रु.

संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई अद्यतन जानकारी के अनुसार, निर्माण की लागत बढ़कर 61,80,692/– रु. हो गई है। निर्धारित पद्धति के अनुसार, दूसरी किस्त जारी होने के बाद इस संगठन के संवर्धित अनुदान के अनुरोध पर कार्रवाई करने में कुछ समय लगा।

(च) परियोजनाओं का निष्पादन/उन्हें पूरा करना संबंधित संगठन की जिम्मेदारी है। जहां तक लागत में वृद्धि का संबंध है, अतिरिक्त व्यय, संगठनों के अपने ही स्रोतों से पूरा किया जाना होता है।

फलों और सब्जियों के विपणन हेतु ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना

4279. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या–25 में दुग्ध सहकारी समितियों की भांति 'नैफेड' इत्यादि की सहायता से फलों व सब्जियों के विपणन हेतु ग्रामीण सहकारी समितियों के विपणन हेतु ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने देश में फल व सब्जियों के विपणन व प्रसंस्करण संबंधी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) सहकारिता क्षेत्र में कृषि व बागवानी उत्पादों के विपणन, प्रसंस्करण और भण्डारण के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने फलों व सब्जियों के विपणन में सहकारी समितियों को मदद करने के लिए अब तक देश में 432 परियोजनाओं को सहायता दी है। फलों और सब्जियों की सहकारी समितियों को सहायता उनके अंश पूंजी आधार को मजबूत बनाने, कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के मार्जिन धनराशि सहायता, परिवहन गाड़ियों, शेडों और गोदामों के निर्माण, शीतागारों के निर्माण के उद्देश्य से विपणन अवसंरचना के सृजन आदि के लिए सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार फलों और सब्जियों से संबंधित 45 प्रसंस्करण एककों को भी सहायता दी है सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यक्रमों के माध्यम से फलों और सब्जियों से संबंधित सहकारी समितियों को बढ़ावा देना जारी रखेगी।

अमेरिका द्वारा कृषि व्यापार सुधार

4280. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी सरकार द्वारा नये फार्म अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से कृषि व्यापार सुधार के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता खटाई में पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्योग ने इस नये फार्म अधिनियम पर चिंता जाहिर की है जो अमेरिकी सरकार को किसानों को बड़े पैमाने पर राजसहायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान करेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अमेरिकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) यू.एस. फार्म सुरक्षा व ग्रामीण निवेश अधिनियम, 2002 के तहत कृषि को सहायता में प्रस्तावित वृद्धि से विश्व बाजार में मूल्यों पर मंदी का प्रभाव पड़ सकता

है। इससे विकासशील देशों के लिए बाजार में पहुंच बनाने के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। इस आशय की चिन्ताएं विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्त की गई हैं।

भारत ने विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत किए गए अपने विचार–विमर्श संबंधी प्रस्तावों में पहले ही विकसित देशों द्वारा एक सीमित अवधि के अंदर निर्यात सब्सिडियों के उन्मूलन और घरेलू सहायता में पर्याप्त कटौती की मांग की है।

कृषि उत्पादों के विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे का संवर्धन

4281. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नैफेड' का विचार कृषि उत्पादों के विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे का सहकारी समितियों के माध्यम से संवर्धन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) नैफेड राज्यों के सहकारी विपणन संघों के माध्यम से काम कर रहा है। यह अलग से किसी सहकारी समिति का गठन नहीं कर रहा है। सहकारिता राज्य का विषय है।

(ख) और (ग) देश में शीर्षस्थ स्तर पर नैफेड के साथ पर्याप्त विपणन सहकारी अवसंरचना पहले से ही विद्यमान है। नैफेड देश में किसानों के लाभार्थ कृषि उत्पादों के रख–रखाव के लिए अवसंरचना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

नांगल बांध से जल छोड़ने के कारण खेतों का विनाश

4282. श्री कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 1 जुलाई, 2002 के 'दैनिक भास्कर' (फरीदाबाद संस्करण) में प्रकाशित समाचार के अनुसार नांगल बांध से जल छोड़ने से इस क्षेत्र में खेतों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या जल छोड़ने हेतु नांगल बांध के द्वार खोलने के पहले इस क्षेत्र के किसानों को पहले से सूचित नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को नुकसान का मौके पर निरीक्षण करने और प्रभावित किसानों जिनकी कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो गई है को मुआवजे का भुगतान हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) देश में बाढ़ों के प्रबंधन से संबंधित कार्य गृह मंत्रालय का है जबकि नांगल बांध से पानी को छोड़ने का मामला जल संसाधन मंत्रालय का है। सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई.ओ.सी. द्वारा स्मारकों की सुरक्षा

4283. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष संस्कृति मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के अनुपालन में देश में विरासती स्मारकों के संरक्षण हेतु सरकार को आई.ओ.सी. से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित शर्तों के अनुसार धनराशि को संवितरित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संरक्षण हेतु विरासती स्मारकों के चयन के लिए एक समिति गठित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चयनित स्मारकों की राज्यवार सूची क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) ऐसे विभिन्न स्मारकों का विस्तृत दौरा करने और उनकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद जो परिरक्षण तथा भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने उपर्युक्त धन का सर्वाधिक किफायती, समेकित तथा समय पर उपयोग करने के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं।

प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस संपूर्ण मामले पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुनर्जीवित/संरक्षित किए जाने वाले स्मारक का नाम	आई.ओ.सी./आई.ओ. एफ. का योगदान	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का योगदान	अभ्युक्तियां
1.	तमिलनाडु	महाबलीपुरम	1 करोड़ रुपये	न्यूनतम 1 करोड़ रुपये	ये स्थल या तो विश्वदाय स्थल या अन्यथा वर्तमान में हमारे सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पुनरुद्धार की दृष्टि से अत्यधिक महत्व के हैं। फिलहाल ये सभी स्मारक बुरी हालत में हैं और उनके पुनरुद्धार/ संरक्षणार्थ विशिष्ट उपचार की आवश्यकता है। कुछेक स्थलों पर अनेक आवादकार एवं अति–क्रमणकर्त्ता हैं।
2.	महाराष्ट्र	1. एलीफेंटा	50 लाख रुपये	न्यूनतम 50 लाख रुपये	
		2. कन्हेरी गुफाएं	1 करोड़ रुपये	न्यूनतम 1 करोड़ रुपये	
3.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़ किला	1 करोड़ रुपये	न्यूनतम 1 करोड़ रुपये	
		–पन्ना महल	1 करोड़ रुपये	न्यूनतम 1 करोड़ रुपये	
		–पद्मिनी एन्क्लेव			
4.	कर्नाटक	हम्पी	1 करोड़ रुपये	न्यूनतम 1 करोड़ रुपये	
5.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	1 करोड़ रुपये	न्यूनतम 1 करोड़ रुपये	
6.	दिल्ली	1. सूफी निजामुद्दीन दरगाह	50 लाख रुपये	न्यूनतम 50 लाख रुपये	
		2. कुतुब मीनार–लाल–कोट	50 लाख रुपये	न्यूनतम 50 लाख रुपये	
7.	मध्य प्रदेश	भीमबेटका	1 करोड़ रुपये	न्यूनतम 1 करोड़ रुपये	
8.	उड़ीसा	कोणार्क	1 करोड़ रुपये	न्यूनतम 1 करोड़ रुपये	
9.	हिमाचल प्रदेश	टाबो मठ तथा अन्य बौद्ध मठ एवं मनाली–लेह रोड	1 करोड़ रुपये	न्यूनतम 1 करोड़ रुपये	
10.	केरल	कालादी परिसर	50 लाख रुपये	न्यूनतम 50 लाख रुपये	
		कुल	10 करोड़ रुपये	न्यूनतम 10 करोड़ रुपये	

11वीं योजना के दौरान अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों का विकास

4284. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान देश के कुछ विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन–किन विमानपत्तनों की पहचान की गई है;

(ग) क्या भोपाल विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमान–पत्तन के रूप में विकसित करने पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि भोपाल हवाई अड्डे सहित देश के किसी भी हवाई अड्डे को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है, चूंकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी तैयार किया जाना है।

उर्वरक/पेस्टनाशी का प्रयोग

4285. श्री सईदुज्जमा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों, पेस्टनाशियों और एच वाई वी इत्यादि के प्रयोग के बाद सघन कार्यक्रम के कारण कीटों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1920 में दलहन में कुछेक प्रजातियों के कीट ही लगते थे लेकिन आज इनकी 250 प्रजातियां हैं जिसके कारण उत्पादन में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो प्रमुख फसलों के संबंध में वर्ष 1920/1940 में कीट प्रजातियों की सूची क्या थी और इस समय इन कीट प्रजातियों की सूची क्या है;

(घ) सरकार की इस गंभीर स्थिति से निपटने हेतु कार्बनिक खेती इत्यादि को बढ़ावा देने संबंधी क्या योजना है और क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में शीघ्रता से जैव नियंत्रण अनुसंधान और विकास करके उपेक्षित क्षेत्र को मजबूत करने और कार्बनिक कृषि के संवर्धन में शामिल गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से ज्ञान का विस्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। फसल गहनता कार्यक्रमों में उर्वरकों, कीटनाशकों और उच्च पैदावार देने वाली किस्मों के उपयोग की भूमिका बहुत सी फसलों में कीटों की संख्या में वृद्धि करने की रही है।

(ख) और (ग) जी, हां। यह एक तथ्य है कि फ्लेचर ने देश में विभिन्न दलहनी फसलों में कुल 35 कृमि/कीटों की एक सूची 1920 में तैयार की थी। वर्ष 1993 के दौरान धारीवाल और अरोड़ा तथा 1995 के दौरान लाल ने विभिन्न दलहनी फसलों में 250 से भी अधिक कृमि तथा कीटों की सूचना दी है।

वर्तमान में प्रमुख फसलों के मामले में तथा 1920/1940 में दर्ज किए गए कृमि तथा कीट निम्नलिखित हैं–

फसल	1920/1940		वर्तमान में	
	दर्ज किए गए कुल कृमि व कीट	गंभीर कीटों की संख्या	दर्ज किए गए कुल कृमि व कीट	गंभीर कीटों की संख्या
चावल	35	10	240	17
गेहूं	20	2	100	19
गन्ना	28	2	240	43
मूंगफली	10	4	100	12
तोरिया/सरसों	10	4	38	12
दालें	35	6	250	34
कपास	34	9	162	15

(घ) सरकार रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जैव वैज्ञानिक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्र तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों तथा राज्य सरकारों की अन्य फसल आधारित संस्थाओं के माध्यम से प्रमुख फसल कीटों के लिए जैव–गहन कीट प्रबंध पद्धतियों

को बढ़ावा दे रही है। जैव नियंत्रण एजेंट तथा जैव कीटनाशक समेकित कीट प्रबंध कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण आदान हैं और देश के समेकित कीट प्रबंध कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण साधन है।

सरकार जैविक खेती के महत्व के प्रति पूरी तरह से सचेत है गैर–सरकारी संगठनों सहित विभिन्न एजेंसियों को निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 10वीं योजना के दौरान जैविक खेती में संबंधित एक राष्ट्रीय परियोजना प्रस्तावित है–

(1) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 'बैक एन्डेड' पूंजी सब्सिडी के रूप में वर्मीकल्चर हैचरियों, जैव उर्वरक उत्पादन यूनिटों, अपशिष्ट कम्पोस्ट यूनिटों और फलों व सब्जियों के वाणिज्यिक उत्पादन यूनिटों की स्थापना।

(2) सेवा प्रदान करने वाले के रूप में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्षमता सृजन।

(3) प्रशिक्षण प्रोग्रामर।

(4) जानकारी आधारित आंकड़ा बैंक का गठन और

(5) राष्ट्रीय जागरूकता का सृजन।

(ङ) और (च) सरकार ने समेकित कीट प्रबंध को समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रम में पौध संरक्षण के एक प्रमुख साधन तथा मूलभूत सिद्धांत के रूप में अपनाया है। फसल कीट तथा खर–पतवार संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना सहित जैव वैज्ञानिक नियंत्रण संबंधी परियोजना निदेशालय देश में विभिन्न फसलों के मामले में प्रभावी जैव–नियंत्रण एजेंटों की अपेक्षित जानकारी का सृजन कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में विभिन्न जैव नियंत्रण क्रियाकलापों को बढ़ावा देने और नई प्रौद्योगिकियों के सृजन के लिए 1993 के दौरान उक्त जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय की स्थापना की। भारत सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आगे 10वीं योजना के तहत जैव नियंत्रण कार्यक्रमों के सम्बद्ध क्रियाकलापों और जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय को मजबूत बनाने के लिए सोच रहा है। गैर–सरकारी संगठनों, सरकार तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्मिकों के लिए विभिन्न जैव–नियंत्रण एजेंटों की उत्पादन प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

एम.टी.एन.एल. भवन निर्माण करने वाले कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

4286. डा. बलिराम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नई दिल्ली में जनपथ पर भारत संचार निगम लिमिटेड के भवन के निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की श्रम उपायुक्त द्वारा जांच किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) दिनांक 8.8.2002 को केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तन्त्र द्वारा की गई जांचों के अनुसार, यह देखा गया कि जांच के दिन दस कर्मकार निर्माण कार्य में लगे हुए थे और उन्हें न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा था। पाई गई अनियमितताओं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कम मजदूरी के भुगतान का मामला भी शामिल है, के संबंध में प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस तामील किया गया है। इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रबंधन को दस दिन का समय दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया की बिना उड़ान योजना के मुंबई विमानपत्तन से उड़ान

4287. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिना किसी उड़ान योजना के एयर इंडिया के विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भूमि की खरीद पर खर्च

4288. श्री रघुनाथ झा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998 में कोचीन में एक भूखंड की खरीद पर 36.72 लाख रुपये अधिक खर्च किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे आर्थिक घाटे के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1998 में कोचीन में भूमिखंड की खरीद पर सरकार द्वारा 36.72 लाख रुपए का कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया। तथापि, ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की लागत में 80,000 रु. से 1,00,000 प्रति सेंट (100, सेंट = 1 एकड़) परिवर्तन करने के कारण कोचीन में 1.8 एकड़ भूमि को अधिगृहित करने के वास्ते अक्टूबर, 1995 में भारत सरकार द्वारा 36.72 लाख रुपए (36.00 लाख रुपए जीसीडीए को भुगतान किया गया एवं 0.72 लाख रुपए पंजीकरण शुल्क के रूप में दिया गया) की अतिरिक्त राशि खर्च की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयातित खेपों का विपणन

4289. श्री अरूण कुमार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 2000 से कोलकाता विमानपत्तन कार्गो टर्मिनल पर 92075 किलोग्राम सामान 30 दिन की निर्धारित अवधि के बाद भी बिना निपटान के पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2002 तक बिना दावे के पड़े हुए कार्गो की बिक्री से कितनी धनराशि जुटाई गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जुलाई, 1999 के बाद कोलकाता हवाई अड्डे में नीलामी नहीं की जा सकी चूंकि लंबित कार्गो के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्त्ताओं की नियुक्ति नहीं की गई थी। मूल्यांकनकर्त्ताओं की नियुक्ति में देरी, नियुक्ति के लिए प्रकाशित निविदाओं के जवाब न देने के कारण हुई। मूल्यांकनकर्त्ताओं की नियुक्ति फरवरी, 2002 में की गई और मई तथा जुलाई, 2002 को क्रमशः 3.43 लाख रु. की राशि के 17 मैट्रिक टन भार के 986 पैकेजों तथा 14.79 लाख रु. की राशि के 14 मैट्रिक टन भार के 879 पैकेजों की नीलामी की गई।

(ग) अप्रैल, 1998 से 31.3.2002 तक अनक्लीयर्ड/लेफ्ट ओवर कार्गो की नीलामी से 65,32,682 रु. कमाए गए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग

4290. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भारतीय नौसेना की सहायता से 'प्रिंसेस रॉयल' नामक अठारहवीं शताब्दी के ब्रिटिश पोत को खोज निकाला है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान से अवशेषों को पुनः प्राप्त किया है;

(ग) क्या सरकार ने पोत का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका मूल्यांकन कितना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा भारतीय नौसेना

द्वारा मई, 2002 में किए गए संयुक्त अभियान में अठारहवीं शताब्दी के ब्रिटिश पोत का ना तो पता चला है और ना ही उसकी पुनः प्राप्ति हुई है। वर्तमान अभियान का उद्देश्य क्षतिग्रस्त पोत की स्थिति का पता लगाना है, जो वास्तव में 1990 में, संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप के बंगारम द्वीप के पास खोजा गया था। तथापि, क्षतिग्रस्त पोत के स्थान से पहले एक घंटी प्राप्त हुई थी जिसके ऊपर 'प्रिंसेस रॉयल, 1792' लिखा था। यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि क्या यह ब्रिटिश पोत था क्योंकि इसके ध्वज की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नर्मदा परियोजना को अवसंरचना विकास परियोजना के रूप में मान्यता

4291. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नर्मदा परियोजना अर्थात् सरकार सरोवर परियोजना को अवसंरचना विकास परियोजना के रूप में मान्यता देने का माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त मान्यता कब तक दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) गुजरात के मुख्य मंत्री ने सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना घोषित करने, और कर मुक्त बॉण्ड्स जारी करने के लिए सरदार सरोवर निर्माण निगम लिमिटेड (एस.एस.एन.एन.एल.) के प्रस्ताव का अनुमोदन करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक की दिशा निर्देशों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए 13 जून, 2002 को माननीय प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है ताकि इस परियोजना के लिए अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराई जा सकें।

(ग) केन्द्र सरकार ने पूरी तरह सरदार सरोवर परियोजना के उपयोग के लिए वर्ष 2002–2003 के दौरान सरदार सरोवर निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 500 करोड़ रुपये की सीमा तक के कर मुक्त बॉण्डों को जारी करने संबंधी अपना अनुमोदन दे दिया है। सरदार सरोवर परियोजना को 'राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना' के रूप में घोषित करना केन्द्र सरकार की वर्तमान नीतियों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

पुनर्वास नीति

4292. श्री राजो सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंझली एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए कोई पुनर्वास नीति बनाने का है;

(ख) आज तक की तिथि के अनुसार इसके परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले लोगों की राज्यवार सूची क्या है; और

(ग) उक्त नीति के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल, राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं सहित सभी प्रकार की जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना एवं उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। इसलिए, विभिन्न राज्य सरकारें राज्यवार/परियोजनावार पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीतियों/क्रियान्वयन आदेशों के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापना/पुनर्वास संबंधी कार्य कर रही हैं। भारत सरकार ऐसे प्रभावित व्यक्तियों की सूची का रख–रखाव नहीं करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1000 अथवा उससे अधिक परिवारों को विस्थापित करने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास संबंधी एक विधायी मसौदे को अंतिम रूप दे रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सिंचाई परियोजनाओं के प्रतिकूल रूप से प्रभावित अथवा विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्स्थापना और पुनर्वास संबंधी एक विधायी मसौदे को अंतिम रूप दे रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सिंचाई परियोजनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित अथवा विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्स्थापना और पुनर्वास संबंधी कार्य भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारतीय सड़क निर्माण निगम

4293. श्री दिन्शा पटेल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) आज तक निगम को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त निगम में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सरकार द्वारा कितना निवेश किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार निगम को बंद करने अथवा उसका विलय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने तथा सरकार की धनराशि को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) भारतीय सड़क निर्माण निगम (आई आर सी सी) के मुख्य कार्य, भारत और विदेश में सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण कार्य और अन्य सिविल इंजीनियरिंग कार्य थे।

(ख) 31.3.2000 तक इस निगम द्वारा उठाई गई हानियों की राशि 539.76 करोड़ रुपए थी जिसे भारत सरकार ने 31.3.2001 को बट्टे खाते डाल दिया था।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) फरवरी, 2000 के दौरान, सरकार ने निगम को बंद करने का निर्णय लिया और निगम का 28.6.2001 से परिसमापन हो गया। सभी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) का विकल्प लिया और उन्हें उनकी सेवांत देय राशियों सहित अनुग्रह अदायगी (वी आर एस प्रतिपूर्ति) का भुगतान किया जा चुका है। गत दस वर्षों के दौरान भारतीय सड़क निर्माण निगम (आई आर सी सी) ने सरकार से कोई बजट सहायता नहीं ली है।

[हिन्दी]

धान से उत्पादित चावल संबंधी नीति में परिवर्तन

4294. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने धान से उत्पादित चावल संबंधी नीति में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार को कोई विशेष संस्वीकृति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रति क्विंटल चावल में टूटे हुए चावल का प्रतिशत 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को छत्तीसगढ़ के प्रति क्विंटल चावल में 25 प्रतिशत से ज्यादा 'टूटे हुए चावल' होने के संबंध में किसी शिकायत की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। समूचे देश में कच्चे चावल के लिए 67% और सेला (पारब्वायल्ड) चावल के लिए 68% का एक समान 'आउट टर्न' अनुपात लागू है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। चावल के 'आउट टर्न' अनुपात के संबंध में कोई विशेष मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) खरीफ विपणन मौसम, 2001–02 के लिए कच्चे चावल (ग्रेड 'ए' और 'सामान्य') की समान विनिर्दिष्टताओं में खंडित अनाज की अधिकतम सीमा 25% है जिसमें 1% छोटा खंडित अनाज भी शामिल है।

(घ) चावल में 25% से भी अधिक खंडित अनाज के संबंध में छत्तीसगढ़ से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विकास परिषद

4295. श्री नरेश पुगलिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना आयोग को 108 श्रम कल्याण योजनाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग के प्रति विरोध जताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कुक्कुट पालन परियोजना

4296. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) में कुक्कुट पालन परियोजना असफल हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजना को सफल बनाने एवं आर्थिक रूप से अर्थदाय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोलकाता से वाया बैंकाक-बीजिंग तक की उड़ान

4297. श्री सुनील खां : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विचार कोलकाता से वाया बैंकाक–बीजिंग तक उड़ान सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस उड़ान सेवा के कब से आरंभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार की तलाश में लगे लोगों के लिए मार्गनिर्देश/सहायता

4298. डा. अशोक पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश में रोजगार तलाशने वालों की मार्ग निर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय के उत्प्रवास महासंरक्षी के पर्यवेक्षण में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोचीन और तिरुवनन्तपुरम स्थित 8 उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय हैं। इन कार्यालयों का एक कार्य विदेश में रोजगार के इच्छुक उत्प्रवासियों को मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। तथापि, विदेश में रोजगार चाहने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई स्कीम या प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश एवं उत्तरांचल की लंबित सिंचाई परियोजनाएं

4299. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास आंध्र प्रदेश एवं उत्तरांचल में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने से संबंधित लंबित पड़ी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आवंटित किया जाने वाला प्रस्तावित धन कितना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) केन्द्रीय जल आयोग में आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल से तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त सिंचाई परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सिंचाई परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की बकाया टिप्पणियों के शीघ्र अनुपालन पर निर्भर करती है।

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों के अनुसार राज्य सरकारों को आवंटित की जाने वाली निधियों का निर्णय वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किया जाता है।

विवरण

मूल्यांकनाधीन नई परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	वृहद/ मध्यम	नदी/ बेसिन	लाभान्वित होने वाले जिले	प्राप्त होने की तारीख	लाभ (हजार हेक्टेयर में)	अनुमानित लागत (करोड़)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नेत्तामपादु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	महबूब नगर	11/2000	10.926	134.30	ए
2.	कालवाकुस्थी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	महबूब नगर	11/2000	20.234	380.00	ए
3.	थोटापल्ली बैराज*	आंध्र प्रदेश	वृहद	नागावली/ नागावली	विजयानगरम और श्रीकाकुलम	9/2001	120 (नई) 64 मौजूदा	462.00	ए
4.	पुलिनचिंतला सिंचाई परियोजना (मैसनरी बांध)	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	गुंटूर, कृष्णा, प्रकासम, पश्चिम गोदावरी	7/93	575	506.20	बी
5.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण–ईआरएम	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	गुंटूर, कृष्णा, प्रकासम, पश्चिम गोदावरी	1/96	575	659.16	बी
6.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	वृहद	भीमा/ कृष्णा	महबूब नगर	1/96	83.78	744.00	बी
7.	श्रीरामसागर चरण–II	आंध्र प्रदेश	वृहद	गोदावरी	वारंगल, नालगोंडा, खम्माम, आदिलाबाद	9/86	253.40	697.70	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	एस आर एस पी से बाढ़ प्रवाह नहर	आंध्र प्रदेश	वृहद	गोदावरी	करीमनगर, वारंगल, नालगोंडा	12/93	102.00	1331.00	बी
9.	जुराला (मैसनरी बांध)	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	महबूब नगर	9/80	47.84	545.82	बी
10.	वम्सधारा परियोजना चरण–II* (नेरादी बैराज)	आंध्र प्रदेश	वृहद	वम्सधारा	श्रीकाकुलम	5/83	50.958	275.74 (86–87 एस ओ आर)	बी
11.	गोल्लावागु जलाशय*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	गोल्लावागु/ गोदावरी	आदिलाबाद	9/2001	3.845	39.58	ए
12.	राल्लिवागु जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	राल्लिवागु/ गोदावरी	आदिलाबाद	9/2001	2.430	26.75	ए
13.	निलवाई जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पेड्डावागु/ गोदावरी	आदिलाबाद	9/2001	5.260	48.90	ए
14.	पेड्डागेड्डा जलाशय परियोजना*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	वेगवती/ नागावली	विजयानगरम	01/2002	4.858	3.211	ए
15.	झंझावती परियोजना*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	झंझावती/ नागावली	विजयानगरम	01/2002	–	121.0	ए
16.	मथादिबागु	आंध्र प्रदेश	मध्यम	मथादिबागु/ गोदावरी	आदिलाबाद	5/5/2002	3.44	2.644	ए
17.	पेड्डेरू जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पूर्व की ओर बहने वाली/सारदा	विशाखापट्टनम	9/91	6.46	26.23	बी
18.	पालेमवागु* (मैसनरी बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पालेमवागु/ गोदावरी	खम्माम	5/88	6.23	29.13	बी
19.	वाल्लिगाल्लु जलाशय*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पापाग्नि/ पन्नार	कुडप्पा	12/96	9.60	131.82	बी
20.	येर्रावागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	येर्रावागु/ गोदावरी	आदिलाबाद	3/99	4.46	31.28	बी
21.	सुड्डावागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	सुड्डावागु/ गोदावरी	आदिलाबाद	3/99	5.66	56.48	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	पेड्डावागु* (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पेड्डावागु/ गोदावरी	आदिलाबाद	8/99	9.915	202.60	बी
23.	सुरामपलेम जलाशय स्कीम मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	बुर्दाकालावा/ गोदावरी	पूर्वी गोदावरी	10/99	4.88	46.70	बी
24.	सुरामपलेम फेज–II*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	बुर्दाकालवा/ गोदावरी	पूर्वी गोदावरी	7/2000	5.12	49.50	बी
25.	भूपतिपालेम* (बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	सीयापल्ली/ गोदावरी	पूर्वी गोदावरी	7/2000	5.419	47.23	बी
26.	कोव्वादाकालवा	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	पश्चिम गोदावरी	3/89	4.18	16.02	डी
27.	किशाऊ बांध (वृहद)	उत्तरांचल	वृहद	टोन्स/गंगा	–	7/97	विद्युत (600 मेगावाट) दिल्ली से डब्ल्यू एस 617 एमसीएम/ वर्ष	4099.00	सी

स्थिति :

ए मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के तहत परियोजना

बी कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत

सी जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित

डी निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजी गई

[हिन्दी]

बौद्ध स्थलों के लिए जापान से सहायता

4300. योगी आदित्यनाथ :

श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बौद्ध विहारों के विकास हेतु जापान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजन हेतु धन का आवंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के विशेषकर राजस्थान के विकसित किए जाने वाले बौद्ध विहार कौन–कौन से हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) सरकार को जापान सरकार से वित्तीय सहायता साधारणतः बौद्ध मठों के विकास के लिए नहीं अपितु विशेषतः अजन्ता–एलोरा संरक्षण तथा उनसे संबंधित पर्यटन अवसंरचना के लिए प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) 3745 मिलियन जापानी येन का आवंटन इस परियोजना के चरण–I के वास्ते निम्नलिखित के लिए प्रदान किया गया है–

(1) स्मारक संरक्षण

(2) औरंगाबाद हवाई–अड्डे का सुधार

(3) वनारोपण

(4) सड़कों का सुधार

(5) बिजली में सुधार

(6) जल आपूर्ति तथा मल–जल व्ययन, और

(7) अजन्ता में पर्यटन अवसंरचना।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बाढ़ नियंत्रण हेतु बिहार को धन उपलब्ध कराना

4301. श्री सुबोध राय : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक बिहार को बाढ़ राहत उपाय करने के लिए कितना धन उपलबध कराया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रयुक्त की गई/अप्रयुक्त पड़ी रही?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को जारी की गई आपदा राहत कोष की केन्द्रीय अंश राशि वर्ष 1999–2000 के दोरान 33.79 करोड़ रुपये, वर्ष 2000–2001 के दौरान 50.22 करोड़ रुपये और वर्ष 2001–2002 के दौरान 26.365 करोड रुपये है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत राज्य सरकार को वर्ष 1999–2000 के दौरान 38.18 करोड़ रुपये और वर्ष 2000–01 के दौरान 29.67 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

आपदा राहत कोष की केन्द्रीय अंश राशि की लंबित किस्त जारी करने के लिए बिहार सरकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत, केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2002–03 में राज्य सरकार को वर्ष 2001-02 के लिए आपदा राहत कोष की केन्द्रीय भागीदारी की दूसरी किस्त और वर्ष 2002–03 की पहली किस्त के लिए 54.05 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

बाढ़ से प्रभावित होने वाली भूमि

4302. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 के दौरान देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाली खेती योग्य भूमि का क्षेत्र कितना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : राज्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001 के दौरान आई बाढ़ों के कारण देश में कुल 1.911 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र के प्रभावित होने का अनुमान है।

फलों, सब्जियों एवं पुष्प कृषि का उत्पादन

4303. श्री सुरेश चन्देल :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान फलों, सब्जियों एवं पुष्प कृषि के क्षेत्र में हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन वस्तुओं के उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार फलों, फूलों, सब्जियों के उत्पादन हेतु किसानों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन की प्रमात्रा के उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार से हैं–

(000 मी. टन में उत्पादन)

वर्ष	फल	सब्जियां	फूल	कटे हुए (सं. लाख में)
1997–98	43263	72683	367	6222
1998–99	44042	87536	419	6428
1999–2000	45490	90830	509	6806

(ख) और (ग) सरकार उत्पादन और उत्पाद के निपटान दोनों के संबंध में किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में जानती हैं। रोग मुक्त गुणवत्ता पौध सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता, उन्नत उच्च उत्पाद वाले कल्टीवेटरों/हाइब्रिडों का धीमा प्रसारण और अनुकूलन, पोषक कमी और असंतुलनों के अभिज्ञान के लिए अपर्याप्त सुविधा, कटाई पश्चात प्रबंधन के लिए अपर्याप्त अवसंरचना, न्यून विपणन आसूचना, मूल्यों की अस्थिरता और न्यून ऋण समर्थन कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनका किसान सामना कर रहे हैं।

(घ) से (च) सरकार कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के कृषि–संपूरण/अनुपूरण प्रयासों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वृहत प्रबंधन का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार अपने कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे सकती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत उन्नत किस्मों के बीजों एवं पौध रोपण सामग्री, टिशू/लीफ विश्लेषण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं का सृजन, पौध स्वास्थ्य क्लिनिकों, रोग पूर्वानुमान इकाइयों, आदर्श पुष्प–कृषि केन्द्र, ड्रिप सिंचाई और संरक्षित जोत के लिए समर्थन जैसी वैज्ञानिक एवं तकनीकी सुविधाओं को प्रदान करने का प्रावधान है। किसानों के लाभार्थ प्रदर्शनों द्वारा प्रौद्योगिकी प्रसारण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी साहित्य का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्कीमें कटाई पश्चात प्रबंधन विषयों का पता लगाने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं–

(i) उत्पादन और कटाई–पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

(ii) बागवानी उत्पाद के लिए भंडारों और शीत भंडारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी।

(iii) बागवानी फसलों के लिए मंडी सूचना सेवा।

उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है जहां राज्य सरकारों के अनुरोध पर खरीद कार्य किए जाते हैं।

[अनुवाद]

एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस के बीच खाड़ी क्षेत्र से होने वाली आय के हिस्से के लिए कशमकश

4304. श्री अधीर चौधरी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बीच खाड़ी क्षेत्र से होने वाली आय के बंटवारे के संबंध में कशमकश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया ने 1994 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ खाड़ी मार्गों पर राजस्व साझेदारी प्रबंध तथा खाड़ी देशों के लिए संयुक्त उद्यम उड़ानों को भी शामिल किया गया था। खाड़ी राजस्व साझेदारी प्रबंध में आपसी सहमति पर आधारित सिद्धांतों पर दो एयरलाइंस की खाड़ी उड़ानों की हिस्सेदारी तथा साझेदारी की गई है। इन प्रचालनों के खातों का मिलान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा नियमित तौर पर किया जा रहा है। संयुक्त

उद्यम प्रबंध को अब (फरवरी, 2002 में) समाप्त किया जा चुका है तथा उड़ानों को दोनों एयरलाइंस के बीच बराबर–बराबर बांट दिया गया है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले

4305 श्री विनय कुमार सोराके : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 1997 से लेकर अब तक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 13 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में दोषसिद्धी हुई है;

(ग) क्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 9 मामलों में संलिप्त एक कुख्यात खाल तस्कर 1988 से अभी भी आरंभिक अभियोजन का सामना कर रहा है और जमानत पर छूटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वन्यजीव प्रकोष्ठ से विशेषज्ञों को हटा दिया जाता है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्वापक प्रकोष्ठ के कर्मचारी वन्यजीव प्रकोष्ठ में दोगुने हो रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 1996 से वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 13 मामले दर्ज किए हैं। जांच पूरी करने के बाद 11 मामलों के संबंध में शिकायतें दाखिल की गई हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पता लगाए गए किसी भी वन्यजीव अपराध में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है।

(ङ) और (च) यद्यपि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक अत्यधिक विशिष्ट अन्वेषण अभिकरण है। वन्यजीव अपराध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एस आई यू ब्रांच द्वारा नारकोटिक्स मामलों सहित देखे जाते हैं। वन्यजीव अपराधों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए उन्हें अलग से स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भड़ौच से वापि तक राजमार्ग की मरम्मत

4306. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भड़ौच से वापि तक राजमार्ग पर भारी यातायात के दृष्टिकोण से इसकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अहमदाबाद से मुंबई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) और (ख) भड़ौच से वापि तक राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। भड़ौच से सूरत खंड को पहले ही चार लेन का बना दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के सूरत–वापि खंड पर चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है और इसे काफी हद तक दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद से मुंबई खंड पर अहमदाबाद बाईपास, वड़ोदरा से सूरत और बसीन क्रीक से मुंबई खंड पहले ही चार लेन के बना दिए गए हैं और रा.रा. 8 के मनोर से बसीन क्रीक खंड को चार लेन का बनाने का कार्य 2001–02 में पूरा कर लिया गया है। अहमदाबाद–वड़ोदरा एक्सप्रेसमार्ग परियोजना और सूरत–मनोर टॉलवे परियोजना को चार लेन का बनाने का कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

कुरुक्षेत्र की विरासत शहर के रूप में घोषणा

4307. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुरुक्षेत्र को 'विरासत' शहर घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस पावन शहर के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) ऐसी कोई औपचारिक स्वीकृत योजना नहीं है जिसके अंतर्गत किसी विशेष शहर को हैरिटेज शहर घोषित किया जाए। तथापि, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शहर के रूप में कुरुक्षेत्र के महत्व को मान्यता दी गई है और बड़ी संख्या में पुनः विकास/सुधार परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श से निम्नलिखित परियोजनाओं को भी अभिनिर्धारित किया है–

(i) पुरुषोत्तम पार्क, कुरुक्षेत्र का सुधार/प्रकाश व्यवस्था;

(ii) ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र का नवीकरण;

(iii) ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में लॉनों को हरा–भरा बनाना; और

(iv) कुरुक्षेत्र में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन।

चराई पर प्रतिबंध

4308. श्री सुरेश कुरुप : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फूलों की घाटी' राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में चराई पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को किसी अनुसधान संगठन से सीमित चराई की अनुमति देने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वैज्ञानिक समुदाय 'वैली ऑफ फ्लावर्स' राष्ट्रीय उद्यान की फ्लोरा पर चराई के प्रभाव के संबंध में किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका है। अनुसंधान के परिणाम दोनों ही पक्ष में हैं अर्थात् कुछ चराई पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं जबकि अन्य का मानना है कि चराई पर प्रतिबंध राष्ट्रीय उद्यान की फ्लोरा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

(घ) उक्त विषय पर स्पष्ट मत तैयार हो जाने के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर बेचे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारण

4309. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास विमानपत्तनों पर बेची जा रही सामान्य वस्तुओं/मदों के मूल्य निर्धारण हेतु कोई दिशानिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विमानपत्तन परिसरों का उपयोग करने वाले दुकानदार इन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करते और पेय, जलपान और अन्य सामान्य मदों के लिए अत्यधिक मूल्य वसूलते हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अनुचित व्यापार व्यवहारों की उचित निगरानी की कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। दिशानिर्देश इस प्रकार हैं–

(i) निविदाएं आमंत्रित करने के नोटिस में यह साफ तौर पर कहा गया है कि यह आशा की जाती है कि पार्टी ऐसी सुविधाओं वाले शहरों/नगरों में लागू टैरिफ शुल्कों के समान ही अपने टैरिफ शुल्क भी बनाए रखेगी, और

(ii) सील की गई वस्तुओं को छपी हुई बाजार रिटेल कीमत से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेचा जाना चाहिए।

(ख) से (घ) अभी तक ऐसी कोई शिकायतों नहीं मिली हैं। फिर भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कीमतों की नियमित जांच करता रहता है।

[अनुवाद]

नमक उद्योग के कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

4310. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात में नमक उद्योग में कार्यरत कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उनके लिए कौन–कौन सी कल्याण योजनाएं तैयार की गई हैं और इन योजनाओं से अब तक राज्यवार कितने कामगार लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में कितनी निधियों का आवंटन किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) नमक आयुक्त के कार्यालय द्वारा दी गई सूचना का एक ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है।

(ख) संलग्न विवरण–II में यथा उल्लिखित कल्याण योजनाएं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नमक आयुक्त के कार्यालय द्वारा तैयार और क्रियान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं को नमक के उत्पादन पर लगाए गए और नमक आयुक्त द्वारा वसूल किए गए उपकर से वित्तपोषित किया जाता है।

नमक आयुक्त के कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं से लाभान्वित हुए कामगारों की संख्या संलग्न विवरण–III में दी गई है।

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नमक आयुक्त के कार्यालय द्वारा आवंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1999–2000 और 2001 के दौरान नमक उद्योग में प्रतिदिन नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या

क्र.स.	राज्य का नाम	श्रमिकों की संख्या		
		1999	2000	2001
1.	राजस्थान	9,684	14,997	16,203
2.	गुजरात	56,470	54,933	47,886
3.	महाराष्ट्र	2,798	4,290	7,276
4.	कर्नाटक	253	231	196
5.	तमिलनाडु	13,716	15,009	13,990
6.	आंध्र प्रदेश	8,714	9,781	10,460
7.	गोवा	116	70	70
8.	उड़ीसा	727	443	528
9.	पश्चिम बंगाल	240	230	235
10.	हिमाचल प्रदेश	55	50	50
11.	दमन और दीव	*	*	*
	योग	92,773	1,00,034	96,894

*गुजरात राज्य में शामिल किए गए।

विवरण-II

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नमक आयुक्त के कार्यालय द्वारा श्रमिकों के लाभ के लिए बनाई गई योजनाओं की सूची

(क) जल आपूर्ति योजनाएं जिसमें पानी के कूलर, स्टोरेज टैंक ट्रेलर्स पर रखे गए पानी के टैंक इत्यादि की व्यवस्था भी शामिल है।

(ख) श्रमिकों के लिए विश्राम शैड्स, शिशु गृहों और प्रसाधन कक्षों इत्यादि का निर्माण।

(ग) चिकित्सा सुविधाओं के आवर्धन का प्रसाधान जिसमें सामान्य स्वास्थ्य–सह–नेत्र–शिविरों का आयोजन शामिल है।

(घ) खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, टी वी सैट, 16 एम एम साउंड प्रोजेक्टर इत्यादि लगाने सहित सामुदायिक केन्द्रों और मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान।

(ङ) नामक उद्योग में नियोजित कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं के आवर्धन का प्रावधान जिसमें नमक कामगारों के मेधावी बच्चों को पुस्तकों की खरीद इत्यादि के लिए पुरस्कार प्रदान करना शामिल है।

(च) संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों के लिए आवास।

(छ) नमक/आयोडीनयुक्त नमक के उत्पादन/गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि में कौशल सुधार के लिए नमक विभाग में श्रव्य–दृश्य उपकरणों का प्रावधान।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों (1999–2002) के दौरान नमक आयुक्त वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की श्रम कल्याण योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कामगारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	लाभान्वित हुए श्रमिकों की संख्या
1	2
राजस्थान	2810
गुजरात	14065
तमिलनाडु	2458
उड़ीसा	420

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रम कल्याण कार्यों के लिए नमक आयुक्त कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आवंटित की गई निधियों का राज्य–वार विवरण

(आंकड़े रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	राजस्थान	2,605	6,21,830	8,12,129
2.	गुजरात	11,82,102	16,69,066	13,38,837
3.	महाराष्ट्र	–	–	–
4.	कर्नाटक	–	–	–
5.	तमिलनाडु	1,09,615	97,886	3,00,000
6.	आंध्र प्रदेश	11,046	–	–
7.	पश्चिम बंगाल	1,03,131	–	–
8.	उड़ीसा	1,05,514	10,377	23,634
	योग	15,14,013	23,99,159	24,74,600

सिंचित भूमि

4311. श्री भान सिंह भौरा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पंजाब के भटिंडा और मौसा जलाभाव वाले जिलों में और अधिक भूमि को सिंचित भूमि के अंतर्गत लाने के लिए कुछ प्रस्तावों पर सक्रियता के विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में पंजाब सरकार से तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए चैनलों को पक्का करने, क्षमता में वृद्धि के साथ चैनलों के सुधार के वास्ते 4 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पंजाब के भटिंडा और मौसा (मानसा) जिलों को भी लाभ पहुंचाने वाले प्रस्तावों पर राज्य सरकार से पत्राचार चल रहा है।

स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण

4312. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री जय प्रकाश :
श्री बी. के. पार्थसारथी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार महानगरों को जोड़ने के लिए चार लेनों वाली स्वर्ण चतुर्भुज योजना के लिए भूमि आधिग्रहण का कार्य समय से काफी पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भूमि अधिग्रहण का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत उड़ीसा से होकर गुजरने वाले भाग के लिए कुद कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ङ) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ी गई सड़कों की कुल लंबाई कितनी है;

(च) वर्ष 2000–01 के दौरान कितनी प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया गया है;

(छ) इन पर कितना व्यय किया गया;

(ज) क्या उक्त परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) से (ग) स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य सामान्यतः निर्धारित समय सीमा के अंदर ही किया गया है। तथापि, कुछ खंडों में विस्तृत प्रक्रियागत औपचारिकताओं, जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यक था, के कारण विलंब हुआ है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ठेकेदारों के लिए बिना बाधा के काम करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।

(घ) उड़ीसा राज्य में स्वर्णिम चतुर्भुज पर परियोजनाओं की कुल लागत 1960 करोड़ रु. है।

(ङ) संभवतः यह प्रश्न 31.3.2002 तक पूरी हुई स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई से संबंधित है। 31.3.2002 तक स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरे हो चुके चार लेन वाले खंडों की कुल लंबाई 1063 कि.मी. थी।

(च) और (छ) वर्ष 2000–01 के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज पर पूरी हो चुकी बड़ी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ज) से (ञ) स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए सभी ठेके सौंप दिए गए हैं सिवाय 84 कि.मी. लंबे इलाहाबाद बाईपास के क्योंकि इस परियोजना हेतु विदेशी ऋण सहायता के लिए औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। ठेके प्रगति पर हैं और इन्हें दिसम्बर, 2003 तक काफी हद तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण

वर्ष 2000–01 के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज पर पूरी हो चुकी बड़ी परियोजनाएं

क्र.सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी.)	व्यय (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	गुड़गांव–कोटपुतली	8	126	381

1	2	3	4	5
2.	बरवाअड्डा–बराकर	2	43	202
3.	मनोर–बसीन क्रीक	8	58	297
4.	जगतपुर–भुवनेश्वर	5	28	268
5.	जयपुर बाईपास चरण–I	8	14	97
6.	मथुरा–आगरा	2	54	143
7.	रानीगंज–पानागढ़	2	42	239
8.	बराकर–रानीगंज	2	33	141

रेंगाली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना

4313. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रेंगाली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान कुल कितनी राशि आवंटित की गई और अब तक कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हासिल की गई है; और

(ङ) अब तक कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्त पोषण, क्रियान्वयन, प्रचालन एवं उनका रख–रखाव राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं किया जाता है। चरण–I जिसमें बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन के प्रयोजन से रेंगाली बांध के निर्माण की योजना है, को जून, 1973 में स्वीकृत किया गया था और इसे वर्ष 1985 में पूरा किया गया। चरण–II के फेज–I जिसमें 2,35,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के विकास की योजना है, को योजना आयोग द्वारा मार्च, 1978 में स्वीकृत किया गया था और इसका निर्माण कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत इस परियोजना को बाहरी एजेंसियों तथा साथ ही साथ केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) के रूप में भी निधियां मुहैया कराई जा रही हैं। वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 के दौरान बाहरी एजेंसियों द्वारा क्रमशः 135.6 करोड़ रुपये और 106.12 करोड़ रुपये की निधियां आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 5.48 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता तथा वर्ष 2001–2002 के दौरान फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत 14.00 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है।

(ङ) नौवीं योजना की समाप्ति तक 3.25 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

दक्षिण दिल्ली में वृक्षों का गिराया जाना

4314. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए दिल्ली के रिज क्षेत्र में कम से कम 68 नीम और कीकर के वृक्ष गिराए गए हैं–जैसा कि दिनांक 13 जुलाई, 2002 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विपणन

4315. श्री वाई वी. राव : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम को विपणन के साथ-साथ विदेशों में भारत पर्यटन की अवधारणा के संबंध में बिक्री को और आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) अगले दो वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

1. निगम द्वारा विपणन पर विशेष बल दिया जा रहा है।
2. विपणन प्रभाग को एक अलग लाभदायी केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया गया है।
3. भारत एवं विदेशों, दोनों में ही विभिन्न ट्रेवल एंड टूअर संस्थाओं के साथ नियमित रूप से त्वरित गति से विचार-विमर्श किया जा रहा है।
4. इस प्रभाग ने भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के लिए विदेशों में विपणन को अधिक आक्रामक बनाने के लिए एक नई वेबसाइट तैयार की है।
5. विश्व भर में 3000 ट्रेवल एजेंटों से अधिक को मेलर्स नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं।
6. अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटक मेलों में नियमित भागीदारी एवं कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।
7. विदेशी टूअर आपरेटरों को विशेष दरें मुहैया कराई जा रही हैं।
8. विदेशी टूअर आपरेटरों तथा ट्रेवल एजेंटों के लिए फेमिलियराइजेशन टूअर्स संचालित किए जा रहे हैं।
9. नई प्रचार सामग्री, जिनमें ब्रोशर, पोस्टर्स, सीडीज इत्यादि शामिल हैं, की शुरूआत की गई है।
10. बेहतर तरीके से उत्तरदायी बनाने के लिए प्रशासक-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
11. प्रभावी संप्रेषणीयता के लिए आधुनिक विपणन यंत्रों की शुरूआत की गई है।

(ख) वर्तमान में चल रहे विनिवेश परिदृश्य से, अनिश्चितता पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समय, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में अनियमितता

4316. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **कृषि मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सहकारिता विभाग, एन.एच.-IV, फरीदाबाद के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता की कोई घटना प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) (1) पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय, फरीदाबाद (2) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद और (3) केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदबाद से संबंधित अनुशासनात्मक/शिकायती मामलों के संबंध में की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, फरीदाबाद स्थित इस विभाग के कार्यालयों में अनुशासनात्मक और शिकायती मामलों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	विषय	की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय में तत्कालीन अनुभाग अधिकारी श्री जे. पी. शर्मा के खिलाफ भरती में भाई–भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही।	बिना संचयी प्रभाव के तीन वर्षों की अवधि के लिए एक वेतन–वृद्धि रोकने संबंधी छोटा दण्ड लगाया गया।
2.	पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय के अधिकारियों सर्व श्री आर. कन्डीर, एन. सी. तुहेन, आर. एस. थरेजा और पी. पी. सिन्हा के खिलाफ फर्नीचर की खरीद में अनियमितताओं के मामले में बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही।	जांच अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं।
3.	पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय के अधिकारियों सर्वश्री आर. एल. रजाक, ए. डी. पवार और एम. दास के खिलाफ खरीद की प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले में बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही।	जांच अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं।
4.	पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय के अधिकारियों सर्वश्री आर. एल. रजाक, एम. दास तथा विरेन्द्र सिंह के खिलाफ झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर श्री सिंह की नियुक्ति के मामले में बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही।	जांच अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं।
5.	पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय में सहायक निदेशक श्री पी. जे. निखारे के खिलाफ बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही।	मामला न्यायालय में चल रहा है।
6.	पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय के अधिकारियों सर्वश्री आर. एल. रजाक, एम. दास के खिलाफ 1997–98 के दौरान की गई खरीद में अनियमितताओं के मामले में बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही।	जांच अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं।
7.	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद में उप कृषि विपणन सलाहकार श्री सन्त्री प्रसाद के खिलाफ मैसर्ज बी. पी. आयल कंपनी और पुरी आयल मिल्स के निलम्बित प्राधिकार प्रमाण–पत्र/लाइसेंस को रद्द करने के मामले में बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही।	इस मामले को जून, 2002 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया। आयोग ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2002 के पत्र के तहत उक्त अधिकारी के खिलाफ बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी है।

1	2	3
8.	केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के निदेशक श्री एन. त्रिपाठी के खिलाफ आयातित यूरिया के नमूनों के विश्लेषण में अनियमितताओं के मामले में शिकायत।	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 21 मार्च, 2002 को प्रारंभिक जांच–पड़ताल का आदेश दिया है।
9.	(1) तथाकथित अनियमितताओं (2) पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय, फरीदबाद में सरकारी स्टाफ कार/गाड़ी के दुरुपयोग और (3) पद के नियमित पद धारक को छोड़कर किसी अन्य अधिकारी को सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति के सांविधिक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की शिकायत।	पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय, फरीदाबाद में तथाकथित अनियमितताओं की शिकायत की जांच और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसे इस विभाग के पौध संरक्षण प्रभाग को भेजा गया था। पौध संरक्षण प्रभाग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय, फरीदबाद की कार्य–प्रणाली में अनियमितताओं की बात को अस्वीकृत किया गया है। अन्य शिकायतों को पौध संरक्षण प्रभाग को जांच और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है।
10.	केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड, फरीदाबाद में अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत।	इस शिकायत को इस विभाग के पौध संरक्षण प्रभाग को जांच और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है।
11.	श्री के. सी. तनेजा, कैशियर, विपणन/एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद के खिलाफ नदकी राशि गुम हो जाने के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संदर्भ।	विपणन प्रभाग से टिप्पणियां मंगाई गई हैं।

[अनुवाद]

रॉयल बंगाल टाइगरों का प्रजनन

4317. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं;

(ख) क्या सुन्दरवन टाइगर प्रोजेक्ट में रॉयल बंगाल टाइगर का प्रजनन हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) देश में 497 अदद वन्यजीव अभयारण्य हैं और इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2002 में की गई बाघ गणना के दौरान 23 बाघ शावकों को देखा गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राष्ट्रीय पार्क	अभयारण्य	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान	9	96	105
2.	आंध्र प्रदेश	4	21	25

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	11	13
4.	असम	5	15	20
5.	बिहार	1	11	12
6.	चंडीगढ़	0	2	2
7.	छत्तीसगढ़	3	10	13
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0	1	1
9.	दमन एवं द्वीव	0	1	1
10.	दिल्ली	0	2	2
11.	गोवा	1	6	7
12.	गुजरात	4	21	25
13.	हरियाणा	1	9	10
14.	हिमाचल प्रदेश	2	32	34
15.	जम्मू एवं कश्मीर	4	16	20
16.	झारखंड	1	10	11
17.	कर्नाटक	5	21	26
18.	केरल	3	12	15
19.	लक्षद्वीप	0	1	1
20.	मध्य प्रदेश	9	25	34
21.	महाराष्ट्र	5	33	39
22.	मणिपुर	1	5	6
23.	मेघालय	2	3	5
24.	मिजोरम	2	5	7
25.	नागालैंड	1	3	4
26.	उड़ीसा	2	18	20
27.	पंजाब	0	10	10
28.	राजस्थान	4	24	28
29.	सिक्किम	1	5	6
30.	तमिलनाडु	5	20	25
31.	त्रिपुरा	0	4	4
32.	उत्तर प्रदेश	1	23	24
33.	उत्तरांचल	6	6	12
34.	पश्चिम बंगाल	5	15	20
	कुल	89	497	586

ई.एस.आई. अस्पतालों का कार्यनिष्पादन

4318. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशकल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को ई.एस.आई. अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों के अभाव और असंतोषजनक सेवाओं की कमी के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या चिकित्सकों और दवाओं की कमी के कारण ई.एस.आई. योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) फिलहाल महाराष्ट्र में 14 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में कुछ औषधियों की अनुपलब्धता संबंधी कुछेक शिकायतें मिली हैं। तथापि, जीवनरक्षक औषधियों की अनुपलब्धता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि बीमा चिकित्सा प्रेक्टिशनरों के कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों/निदानशालयों के माध्यम से 78 प्रकार की औषधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में लगभग 350 प्रकार की औषधियां उपलब्ध हैं तथा उनके पास जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी पर्याप्त मात्रा में औषधियां हैं।

(घ) और (ङ) असंतोषजनक सेवाओं के संबंध में लाभार्थियों की उचित शिकायतों पर राज्य सरकार ने भी त्वरित समाधान हेतु कदम उठाए हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या में आंशिक कमी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत निर्धारित 6500/– रुपये प्रतिमाह की मजदूरी सीमा श्रमिकों द्वारा पार कर लिए जाने, महाराष्ट्र में कुछ कारखानों की बंदी आदि के कारण आई है न कि डॉक्टरों और दवाओं की कमी के कारण। लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम लगातार प्रयास करता रहा है। सेवाओं में सुधार के लिए इसने निम्नांकित कदम उठाए हैं–

(i) अतिविशिष्ट/विशिष्ट उपचार तथा बीमित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति हेतु निधियों की सहज और समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक के अधीनस्थ चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) में प्रति बीमित व्यक्ति परिवार इकाई 50/– रुपये रखा गया है।

(ii) अस्पतालों में उपकरण उपलब्धता तथा अन्य सेवाओं में सुधार के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार को 7 करोड़ रुपये से ज्यादा के उपकरणों की संस्वीकृति दी गई है।

(iii) लंबित प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान हेतु राज्य सरकार को निधियां दी गई हैं।

(iv) त्वरित राहत हेतु शिकायत निवारण तंत्र को चुस्त–दुरुस्त बनाया गया है।

(v) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह दवाओं की खरीद के लिए केन्द्रीय दर ठेका का प्रचालन करे ताकि अच्छे स्तर की आपूर्ति में विलंब न हो।

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

4319. श्री के. येरननायडू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु यूनिट लागत को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की पुनर्वास सहायता को बढ़ाने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हुए परामर्शों के आधार पर प्रत्येक मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए पुनर्वास सहायता मई, 2000 से 10,000/– रुपये से बढ़ाकर 20,000/– रुपये कर दी गई है।

[हिन्दी]

ठोस अपशिष्ट का निपटान

4320. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों के ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए एक परियोजना तैयार करने हेतु कनाडा की फर्म के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नए पेस्टों का प्रवेश

4321. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में नए पेस्टों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या अपर्याप्त परीक्षण और जांच सुविधाओं के अभाव के कारण इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किए गए प्रतिबंधों से पहले ही कई प्रवेश कर चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में किसी प्रकार के खतरनाक कीटों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पौधों/पौध सामग्रियों, फलों के समग्र आयात को विनाशकारी कृमी और कीट अधिनियम, 1914 के अंतर्गत जारी पादप फल एवं बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 1989 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय ने पौधों एवं पौध सामग्रियों के काफी अधिक मात्रा में आयात से संबंधित कार्य के लिए पूरे देश में 29 पौध संगरोध स्टेशन स्थापित किए हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एन बी पी जी आर) को भी जर्मप्लाज्म सामग्रियों के संगरोध निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग द्वारा प्रदूषण

4322. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वित करने के पश्चात् प्रदूषण पर किस सीमा तक रोक लगने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) वस्त्र उद्योग के लिए तरल बहिस्राव और गैसीय उत्सर्जन हेतु न्यूनतम राष्ट्रीय मानक विकसित किए गए हैं। ये मानक, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। देश में नदियों और झीलों के आसपास औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक केन्द्रीय कार्यक्रम वर्ष 1997 में आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उन उद्योगों के संबंध में मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है जो अपने बहिस्राव नदियों और झीलों के आसपास छोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई करने हेतु कुल 851 दोषी इकाइयों का अभिनिर्धारण किया गया था जिनमें 348 वस्त्र उद्योग शामिल थे। इन 348 उद्योगों में से 245 उद्योगों में अपेक्षित बहिस्राव शोधन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और शेष 103 उद्योग बंद हो गए हैं।

[अनुवाद]

वनाच्छादन

4323. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के वनाच्छादन में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्यवार उत्तरदायी कारक क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि देश में वनाच्छादन में तेजी से कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वनों को बचाने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछली स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1999 के अनुसार 1996 से 1998 की अवधि के दौरान देश के वन आवरण में 3896 वर्ग कि.मी. की बढ़ोतरी हुई है।

(ग) यू.एन.एफ.पी.ए. की रिपोर्ट में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 से 1997 की अवधि में अनुमान लगाए गए वन आवरण की तुलना 1951 और 1969 के दर्ज वन क्षेत्र के आंकड़ों से की गई है जो तुलनीय नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा वनों को बचाने और वनों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से तैयार की गई विभिन्न योजनाएं निम्नलिखित हैं–

(i) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) वनों के विकास और उनके परिरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(iii) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अवक्रमित वनों की सरक्षा और पुनरुद्धार में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(vi) वन भूमि के गैर–वानिकी उद्देश्य हेतु विचलन के विनयमन हेतु वन (सुरक्षा) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(v) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।

(vi) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन संसाधनों के संरक्षण और विकास में निवेश में बढ़ोतरी के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्थायित्व और लोक–केन्द्रित विकास के लिए वन एवं वृक्ष संसाधनों के योगदान को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया है।

गोल्डन राइस का विकास

4324. डा. वी. सरोजा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में चावल अनुसंधान निदेशालय में वैज्ञानिक विटामिन 'ए' से भरपूर गोल्डन राइस की भारतीय किस्म का विकास करने की परियोजना पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सहित अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान केन्द्रों में ऐसे राइस की और किस्मों का विकास किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की गोल्डन राइस विकास की परियोजना का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक यूनिट नामतः चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद ने विटामिन 'ए' से भरपूर गोल्डन चावल की इंडिका किस्मों का विकास करने के लिए जैव–प्रौद्योगिकी विभाग को एक अनुसंधान परियोजना प्रस्तुत की है। चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में संभावित परियोजना में आण्विक चिह्नकों का उपयोग करके स्वर्णा, तेल्लाहम्सा, विजेता और सरजू–52 जैसी इंडिका चावल की किस्मों में बीटा केरोटीन जैव–संश्लेषण का स्थानांतरण करने के लिए एक दाता के रूप में पराजीनी ताइपई–309 वंशक्रम का मौलिक रूप से प्रयोग किया जाएगा। तथापि, आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद में ऐसी किसी परियोजना पर कार्य नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैम्पस में भी पूसा बासमती–1, महसूरी और ए एस डी–16 जैसी इंडिका चावल की अन्य किस्मों

में बीटा कैरोटीन जीनों के स्थानांतरण के बारे में कार्य किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रुशीकुल्या बैराज का निर्माण

4325. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा सरकार को इसके बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई हेतु रुशीकुल्या बैराज का निर्माण करने के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) रुशिकुल्या बैराज के निर्माण के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के वास्ते उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात में कपास फसल के लिए प्रीमियम

4326. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में खरीफ 2001 मौसम की तुलना में खरीफ 2002 मौसम में कपास फसल के लिए प्रीमियम को दुगुना कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रीमियम से ऐसी तेजी से वृद्धि को रोकने की आवश्यकता है जिससे कपास उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के बोझ को कम करने के लिए किसी उपचारात्मक उपाय पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। खरीफ 2001 में कपास फसल के लिए प्रीमियम 5.05% था जिसे खरीफ 2002 मौसम में बढ़ाकर 9.80% कर दिया गया है।

(ख) जी, हां। तथापि प्रीमियम दरों में उस तेज वृद्धि या कमी का कारण बीमित फसल के पिछले उत्पादन आंकड़ों के परिवर्तनशील होना है जिसके आधार पर बीमांकिक दरों की गणना की जाती है।

(ग) और (घ) चूंकि बीमांकिक दरें भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित पद्धति द्वारा परिकलित की जाती हैं इसीलिए उत्पाद की परिवर्तनशीलता में कमी आने के साथ यथा समय में नीचे आ सकती हैं। तथापि लघु एवं सीमांत किसानों को घटने (सनसैट) के आधार पर 50% की सीमा तक प्रीमियम सब्सिडी दी जाती है।

[हिन्दी]

असंगठित श्रमिकों के संबंध में सर्वेक्षण

4327. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु कभी कोई श्रेणी–वार सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असंगठित और अकुशल श्रमिकों की संख्या कितनी है और वे किन उद्योगों में कार्यरत हैं; और

(घ) सरकार द्वारा असंगठित और अकुशल श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या आर्थिक, कानूनी और अन्य उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) असंगठित क्षेत्र के कामगारों का उद्योग–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण

के लिए अनेक कदम उठाए हैं। असंगठित क्षेत्र में कामगारों पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 तथा अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 जैसे अनेक विद्यमान श्रम कानून लागू होते हैं। ये अधिनियम, मजदूरी, कार्य घंटों, सामाजिक सुरक्षा आदि की दृष्टि से कामगारों के हितों की रक्षा पर ध्यान देते हैं। कृषि कामगारों के लिए सरकार ने 'कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना–2001' नामक एक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की है जिसे तीन वर्षों के इसके प्रथम चरण के दौरान दस लाख कृषि कामगारों को कवर करने के लिए देश के 50 चिह्नित जिलों में भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित कर्मकारों के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्व–रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्राम स्व–रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय झुग्गी बस्ती विकास कार्यक्रम आदि जैसी अनेक योजनागत स्कीमें भी कार्यान्वित कर रही है।

विवरण

उद्योग–वार असंगठित क्षेत्र में रोजगार (करोड़ों में)

उद्योग	असंगठित क्षेत्र में रोजगार
1	2
कृषि	23.6
खनन तथा उत्खनन	0.13
विनिर्माण	4.14
बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति	0.03
निर्माण	1.65
व्यापार	3.68
परिवहन, भंडारण तथा संचार	1.15
वित्तीय सेवाएं	0.34
सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	2.17
कुल रोजगार	36.90

[अनुवाद]

मलजल शोधन संयंत्र

4328. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और गोमती नदियों के किनारे स्थित 58 नगरों में से केवल 17 नगरों में मलजल शोधन संयंत्रों की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो शेष नगरों में मलजल शोधन संयंत्रों की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके लिए कितनी केन्द्रीय राशि प्रदान की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) गंगा, यमुना और गोमती नदी के किनारे स्थिति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 23 शहरों में नदी प्रदूषण उपशमन कार्य शुरू किए गए हैं और कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रदूषण सर्वेक्षणों और जांचों के आधार पर शहरों का चुनाव किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर के अलावा, जहां से किसी भी प्रकार के सीवेज के गंगा में पहुंचने की सूचना नहीं है, 22 शहरों में सीवेज शोधन

संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। राज्य सरकार से शेष 35 शहरों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

इलाहाबाद	अनूपशहर	बिजनौर	चुनार	फर्रुखाबाद
गढ़मुक्तेश्वर	गाजीपुर	कानपुर	मिर्जापुर	मुगलसराय
सैदपुर	वाराणसी	जौनपुर	लखनऊ	सुल्तानपुर
आगरा	इटावा	गाजियाबाद	मथुरा	मुजफ्फरनगर
नोएडा	सहारनपुर	वृंदावन		

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित शहरों में सीवेज शोधन संयंत्रों सहित समग्र प्रदूषण उपशमन कार्यों की अनुमोदित लागत 537.04 करोड़ रुपए है। इसमें से 421.12 करोड़ रुपए की राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसमें केन्द्रीय सहायता की 323 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

इंडियन एयरलाइंस में छोटे विमानों को शामिल करना

4329. डा. बी. बी. रमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का अपने बेड़े में छोटे विमान शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने विमान शामिल किए जाने हैं; और

(ग) प्रस्तावित योजना पर निवेश हेतु इक्विटी जुटाने की क्या विधि है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकार ने जून, 1999 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा छः 50 सीट वाले एटीआर–42–500 विमान खरीदने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया था। तथापि, इस प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं पाया गया। इसलिए सरकार ने इन विमानों को पट्टे के आधार पर लेने संबंधी संभाव्यता का पता लगाने की इंडियन एयरलाइंस को सलाह दी। इस समय, इंडियन एयरलाइंस एटीआर–42–320 विमान के ड्राईलीज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

स्वर्ण चतुर्भुज योजना

4330. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पूर्व–पश्चिम गलियारे (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7) पर सड़कों के निर्माण के बारे में कोई प्राथमिकता निर्धारण अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गलियारे पर कार्य निर्धारित समयावधि के अनुसार हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पूर्व–पश्चिम गलियारे में पड़ने वाले क्षेत्रों पर सड़कों को पूरा करने हेतु कौन सी संशोधित तिथियां निर्धारित की गई हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों के लिए प्राथमिकता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। इस अध्ययन में यातायात और राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए उपलब्ध मार्गाधिकार के आधार पर शुरू किए जाने के लिए खंडों को प्राथमिकता दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों को मूलतः दिसम्बर, 2009 तक पूरा किया जाना था। अब हमने इन महामार्गों को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

[हिन्दी]

चिकित्सकीय तथा सुगंधित पौधों की सुरक्षा

4331. श्री मंजय लाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सकीय और सुगंधित पौधों के विकास और सुरक्षा के लिए कोई केन्द्रीय योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ गरीब किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस योजना का लाभ उठाने हेतु किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जिला स्तर पर यह सुविधा प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय का कृषि एवं सहकारिता विभाग कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के सम्पूरण/अनुपूरण की कृषि में वृहद् प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत औषधिक और सुगंधित पौधों के विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है।

(ग) और (घ) उक्त योजना में गरीब किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) और (च) कृषि में वृहद् प्रबंधन की इस स्कीम से राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करने की छूट मिल जाती है।

[अनुवाद]

पर्यटक स्थलों के विकास हेतु सहायता

4332. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई पर्यटन स्थलों के लिए अवसंरचनात्मक ढांचा तैयार करने और उनका विकास करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य-वार किन राज्यों को चुना गया है; और

(ग) इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस सीमा तक मदद मिलेगी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता हेतु, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास तथा उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास नामक नई स्कीमों का प्रस्ताव किया है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से वर्ष 2002-2003 हेतु परियोजना प्रस्तावों को भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ग) इन स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता से राज्यों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार होगा और उसके द्वारा पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

साहित्य अकादमी की गतिविधियां

4333. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने साहित्य अकादमी, बंगलौर के परिसर पर छापा मारा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अकादमी में नियुक्तियों, स्थानांतरणों, पुस्तकों के प्रकाशनों, अभिलेखों के अनुरक्षण और भंडार स्थिति में कई अनियमितताओं की सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो क्या भंडार स्थिति में कमी बिचौलिए के माध्यम से राजा राम मोहन राय योजना के लिए पुस्तकों की बिक्री से हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो कमी का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मामले का समाधान करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 16 नवम्बर, 2001 को साहित्य अकादमी के बेंगलूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में

छापा मारा। सीबीआई द्वारा माननीय XXI अतिरिक्त सिटी सिविल तथा सत्र (विशेष न्यायाधीश को प्रस्तुत एफआईआर की प्रतिलिपि से पता चलता है कि सीबीआई द्वारा छापा, किसी विश्वस्त स्रोत से प्राप्त इस आशय की विश्वसनीय जानकारी के आधार पर मारा गया था कि सरकारी सेवक के रूप में अपने–अपने पद पर कार्य करते हुए साहित्य अकादमी, बेंगलूर के क्षेत्रीय सचिव तथा सहायक सम्पादक ने 1998–99 के दौरान किसी निजी पार्टी से मिलकर आपस में आपराधिक षड्यन्त्र रचा। एफआईआर में लिखा गया है कि साहित्य अकादमी के क्षेत्रीय कार्यालय में 1998 में कागजों की खरीद में अनियमितताएं की गई थीं। चूंकि, छापे की कार्रवाई से संबंधित सभी संगत रिकार्ड अभी सीबीआई के पास हैं, अतः अकादमी ने इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं की है।

आई.टी.डी.सी. होटलों के प्रशुल्क में कमी

4334. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आई.टी.डी.सी. के पंच सितारा होटलों से कहा है कि पर्यटकों को और अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए वे प्रशुल्क में कमी करें;

(ख) यदि हां, तो आई.टी.डी.सी. के प्रत्येक होटल ने किस सीमा तक अपना प्रशुल्क कम किया और किस तारीख से; और

(ग) आई.टी.डी.सी. के होटलों द्वारा पर्यटकों को अन्य क्या रियायतें दी जा रही हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल आकर्षक पैकेजों तथा टूअर प्रचालकों को विशेष दरें महैया कराके पर्यटकों को रियायतें प्रदान करते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के लिए छात्रावास

4335. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित पैंसे छात्रावास और विभिन्न आई.ए.आर.आई. छात्रावासों ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों को अल्पावधि के लिए आवास सुविधा प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1998 से आज तक उपर्युक्त छात्रावासों में ठहरने वाले अधिकारियों के पदनाम क्या हैं और ठहरने की अवधि कितनी रही और कमरे का कितना किराया लिया गया और कितना बोर्डिंग शुल्क लिया गया तथा अधिकारी–वार कितना मकान किराया भत्ता भुगतान किया गया अथवा नहीं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के पैंसे छात्रावास में ठहरने वाले परिषद मुख्यालय के अधिकारियों का ब्यौरा

(जनवरी, 1998 से अब तक)

क्र.सं.	अधिकारी	ठहरने की अवधि		कमरे का किराया	खानपान खर्चों की वसूली	क्या ठहरने की अवधि के लिए मकान किराया भत्ते का भुगतान किया गया
		से	तक			
1	2	3	4	5	6	7
1.	उप–महानिदेशक (अभियांत्रिकी)	2.2.98	4.2.98	80/–	–	नहीं

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.98	13.2.98	280/–	–	
		13.2.98	20.2.98	280/–	–	
		26.2.98	6.3.98	320/–	–	
		16.3.98	26.3.98	400/–	–	
		27.3.98	7.4.98	440/–	–	
		13.4.98	22.4.98	360/–	–	
		22.5.98	22.5.98	20/–	–	
2.	सहायक महानिदेशक (डी एंड ए पी टी)	29.11.99	30.11.99	20/–	–	नहीं
		2.12.99	12.12.99	200/–	–	
		16.12.99	27.12.99	220/–	–	
		27.12.99	31.12.99	80/–	–	
		4.1.2000	14.1.2000	200/–	–	
		17.1.2000	18.1.2000	20/–	–	
		21.1.2000	3.2.2000	280/–	–	
		6.2.2000	11.2.2000	100/–	–	
		14.2.2000	15.2.2000	20/–	–	
		16.2.2000	17.2.2000	40/–	–	
		20.2.2000	2.3.2000	220/–	–	
		6.3.2000	16.3.2000	200/–	–	
3.	निदेशक (वित्त)	18.9.2000	29.9.2000	240/–	–	नहीं
		20.10.2000	21.10.2000	30/–	–	
		29.10.2000	11.11.2000	390/–	–	
		11.11.2000	22.11.2000	330/–	–	
		22.11.2000	24.11.2000	60/–	–	

1	2	3	4	5	6	7
		28.11.2000	8.12.2000	300/–	–	
		8.12.2000	14.12.2000	180/–	–	
		14.12.2000	17.12.2000	90/–	–	
4.	सहायक महानिदेशक (सस्य विज्ञान)	21.11.2001	22.11.2001	120/–	–	हां
5.	सहायक महानिदेशक (मानव संसाधन विकास)	17.3.2002	23.3.2002	360/–	–	नहीं
		23.5.2002	31.5.2002	240/–	–	हां

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के छात्रावासों में ठहरने वाले परिषद मुख्यालय के अधिकारियों का ब्यौरा

(जनवरी, 1998 से अब तक)

– – – – – शून्य – – – – –

महानदी पर पुल निर्माण का कार्य पूरा करना

4336. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानदी पर पुल निर्माण के कार्य को पूरा करने में अनावश्यक विलंब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गईं; और

(घ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) से (घ) संभवतः बौद्ध–कियाकता–रायरखोल राज्यीय सड़क पर बौद्ध के समीप महानदी पर पुल के संबंध में सूचना मांगी गई है। इसके लिए मूल लागत प्राक्कलन की 50% की हिस्सेदारी के साथ आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत 1993 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया गया था। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कार्य की धीमी प्रगति के कारण मूल एजेंसी के ठेके को रद्द करना, दूसरी एजेंसी को कार्य पुनः सौंपना तथा राज्य सरकार को पेश आ रही धनराशि की समस्या, कार्य के पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण हैं। इस परियोजना को पूरा करने की संशोधित अनुमानित लागत 34.64 करोड़ रु. है और संशोधित लक्ष्य के अनुसार इस कार्य को दिसम्बर, 2002 तक पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

पारिस्थितिकी विकास परियोजनाएं

4337. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी विकास परियोजनाओं का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में ऐसी परियोजनाएं शुरू करने के लिए

परियोजनावार कितनी घरेलू और विदेशी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी परियोजना के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के 5 कि.मी. के भीतर वाले क्षेत्र की पारिविकास हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में पहचान ही गई है। केन्द्र सरकार भी इन क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों 'राष्ट्रीय उद्यानों और अ गरण्यों का विकास' तथा 'बाघ परियोजना' के तहत सहा ता प्रदान करती है। चूंकि विश्व बैंक द्वारा धनराशि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को जारी की जाती है, अतः घटकवार विवरण का संकलन और मिलान मंत्रालय में नहीं किया जाता। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई सहायता निम्नालेखित है।

(लाख रु. में)

	वर्ष		
	1999–2000	2000–2001	2001–2002
उत्तर प्रदेश	66.51	113.74	118.99

[अनुवाद]

सरदार सरोवर बांध

4338. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऊंचाई किस आधार पर बढ़ाई जा रही है और इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य योजना में जून, 2005 तक 138.68 ईएल तक बांध की ऊंचाई के निर्माण की योजना है।

(ख) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एंड आर) और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए बांध की ऊंचाई को 90 मी. ईएल से आगे बढ़ाने के संबंध में समय-समय पर अनुमति देनी है। इस प्रयोजन के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी उप-दल एवं पर्यावरण संबंधी उप-दल द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाती है। बांध के पूरा होने के पश्चात् पक्षकार राज्यों को पेयजल आपूर्ति, सिंचाई एवं विद्युत का लाभ प्राप्त होगा।

दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में की गई सिफारिशों को लागू करना

4339. श्री रामपाल सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा अपने 'दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र' में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कौन सी सिफारिशें अभी तक लागू की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में प्रकल्पित सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ फसल गहनता को बढ़ाने, सिंचाई क्षमता और जल प्रबंधन में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी संरचनाओं के विकास, कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास तथा प्रचार-प्रसार, पनधारा विकास कार्यक्रम, तिलहनों, दलहनों और बागवानी फसलों के पक्ष में कृषि के विविधीकरण, पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र की अधिकाधिक क्षमता के दोहन जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया है।

कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्लान स्कीमों को तैयार करते समय दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में दी गई सिफारिशों पर विचार किया गया है।

कृषि संबंधी जनगणना

4340. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कराई गई पिछली कृषि संबंधी जनगणना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भविष्य में अन्य जनगणना कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो जनगणना कब तक कराए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों के पास व्यापक भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में अंतिम पंचवर्षीय कृषि संगणना कृषि वर्ष 1995–96 (जुलाई–जून) को संदर्भ वर्ष मानते हुए कराई गयी थी। कृषि संगणना के तहत राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग करके आकार–वर्ग श्रेणी (सीमांत, लघु, अर्ध–मध्यम, मध्य एवं बड़े), प्रकार (एकल, संयुक्त और संस्थागत), सामाजिक वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य), लिंग, काश्तकारी की स्थिति पट्टे की शर्तें, फसल प्रतिमान, सिंचाई की स्थिति आदि के अनुसार प्रचालन जोतों की संख्या और उनके क्षेत्रफल के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृषि–संगणना 1995–96 के आंकड़ों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जैसे ही शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आंकड़ों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, अखिल भारतीय परिणाम जारी कर दिए जाएंगे।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वर्ष 2000–01 को संदर्भ वर्ष मानकर 7वीं कृषि संगणना कराने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

(ङ) और (च) भूमि और इसके प्रबंधन का कार्य अनन्य रूप से राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। देश के अधिकांश राज्यों में भू–दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है जहां भू–कर मानचित्र (कैडस्ट्रल) सर्वेक्षण नहीं कराया गया है और न ही यहां भू दस्तावेज मौजूद हैं।

खरीद नीति

4341. श्री गुनपाटी रामैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनः गेहूं का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सी.ए.सी.पी. के खरीद मूल्यों को गत वर्ष के स्तर पर रखने के सुझाव के बावजूद भी गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) वर्ष 2002–03 में विपणित की जाने वाली 2001–02 की फसल के लिए सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी ए सी पी) द्वारा सिफारिश किए गए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 610/– रु. प्रति क्विंटल की तुलना में 620/– रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। आंशिक बढ़ोत्तरी उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसानों को गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए की गई है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4342. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सीमित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर राज्यों से विचार–विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) योजना आयोग के कार्यदलों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के सुझावों और जून, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य सचिवों के सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए घटकों को शामिल करने तथा निर्माणाधीन कुछ

मदों को हटाने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को नया रूप प्रदान किया गया है। दसवीं योजना के दौरान हटाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों के घटकों में भूमि समतलन और उसे आकार देना, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई, सतही और भूमि जल का संयुक्त उपयोग, फसल मुआवजा और उपयुक्त फसल पद्धतियां लागू करना शामिल है क्योंकि ये मुख्यतः सब्सिडी आधारित हैं तथा कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के पास उनकी मौजूदा स्कीमों में ऐसे क्रियाकलापों के लिए प्रावधान है। तथापि, किसानों को और लाभान्वित करने के लिए इस कार्यक्रम में सिंचाई प्रणालियों की कमियों में सुधार करने, लघु सिंचाई टैंकों के नवीकरण करने और जलनिकास को सुविधाजनक बनाने के लिए मध्यम/संपर्क नालियों को बनाने के उद्देश्य से कुछ नए घटकों को जोड़ा गया है। इस सम्मेलन में अधिकांश राज्य दसवीं योजना के दौरान कार्यक्रम में संशोधन करने पर सहमत हो गए हैं। दसवीं योजना का प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

जोधपुर-अहमदाबाद-चेन्नई-बंगलौर के बीच उड़ान

4343. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर शहर से अहमदाबाद, चेन्नई और बंगलौर के लिए एक सीधी उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभवना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जोधपुर से और विमान सेवाएं शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस की, अपने वर्तमान नेटवर्क पर सेवाओं के प्रचालन में अपनी विमान क्षमता के सीमित होने की वजह से जोधपुर से किसी नई उड़ान आरंभ करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-4

4344. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग–4 के टुमकुर–हवेरी खंड के चार लेनों में उन्नयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या 240 मिलियन डालर की एशियई विकास बैंक की सुनिश्चित ऋण सहायता जारी की जा रही है;

(ग) इस परियोजना हेतु 145 मिलियन डालर के भारत सरकार के हिस्से में से चालू वर्ष के लिए कितना धन आवंटित किया गया है; और

(घ) परियोजना के कब तक चालू होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) ठेके सौंप दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है।

(ख) जी, हां। 240 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण फरवरी, 2002 में प्रभावी हो गया है। इस परियोजना पर हुए व्यय के आधार पर इस धनराशि की प्रतिपूर्ति एशियाई विकास बैंक द्वारा की जाती है।

(ग) इस परियोजना के लिए भारत सरकार की भागीदारी 138 मिलियन अमरीकी डॉलर है न कि 145 मिलियन अमरीकी डॉलर। सरकार की भागीदारी के लिए, 79.92 करोड़ रुपए की राशि चालू वर्ष के लिए आवंटित की गई है।

(घ) इस परियोजना को काफी हद तक दिसम्बर, 2003 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

बाण सागर बांध

4345. श्री रामानन्द सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान बाण सागर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की गई बैठकों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त बांध पर कार्य पूरा होने में विलंब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 (आज तक) बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख) बाणसागर बांध का निर्माण 1987 तक पूरा होना था। वर्ष 1987 के मूल्य स्तर पर 448.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में इस परियोजना की अनुमानित लागत 1054.96 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्तमान योजना के अनुसार, क्रेस्ट द्वारों सहित अपनी पूर्ण ऊंचाई तक इस बांध को वर्ष 2004 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता की स्थिति

4346. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी की गिरती हुई स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं; और

(ग) इस ऐतिहासिक संस्थान के प्रशासन को दुरुस्त करने तथा इसके पुराने गौरव को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, संस्कृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। सरकार का यह विचार है कि नेशनल लाइब्रेरी के कार्यकरण में सुधार करने की गुंजाइश है। नेशनल लाइब्रेरी का नवीकरण करने और सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नेशनल लाइब्रेरी के विकास के लिए नीति संबंधी परामर्श तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पर्यटन और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। पुस्तकालय की वार्षिक योजना तैयार करने तथा उसे मानीटर करने के लिए एक प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है। इसके कार्यकरण में सुधार करने के उपाय पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। स्थान की कमी को दूर करने के लिए 77 करोड़ रुपये की लागत का एक नया भवन निर्माणाधीन है तथा जनवरी 2003 तक इसका उपयोग शुरू होने की आशा है। नेशनल लाइब्रेरी के लिए एक उपयुक्त निदेशक को नियुक्त करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

परिक्रामी निधि परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

4347. श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परिक्रामी निधि परियोजना के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इससे राज्यवार कितना लाभ हुआ;

(ग) क्या प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई परिवर्तन हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) यह परियोजना वर्ष 1988 में शुरू की गई थी। नीचे दी गई सारणी में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ को दर्शाया गया है।

वर्ष	अर्जित लाभ
1999–2000	रु. 3,34,574
2000–2001	रु. 3,43,448
2001–2002	रु. 4,04,078

(ग) जी, नहीं। प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

(घ) लागू नहीं होता।

सीएडीपी के अंतर्गत राज्यों को धन

4348. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002–2003 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए राज्य–वार कुल कितना धन निर्गत किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : यह मंत्रालय निर्धारित मानकों, वित्तीय पद्धति, के अनुसार राज्यों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने एवं आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद राज्यों को केन्द्रीय सहायता जारी करना है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता जारी करने के वास्ते उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा परीक्षित आंकड़े प्रस्तुत करना पूर्व–अर्हताएं हैं। यह आवश्यकताएं प्रक्रियाधीन हैं तथा उनकी अनुपालना पर संबंधित राज्यों को निधियां जारी की जाएंगी। वर्ष 2002–2003 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए आवंटित निधियां 198 करोड़ रुपए हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना

4349. डा. रमेश चंद तोमर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी के दुग्ध उत्पादों की तुलना में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री अत्यन्त कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तुलनात्मक आंकड़े और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि दक्षिण दिल्ली प्रबंधक विशेषकर बूथ संख्या 871–872 के दिल्ली दुग्ध योजना बूथों के आवासीय उद्देश्यों के लिए इन बूथों का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बूथ स्वामित्व का वार्षिक हस्तांतरण करने और क्षेत्रीय प्रबंधक का नाम, पता और दूरभाष संख्या दर्शाने वाली शिकायत पुस्तिका रखने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और डी. एम.एस. दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। 1.3.2000 से दूध का विक्रय मूल्य 7 रुपए से बढ़कर 14 रुपए हो जाने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना तथा उसके उत्पादों की बिक्री में काफी गिरावट हुई है। विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी द्वारा विपणन किए गए दुग्ध उत्पादों की बिक्री को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एम ब्लॉक, कैलाश कालोनी, दक्षिण दिल्ली में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना बूथ संख्या 871–872 का उपयोग रियायतकर्त्ता द्वारा केवल दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए किया जा रहा है। जब कभी दिल्ली दुग्ध योजना डिपो के किसी रियायतकर्त्ता के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हाती है तो उसकी जांच की जाती है तथा यदि यह शिकायत सही पाई जाती है तो एजेंसी को चेतावनी, उसका स्थानान्तरण उसे समाप्त करने जैसी कार्रवाई की जाती है।

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में बेहतर उपभोक्ता सेवा, बूथों का पूर्ण दिवसीय दुग्ध स्टाल में बदलने जैसी अधिक विपणन गतिविधियां, बूथ की अंतःसंरचना का उन्नयन शामिल है। दिल्ली दुग्ध योजना दूध की बिक्री में वृद्धि करने के लिए दूध का विपणन, दुलाई जैसे संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण भी अपना रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कतिपय बिक्री संवर्धन योजनाएं अर्थात् नए उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट योजनाओं होम डिलीवरी एजेंटों तथा डीलरों को शुरू करने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विपणित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री का दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	उत्पादों की मद	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	दूध (लाख लीटर प्रतिदिन)	3.82	2.15	2.06
2.	दुग्ध उत्पादन			
	(1) घी (मी. ट. में)	857.43	760.83	666.94
	(2) टेबल बटर (मी. ट. में)	52.10	70.84	86.96
	(3) योगहर्ट (100 मि.ली. के कुल्लड़ों, कपों में)	7,13,183	10,30,419	9,61,835
	(4) सुस्वादु दुध (संख्या में) (200 मि.ली. पाउच)	81,162	4,99,963	8,79,432
	(5) दही (200 ग्राम कुल्लड़)	–	49,736*	1,69,261
	(6) पनीर (किलोग्राम में)	–	–	16,530**

टिप्पणी : *दही का उत्पादन/200 ग्राम के कुल्लड़ों में बिक्री 20.10.2000 से शुरू की गई थी।

**पनीर का उत्पादन/200 ग्राम के पैक में बिक्री 1.11.2001 से शुरू की गई थी।

विगत तीन वर्षों के दौरान मदर डेयरी के दूध तथा उसके उत्पादों के बिक्री आंकड़ों का ब्यौरा

	1999–00	2000–01	2001–02
000 लीटर/दिन में दूध की बिक्री	1214	1309	1336
लीटर/प्रतिदिन में आइसक्रीम की बिक्री	16462	18923	20188

इंडियन एयरलाइंस की बाजार में भागीदारी

4350. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के बड़े जहाजी बेड़े की तुलना में जेट एयरवेज कम जहाजों से ही अधिक यात्रियों को ले जाती है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज के जहाजी बेड़े का ब्यौरा क्या है;

(ग) जेट एयरवेज की तुलना में इंडियन एयरलाइंस में यात्रियों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइंस में 60 प्रतिशत से भी अधिक यात्री सरकारी विभागों के होते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जेट एयरवेज और इंडियन एयरलाइंस अपने–अपने विमानों के प्रकार, प्रत्येक विमान में सीट क्षमता, एक्जिक्यूटिव/इकॉनामी क्लास कंफीगुरेशन, नेटवर्क प्रचालन उड़ान कर्मी तथा ड्यूटी समय–सीमाओं आदि की दृष्टि से भिन्न हैं। इसलिए, दोनों एयरलाइनों की तुलना नहीं की जा सकती। घरेलू मार्गों के अलावा, इंडियन एयरलाइंस भी अपने वर्तमान विमान–बेड़े से अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर सेवाएं प्रचालित करती है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस तथा जेट एयरवेज का वर्तमान विमान–बेड़ा निम्नानुसार है–

विमान प्रकार	इंडियन एयरलाइंस के पास उपलब्ध विमानों की संख्या	जेट एयरवेज के पास उपलब्ध विमानों की संख्या
1	2	3
बी 737	11	30

1	2	3
ए 320	36	–
ए 300	07	–
डीओ 228	03	–
एटीआर 72	–	08
कुल	57	38

(ग) समग्र रूप से यातायात में गिरावट की वजह विमानन सेक्टर में मांग में गिरावट तथा ऋणात्मक वृद्धि है। इससे इंडियन एयरलाइंस अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हुई चूंकि इसकी वजह इसका बड़ा नेटवर्क, क्षमता में कमी तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हवाई संपर्क मुहैया करने के प्रति सामाजिक दायित्व होना है।

(घ) और (ङ) टिकट लेने के लिए यात्री के पास पैसा कहां से आया, उस स्रोत का ब्यौरा इंडियन एयरलाइंस नहीं रखती।

धनराशि का उपयोग

4351. श्री रामजी माझी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम संबंधी स्थाई समिति ने वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट सं. 1[illegible] में मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मानीटरिंग करने को कहा है कि किसी वित्त वर्ष के दौरान आवंटित धनराशि का उसी वर्ष में पूरी तरह उपयोग कर लिया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय लगभग 76.4 मिलियन कृषि–श्रमिकों के लिए कोई केन्द्रीय विधान नहीं बना पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या घरेलू नौकरों को सामाजिक सुरक्षा देने और उनकी कार्य–स्थितियों को विनियमित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय नीति बनाने की थी; और

(च) यदि हां, तो इस नीति को न बनाए जाने के क्या कारण हैं और इसे कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) व्यय की गति तथा प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में एक त्रि–स्तरीय अनुवीक्षण तंत्र पहले से ही प्रचलन में है। इस तंत्र के अंतर्गत, सचिव, प्रभाग प्रमुखों तथा वित्त सलाहकार के साथ समय–समय पर बैठकें करके व्यय की गति की समीक्षा करते हैं तथा मुख्य बाधाओं का पता लगाते हैं एवं उनका निराकरण करने के लिए कार्रवाई करते हैं। तत्पश्चात्, सचिव के स्तर पर लिए गए निर्णयों के वास्तविक कार्यान्वयन की जांच करने के लिए अपर सचिव द्वारा बैठकें ली जाती हैं। प्रभाग प्रमुख तथा वित्त सलाहकार व्यक्तिगत मामलों की अलग से भी समीक्षा करते हैं। योजनागत व्यय की गति एवं प्रगति की विभिन्न स्तरों पर गहन एवं नियमित अंतरालों पर समीक्षा किए जाने की इस पद्धति के अच्छे परिणाम निकले हैं और यह जारी है।

(ग) और (घ) कृषि कामगारों के कल्याण हेतु एक व्यापक विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है। तथापि, राज्यों के बीच मतैक्य के अभाव में, इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

(ङ) और (च) गृह–आधारित कामगारों संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है तथा अन्तरमंत्रालीय परामर्श प्रगति पर है। गृह–आधारित कामगार विभिन्न व्यावसायिक समूहों से संबंधित होते हैं। कोई भी एकल विधान तथा प्रशासनिक उपाय उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, ये समूह भिन्न–भिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के दायरे में आते हैं। एक व्यवहार्य तथा कार्यात्मक नीति बनाने के उद्देश्य से, विभिन्न एजेंसियों तथा विभागों के साथ काफी परामर्श किया जाना आवश्यक है। अंतर्ग्रस्त विभिन्न एजेंसियों के बीच विचारों की विविधता के कारण यह बता पाना कठिन है कि राष्ट्रीय नीति को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

ड्रिप सिंचाई

4352. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ड्रिप सिंचाई को लोकप्रिय बनाने हेतु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ड्रिप सिंचाई के संबंध में राज सहायता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ड्रिप सिंचाई को कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के सम्पूरण/अनुपूरण की केन्द्रीय प्रायोजित वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को राज्यों के बागवानी/कृषि विभागों के विस्तार कर्मचारियों को शामिल करके क्रियान्वित किया जाता है।

(ख) और (ग) ड्रिप सिंचाई पर सब्सिडी में वृद्धि करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दुर्लभ पांडुलिपियों की खरीद

4353. श्री एस. मुरुगेसन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का 28 दुर्लभ पांडुलिपियों को खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) संस्कृति विभाग द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित कई संगठन जैसे खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना, रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर, नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता; एशियाटिक सोसायटी कोलकाता; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद तथा भारतीय संग्रहालय, कोलकाता खरीद/उपहारों के माध्यम से पांडुलिपियां प्राप्त करते हैं। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 28 पांडुलिपियों के बारे में विशिष्ट ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण संस्कृति विभाग आगे कोई ब्यौरे उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है।

यमुना को नहर में बदलना

4354. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मान सिंह पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना की चौड़ाई/फैलाव को कम करके इसे नहर में बदलने की एक योजना किसी एजेंसी/विभाग द्वारा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय प्रभावों का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) दिल्ली में भूमि विकास के लिए नोडल एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार यमुना नदी की चौड़ाई/फैलाव को कम करके इसे नहर में बदलने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मत्स्य पालन प्रशिक्षण और विस्तार एककों के लिए धनराशि

4355. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000–2001 के दौरान मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन, प्रशिक्षण और विस्तार एककों के अंतर्गत लगभग 14.55 लाख रुपए की एक परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना में केन्द्र सरकार का हिस्सा 11.64 लाख रुपए का है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें से 0.50 लाख रुपए जो अब तक जारी नहीं किया गया है को मध्य प्रदेश सरकार को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार को बताया गया था कि केन्द्रीय हिस्से की 0.50 लाख रुपए की बकाया राशि योजना के तहत पहले जारी निधियों की उपयोगिता की प्रगति की प्राप्ति के बाद ही जारी की जाएगी। वह हाल ही में प्राप्त हुई है तथा दसवीं योजनावधि के दौरान इस योजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी होने के बाद मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

मेडिकल गैस पाइप लाइन की अनुपलब्धता

4356. श्री अम्बरीश : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईएसआई अस्पताल, इन्दिरानगरम बंगलौर हृदय–वक्षीय चिकित्सा इकाई मेडिकल गैस पाइप लाइन की अनुपलब्धता के कारण पूर्णतः बंद हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस इकाई को शुरू करने के लिए 25 लाख रु. की लागत से एक मेडिकल गैस पाइप लाइन स्थापित करने का एक अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, इन्दिरानगरम, बंगलौर में न तो कार्डियो–थोरासिक यूनिट की स्थापना की गई है और न ही उक्त इकाई को साजो समान से सज्जित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, कार्डियो–थोरासिक इकाई शुरू करने के लिए एक मेडिकल गैस पाइप लाइन संस्थापित करने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) ओर (ग) क.रा.बी. अस्पताल इन्दिरानगर, बंगलौर के लिए मेडिकल गैस पाइप लाइन संस्थापित करने हेतु 25 लाख रुपये की लागत का एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है न कि कार्डियो–थोरासिक यूनिट स्थापित करने के लिए। कर्नाटक सार्वजनिक कार्य विभाग निर्माण एजेंसी ने चिकित्सा अधीक्षक के परामर्श से एक आकलन तैयार किया था। एक मात्र कम्पनी से 45 लाख रुपये की एक मात्र पेशकश प्राप्त होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकी। निर्माण एजेंसी को प्रणाली के बेहतर कार्यचालन के लिए विशिष्टताओं की समीक्षा करने और संशोधित आकलन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है जो अभी प्राप्त होना है।

सड़क महानिदेशक का कार्यालय

4357. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क महानिदेशक का कार्यालय तकनीकी मामलों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को परामर्श देता है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्यालय वर्तमान में सड़क विकास में किस प्रकार उपयोगी है;

(ग) क्या सड़क महानिदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यालयों के स्थान और उद्देश्य क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) और (ख) जी, हां। जब भी सलाह मांगी जाती है, दी जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। महानिदेशक (सड़क विकास) [डी जी (आर डी)] कार्य में सहायता के लिए चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नै, गुवाहाटी, गांधी नगर, बंगलोर, तिरुवनन्तपुरम, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुम्बई, पटना, भोपाल और भुवनेश्वर स्थित यांत्रिक पक्ष के पांच कार्यालय और रायपुर, रांची और देहरादून स्थित इंजीनियर संपर्क कार्यालयों सहित 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों से संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्रीय कार्यालय/इंजीनियर संपर्क कार्यालय राज्य सरकारों के साथ संपर्क तथा समन्वय स्थापित करते हैं।

पशुओं की संख्या और गोजातीय पशु विकास केन्द्र

4358. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतंत्रता के समय और वर्तमान में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या पशुओं की संख्या में भारी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त कमी का मुख्य कारण बूचड़खानों की संख्या में भारी वृद्धि है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त असंतुलन से कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार गोजातीय पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) देश में गोजातीय पशु विकास केन्द्रों की संख्या कितनी है और प्रत्येक राज्य में उक्त केन्द्रों को कितनी वार्षिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) इस समय तथा आजादी के समय देश में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में पशुओं की संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	पशुधन की संख्या (मिलियन)	पशु प्रति हजार जनसंख्या
1951	361	293	811
1997*	955	480	502

*अनन्तिम

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

(झ) पशुपालन एवं डेयरी विभाग गोजातीय आनुवंशिक उन्नयन के माध्यम से उनके विकास के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए, इस समय देश में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 54468 है।

राष्ट्रीय गोपशु तथा मैंस प्रजनन परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत जारी किया गया राज्यवार अनुदान संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान 'राष्ट्रीय गोपशु और मैंस प्रजनन परियोजना' के तहत राज्यों को जारी किया गया अनुदान

(लाख रुपए में)

राज्य	2000–01	2001–02	कुल निर्मुक्ति
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	339.00	741.75	1080.75
अरुणाचल प्रदेश	140.00	0.00	140.00
छत्तीसगढ़	0.00	274.00	274.00
हरियाणा	523.00	323.00	846.00
केरल	0.00	209.75	209.75
मध्य प्रदेश	0.00	829.47	829.47
मणिपुर	67.75	0.00	67.75
मिजोरम	0.00	18.93	18.93
नागालैंड	0.00	97.30	97.30
उड़ीसा	0.00	40.00	40.00
पंजाब	501.00	0.00	501.00
राजस्थान	0.00	559.30	559.30

1	2	3	4
सिक्किम	0.00	168.93	168.93
उत्तरांचल	0.00	248.00	248.00
पश्चिम बंगाल	0.00	677.02	677.02
कुल	1570.75	4187.45	5758.20

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा संयुक्त उड़ान

4359. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने विभिन्न विमानपत्तनों से कुछ उड़ानें संयुक्त रूप से संचालित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की उड़ानों का ब्यौरा क्या है और उनके मार्ग क्या हैं;

(ग) क्या दोनों कंपनियों के लिए उड़ानें लाभकारी थीं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की संयुक्त उड़ान को बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) दिनांक 1 जनवरी, 1994 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इससे पहले भारत से खाड़ी देश तक प्रति सप्ताह 12 संयुक्त उद्यम उड़ानें प्रचालित कर रही थी जिनमें कालीकट से दुबई, आबूधाबी और मस्कट में से प्रत्येक के लिए चार उड़ानें थीं। उनके प्रचालनात्मक तौर-तरीके, संबंधित विमान-बेड़ा संसाधन तथा अन्य संबद्ध कारकों को देखते हुए इस संयुक्त उद्यम करार को समाप्त कर दिया गया है। संयुक्त उद्यम वाली बारह आवृत्तियों को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बीच बराबर-बराबर बांट दिया गया है। जबकि एयर इंडिया के पास आबूधाबी तक की चार आवृत्तियां हैं, मस्कट तक की चार आवृत्तियां इंडियन एयरलाइंस को दी गई हैं। दुबई की चार सेवाओं को दोनों एयरलाइंस के बीच समान रूप से बांटा गया है।

कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार

4360. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक और कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी अंतर है जिससे देश में कृषकों की दुर्दशा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों और लाभकारी कीमतों के बावजूद देश में कृषकों की स्थिति गत दशक के दौरान नहीं सुधरी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषकों की स्थिति सुधारने और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में अंतर को कम करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) 1993 में प्रो. ए. एस. केहलोन की अध्यक्षता में गठित कार्यबल द्वारा अनुशंसित प्रविधियों के आधार पर कृषि मंत्रालय ने कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच वार्षिक आधार पर इण्डेक्स नम्बर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड तैयार किया है जिससे कि किसानों द्वारा प्राप्त किए जाने वाली और अदा की जाने वाली कीमतों को तुलनात्मक ढंग से मापा जा सके। 1990-91 को समाप्त होने वाले त्रिवर्ष पर आधारित विगत दशक के दौरान 'इंडैक्स ऑफ टर्म्स ट्रेड' इस प्रकार रहा है--

वर्ष	आई टी टी	वर्ष	आई टी टी
1991-92	105.6	1996-97	103.1
1992-93	103.9	1997-98	105.6
1993-94	103.6	1998-99	105.2
1994-95	106.6	1999-2000	102.7
1995-96	105.3	2000-01(अ)	101.2

अ-अनन्तिम

आई टी टी-इंडेक्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड

(ग) और (घ) इंडेक्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड को किसानों द्वारा प्राप्त तथा अदा किए जाने वाले मूल्यों के सूचकांकों के अनुपात के रूप में मापा जाता है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विगत दशक के दौरान टर्म्स ऑफ ट्रेड 100 से अधिक रहा है। इसका मतलब यह होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड किसानों के पक्ष में रहा है।

(ङ) और (च) सरकार विपणन और मूल्य समर्थन देने के अलावा कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर लगातार जोर दे रही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कई कारकों पर ध्यान देता है जिसमें कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच की व्यापार शर्तें भी शामिल हैं जिससे कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकाधिक लाभ मिल सके।

[हिन्दी]

विषाणु द्वारा नष्ट की गई कपास की फसल

4361. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कपास उत्पादक राज्यों के किसान विषाणु द्वारा नष्ट की जा रही कपास की फसल के कारण संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे कपास उत्पादक राज्यों में किसानों को काटन लीफ कर्ल वाइरस का सामना करना पड रहा है, क्योंकि इसके कारण कपास की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब में यह घटना 0-15% के बीच है। मध्य और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में 'लीफ कर्ल' की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है और यहां साधारणतया ऐसी घटना नहीं होती है। राजस्थान में इस रोग के बहुत मामूली होने की खबर है।

(ख) काटन लीफ कर्ल वाइरस नामक रोग जेमिनी वाइरस के कारण होता है और यह व्हाइटफ्लाई (बेसामिया टेबासी) नामक एक कीट से फैलता है। राजस्थान में इसकी पहली घटना 1993-94 में हुई थी। तत्पश्चात् यह रोग पंजाब और हरियाणा में फैल गया।

(ग) सरकार कपास उत्पादक 13 राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रही है। यह स्कीम कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है जिसमें समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा नामक घटक को शामिल किया गया है जिससे कि कीटों और रोगों के कारण फसलों को कम से कम हानि हो। इस स्कीम के वित्त पोषण का प्रतिमान ज्यादातर भारत सरकार और राज्यों के बीच 75 : 25 की भागीदारी पर आधारित है। वर्ष 2000-03 के लिए भारत सरकार का हिस्सा 2000.00 लाख रुपये का है।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि इस बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित रणनीति का अनुसरण करें जिसमें शामिल हैं--

(i) देश के उत्तर पश्चिमी भाग की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ देशी कपास किस्म का एक 'बफर जोन' बनाना।

(ii) संलग्न क्षेत्रों में आर.एस. 875, अंजली (एल.आर. के. 516) एल.एच.एच. 144, एफ 1861, ओ शंकर, एच 117, एच.एच.एच. 223 जैसी हेरुसुटम किस्म/संकर किस्मों की खेती करना।

(iii) खट्टे फलों के बागानों में कपास की खेती न करना।

(iv) भेंडी, कांगी बूटी, पेली बूटी आदि जैसे वैकल्पिक मूलों/खरपतवारों को निकाल बाहर करना।

(v) सुव्यवस्थित कीटनाशियों, नीम उत्पादों, जैव कीटनाशियों से बीजों का उपचार करके वेक्टर व्हाइटफ्लाई का समेकित प्रबंधन।

(vi) इसके अलावा, काटन लीफ कर्ल वाइरस की स्वतः प्रतिरोधी किस्मों/संकर किस्मों को ही वाणिज्यिक पैमाने पर खेती करने की सिफारिश

भारत सरकार ने दी है। इन रणनीतियों का कारगर ढंग से अनुपालन किए जाने और लगातार निगरानी रखने के कारण ही इस रोग के फैलाव पर रोक लगी है।

[अनुवाद]

एनडीडीबी की लेखापरीक्षा

4362. श्री सईदुज्जमा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनडीडीबी के खातों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कोई कमियों का पता लगाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 28(1) के अनुसार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लेखों का लेखा परीक्षण कम्पनी अधिनियम के तहत लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए समुचित रूप से पात्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लेखों के लेखा परीक्षण से संबंधित मामला निर्णयाधीन है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लघु सिंचाई योजना

4363. श्री विष्णु पद राय : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंचवटी नाला, कोरांग नाला, खुदीरामपुर नाला और प्रेम बहादुर नाला में लघु सिंचाई योजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से संबंधित मंजूरी प्राप्त कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) **पंचवटी नाला** : मध्य अंडमान में लगभग 600 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 20 मीटर ऊंचे, 220 मीटर लंबे बांध के निर्माण का प्रस्ताव है।

कोरांग नाला : मध्य अंडमान में 500 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 15 मीटर ऊंचे डाइवर्जन व भंडारण संरचना के निर्माण का प्रस्ताव है।

खुदीरामपुर नाला : दिगलीपुर में 2300 हेक्टेयर के सकल कमान क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 9 मीटर ऊंचे भंडारण व डाइवर्जन बांध के निर्माण का प्रस्ताव है।

प्रेम बहादुर नाला : ग्रेट निकोबार द्वीप में लगभग 408 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 10 मीटर ऊंचे कंपोजिट डाइवर्जन व भंडारण संरचना के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ शर्तों के अधीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से कोरांग नाला और प्रेम बहादुर नाला स्कीमों के लिए पहले चरण की स्वीकृति दिसम्बर, 2001 में प्राप्त हो गई है। इन शर्तों को पूरा करने के पश्चात् अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति दोबारा ली जाएगी। केन्द्रीय जल आयोग ने कुछ टिप्पणियों की अनुपालना के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सलाह दी है।

शेष दो परियोजनाएं केवल प्रारंभिक अवस्था में हैं।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कोरांग नाला और प्रेम बहादुर नाला लघु सिंचाई स्कीमों को शुरू करने और पूरा करने का प्रस्ताव है।

अन्य दो परियोजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की अदालत में लंबित मामले

4364. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराज्यीय समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार की अदालत में दिल्ली फेडरेशन (एन.सी.सी.एफ.) से संबंधित कोई मामला लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय लेने में विलंब होने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) दिल्ली संघ (एन.सी.सी.एफ.) के नाम से कोई बहु–राज्य सहकारी समिति नहीं है। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि. (एन.सी.सी.एफ.) के नाम से एक बहु–राज्य सहकारी समिति है। एन.सी.सी.एफ. के 6 मामले लंबित हैं।

(ख) और (ग) विवादों का निपटान बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है। ऐसी कार्यवाहियों का स्वरूप अर्द्ध–न्यायिक होता है। लंबित मामले विवाचन के विभिन्न चरणों में हैं।

कुवैत एयरलाइंस द्वारा हैदराबाद-कुवैत उड़ान

4365. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय से कुवैत एयरलाइंस को हैदराबाद से कुवैत के लिए सीधी उड़ानों के प्रचालन की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हैदराबाद हवाई अड्डे से कुवैत एयरवेज द्वारा विमान सेवा प्रचालित करने के बारे में इस मंत्रालय को लिखा है। हैदराबाद इस समय कुवैत एयरवेज के लिए अवतरण–स्थल के बतौर उपलब्ध नहीं है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस हैदराबाद–अहमदाबाद–कुवैत सेक्टर पर अपनी विमान सेवाओं से सप्ताह में दो बार हैदराबाद से कुवैत के लिए सेवा प्रचालित करती है।

अंडमान और निकोबार में कमसरत नाला जलापूर्ति योजना

4366. श्री विष्णु पद राय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में कमसरत नाला जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई अवमृदा जांच रिपोर्ट को निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग के पास भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बांध पर कब तक काम शुरू होने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के लिए अधिगृहीत भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए कितनी राशि वितरित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुसार भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की पहली रिपोर्ट जनवरी, 2000 में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को प्रस्तुत कर दी गई है और विस्तृत अन्वेषणों के साथ भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की दूसरी रिपोर्ट सितम्बर, 2001 में प्रस्तुत की गई। इस स्कीम के निर्माण के लिए विस्तृत डिजाइन तैयार करने के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपेक्षित और विवरण संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुसार 21,98,688/– रुपये (इक्कीस लाख अट्ठानवें हजार छह सौ अठासी रुपये मात्र) की क्षतिपूर्ति रकम अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा

मंजूर कर दी गई एवं भुगतान की प्रक्रिया से जुड़े भूमि अधिग्रहण अंडमान के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए धनराशि जारी कर दी गई है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि वर्तमान सत्र के प्रारंभ होने पर मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में सभा की कार्यवाही का सुचारु और सुव्यवस्थित ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए आत्मसंयम और नियमों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने पर बल दिया था। मैंने यह भी आश्वासन दिया था कि यह मेरा सच्चा प्रयास होगा कि माननीय सदस्यों को सभा में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो।

मैं कुछ संतोष के साथ यह कह सकता हूं कि 15 जुलाई से 2 अगस्त, 2002 तक व्यवधान के कारण सभा का केवल सात घंटे 22 मिनट का समय व्यर्थ हुआ, जो कुल समय का केवल 6.10 प्रतिशत है जबकि पिछले सत्र में यह 30.04 प्रतिशत था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले सत्र की तुलना में इसमें काफी सुधार आया है। हमने इस नुकसान की भरपाई 9 दिनों तक सभा की कार्यवाही निर्धारित समय से देर तक चलाकर की।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : इसके लिए कौन जिम्मेदार है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पता लगाऊंगा कि कौन जिम्मेदार है।

इस अवधि के दौरान सभा ने 12 विधेयक तथा अनुदानों की अनुपूरक और अतिरिक्त मांगें (सामान्य) पारित की तथा चार महत्वपूर्ण मामलों पर अल्पकालिक चर्चा की।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। सत्र में केवल 15 बैठकों में ध्यानाकर्षण के माध्यम से चार विषय उठाए गए क्योंकि सदस्यों की यह मांग थी कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर विचार किया जाए।

सभा में तारांकित प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों की प्रतिशतता पिछले सत्र के 8.68 प्रतिशत की तुलना में इस सत्र में बढ़कर 11.50 प्रतिशत हो गई।

दुर्भाग्यवश देश में पेट्रोल पम्पों के आवंटन के मुद्दे पर 5 अगस्त, 2002 को सभा में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई।

(व्यवधान)

श्री एस. सी. जोस (त्रिचूर) : यह हमारी गलती नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उस मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं। तब से सभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल पाई।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने दलों के नेताओं तथा संसदीय कार्य मंत्री के साथ बैठकें कर गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सम्बद्ध दलों के नेताओं से अनुरोध भी किया कि वे एक साथ बैठकर इस समस्या का कोई ऐसा समाधान ढूंढें जो सभी को मान्य हो। तथापि, लगता है कि नेताओं द्वारा ऐसा कोई समाधान नहीं खोजा जा सका है।

जैसा कि सभा को इस बात की जानकारी है मैंने

किसी भी संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत सभा में इस मुद्दे पर चर्चा करवाने की बार–बार अपनी मंशा जाहिर की। तथापि, प्रमुख विपक्षी दलों का यह विचार था कि जब तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक उनके लिए सभा के सुचारु कार्यकरण में सहयोग प्रदान करना संभव नहीं होगा।

मैं इस रुख के बारे में टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। तथापि, बिना कोई कार्य किए सभा की कार्यवाही रोज–रोज स्थगित होते रहने के कारण हुई राष्ट्रीय हानि के प्रति मैं चिंतित हूं।

ऐसी परिस्थिति में मेरे पास केवल दो ही विकल्प बचते हैं।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : या तो मैं 14 अगस्त तक दो और दिनों के लिए सभा की बैठक के आयोजन की औपचारिकता निभाता रहूं और बगैर किसी कार्यनिष्पादन के दोनों दिन सभा की बैठक स्थगित कर दूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य विकल्प के रूप में मैं सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर सकता हूं ताकि सदस्यगण अपने निर्वाचन–क्षेत्रों में जाकर कुछ सकारात्मक कार्य करें।

जब इस तरह से सभा को चलाना बिल्कुल असंभव हो गया तो मैं इस आशा से सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता हूं कि अंतरसत्रावधि में हम सभी इस बात पर गहन चिंतन करें ताकि यह मुद्दा अगले सत्र में न उठे और शीतकालीन सत्र में हम अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एकत्र हों।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.5½ बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब राष्ट्रगीत की धुन बजाई जाएगी, अतः मैं आप सभी लोगों से खड़े होने का अनुरोध करता हूं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।